रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2015/वैशाख 7, 1937
No. 108] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2015/VAISAKHA 7, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2015

अंतिम जाँच परिणाम

विषय : दक्षिण अफ्रीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेनोल के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा (एस एस आर) पाटनरोधी जांच ।

सं. 15/21/2013-डीजीएडी - समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए,

क. मामले की पृष्ठभूमि

निर्दिष्ट प्राधिकारी ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15 फरवरी, 2002 की अधिसूचना सं. 14/4/2002-डीजीएडी द्वारा यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेनोल (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों से संबंधित मूल जाँच की शुरूआत की थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 24 जून, 2002 की अधिसूचना सं. 14/4/2002-डीजीएडी द्वारा प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी किए थे अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी। अंतिम जाँच परिणाम दिनांक 13 फरवरी, 2003 की अधिसूचना सं. 14/4/2002-डीजीएडी द्वारा जारी किए गए थे जिनमें यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं. 47/2003-सीमा-शुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था।

2. एक मध्यावधि समीक्षा जाँच की गई थी और प्राधिकारी द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. 15/4/2006-डीजीएडी द्वारा अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचित किए गए थे जिनमें सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने और शुल्क की निर्धारित राशि को लागू करके शुल्क के रूप में बदलाव करने की सिफारिश की गई थी। राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2007 की अधिसूचना सं. 98/2007-सीमाशुल्क द्वारा संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था।

3. पहली निर्णायक समीक्षा जाँच को 10 अगस्त, 2007 को शुरू किया गया था। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जाँच परिणाम दिनांक 4 अगस्त, 2008 की अधिसूचना सं. 15/9/2007-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित किए गए थे जिनमें यूरोपीय संघ और सिंगापुर से संबद्ध वस्तु के आयातों पर उसी पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने और दक्षिण अफ्रीका से संबद्ध वस्तु के आयातों पर संशोधित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 31 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना सं. 114/2008-सीमाशुल्क द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था।

4. प्राधिकारी द्वारा यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेनोल के आयातों के संबध में 8 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना सं. 15/16/2011-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई थी। दूसरी एमटीआर जाँच में अंतिम जाँच परिणाम प्रधिकारी द्वारा दिनांक 6 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं. 15/16/2011-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित किए गए थे जिसमें दक्षिण अफ्रीका के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने और सिंगापुर और यूरोपीय संघ से संबद्ध वस्तु के आयातों पर शुल्क को रद्द करने की सिफारिश की गई थी। प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 3 मई, 2013 की अधिसूचना सं. 10/2013-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा दक्षिण अफ्रीका से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखा और सिंगापुर और यूरोपीय संघ से संबद्ध वस्तु के आयातों पर शुल्क को रद्द कर दिया था।

5.निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दक्षिण अफ्रीका (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेनोल के आयातों के संबंध में दिनांक 28 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना सं. 15/21/2013-डीजीएडी द्वारा वर्तमान समीक्षा जाँच की शुरूआत की।

6. मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड (जिसे एतद्पश्चात एचओसीएल भी कहा गया है) ने मै. एसआई ग्रुप इंडिया (जिसे एतद्पश्चात एसआई ग्रुप भी कहा गया है) के समर्थन से निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन दायर किया है जिसमें संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना का आरोप लगाया गया है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की राशि को समीक्षा करने, उसे जारी रखने और उसे बढाने का अनुरोध किया गया है।

7. घरेलू उद्योग की ओर से दायर किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी ने दिनांक 28 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना सं. 15/21/2013-डीजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत की ताकि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जाँच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की आशंका है। राजस्व विभाग द्वारा शुल्क की अवधि को 30 अक्तूबर 2014 तक के लिए बढा दिया गया है।

8. वर्तमान समीक्षा के कार्यक्षेत्र में संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पूर्ववर्ती जाँचों के सभी पहलू शामिल होंगे।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

9. संबद्ध जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

i. नई दिल्ली के संबद्ध देश के दूतावास को नियम 6(2) के अनुसार इस जांच की शुरूआत के बारे में सूचित किया गया था।

ii. इस प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली 6(3) के अनुरूप ज्ञात निर्यातकों तथा संबद्ध देश के दूतावास को इन आवेदनों का अगोपनीय पाठ की प्रतियां उपलब्ध कराई थी। आवेदन अगोपनीय अंश की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध कराई गई और अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दी गई।

iii. प्राधिकारी ने दक्षिण अफ्रीका में एकमात्र ज्ञात विनिर्माता/निर्यातक मेरिसोल, दक्षिण अफ्रीका (जिसका नाम और पता याचिकाकर्त्ता द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए) को सार्वजनिक सूचना की प्रति अग्रेषित की तथा उन्हें नियमावली 6(2) एवं 6(4) के अनुरूप पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने दृष्टिकोण रखने का उन्हें अवसर दिया।

iv. मै. मेरिसोल आरएसए पीटीवाई लि. जो दक्षिण अफ्रीका में एकमात्र ज्ञात उत्पादक/निर्यातक हैं, ने जाँच के लिए एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। तथापि तत्पश्चात भारत में मै. मेरिसोल के प्राधिकृत प्रतिनिधि मै. ईएलपी, मुम्बई ने दिनांक 18.06.2014 के अपने पत्र द्वारा प्राधिकारी को वाणिज्यिक विचारों के कारण मेरिसोल के जाँच में एक हितबद्ध पक्ष के रूप में हटने के बारे में सूचित किया।

v. इस प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं (जिनके नाम एवं पते आवेदक द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराये गए थे) को सार्वजनिक सूचना की प्रतियां अग्रेषित की तथा उन्हें सलाह दी कि नियम 6(4) के अनुरूप इस पत्र के जारी होने की तिथि से चालीस (40) दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत करायें:

क. मैसर्स सी.जे. शाह एण्ड कंपनी

ख. मैसर्स हरेश कुमार एण्ड कंपनी

ग. मैसर्स पीसीएल आयल्इंडस्ट्रीज लिमिटेड

घ. मैसर्स कांतिललाल मनीलाल एण्ड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड

ङ. मैसर्स सोनकमल इंटरप्राइसिस

च. मैसर्स खेतान ब्रदर्स

छ. मैसर्स शुभम डाइज़ एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

ज. मैसर्स एक्रोन इंटरप्राइसिस

झ. मैसर्स नेकनावारे केमिकल्स लिमिटेड

ञ. मैसर्स पारस डाइज़ एण्ड केमिकल्स

ट. मैसर्स ट्रोन्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

ठ. मैसर्स युनाईटेड फास्फोरस लिमिटेड

ड. मैसर्स रेसिनस एण्ड प्लास्टिक लिमिटेड

ढ. मैसर्स कैलाश पोलीमर्स

ण. मैसर्स सेंट्रम मेटालिक्स प्राईवेट लिमिटेड

त. मैसर्स वंडर लेमिनेटस प्राईवेट लिमिटेड

थ. मैसर्स मेघदेव इंटरप्राइसिस

द. मैसर्स सतगुरू इंटरनेशनल

ध. मैसर्स हाई पोलीमर्स लेब्स लिमिटेड

न. मैसर्स रेनबो कलर्स एण्ड केमिकल्स

ऩ. मैसर्स ब्लीच मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

प. मैसर्स कारमेन इंटरनेशनल (प्रा.) लिमिटेड

फ. मैसर्स कृष्णा एंटीएक्सीडेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

ब. मैसर्स एनजीपी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड

भ. मैसर्स फार्मसन फार्मास्युटिकल्स गुजरात लिमिटेड

म. मैसर्स इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड

कक. मै. सिंह प्लास्टीसाइजर्स एंड रेजिंस (आई) प्रा., नई दिल्ली

खख. मै. नेशनल प्लाइवुड इंडस्ट्रीज लि., कोलकाता

गग. कुन्दन राइस मिल्स लि. नई दिल्ली

vi. संबद्ध वस्तु के केवल एक आयातक अर्थात मै. एक्जिमकोर्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस मामले में उत्तर प्रस्तुत किया है।

vii. वर्तमान समीक्षा जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013(पीओआई) तक है। हानि संबंधी विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल 2009 - मार्च 2010, अप्रैल 2010 - मार्च 2011, अप्रैल 2011 - मार्च 2012 तथा जांच की यह अवधि शामिल है।

viii. जाँच अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से लिए गए सौदा-वार आयात आकड़ों का वर्तमान एसएसआर जांच में विश्लेषण के लिए विश्वसनीय माना है।

ix. निर्यातक, उत्पादक, आयातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने इस प्राधिकारी को न तो उत्तर दिया है और न ही इस जांच से संबंधित सूचना दी है, को प्राधिकारी द्वारा असहयोगी हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माना गया है।

x. इस प्राधिकारी में नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जांच हेतु रखी गई सार्वजनिक फाईल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।

xi. प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत तय करने तथा अपनी सतत रीतियों के अनुसार भारत से संबद्ध वस्तुओं का क्षति रहित मूल्य का निर्धारण करने जिससे इस बात की जांच की जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, हेतु नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर संभव सीमा तक घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की है।

xii. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 26.06.2014 को आयोजित आम सुनवाई में अपना दृष्टिकोण मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। सुनवाई में भाग लेने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने अनुरोध/खंडनों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें।

xiii. इस जाँच के दौरान हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर इस जाँच परिणाम में जाँच और उनका समाधान किया गया है।

xiv. राजस्व विभाग ने दिनांक 7.11.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 354/124/2012-टीआरयू(पीटी-III) द्वारा जांच पूरी करने की समय-सीमा को 27.04.2015 तक बढ़ा दिया।

xv. प्राधिकारी ने जाँच की प्रक्रिया के दौरान दी गई सूचना जिन पर यह जाँच परिणाम आधारित हैं की सत्यता से स्वयं को संतुष्ट किया । प्राधिकारी ने संगत और आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग के परिसर के मौके पर सत्यापन किया। घरेलू उद्योग से क्षति के संबंध में अतिरिक्त/पूरक ब्योरे मांगे गए और प्राप्त किये गए।

xvi. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।

xvii. संबंधित नियमावली के अनुसार प्राधिकारी ने 20.04.2015 को प्रकटन विवरण के रूप में सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनकी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए इस मामले के आवश्यक तथ्यों से अवगत कराया। उनसे प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा संगत सीमा तक इस जांच परिणाम में विचार किया गया है।

xviii. इस निष्कर्ष में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।

xix. पीओआई के लिए विनियम दर इस प्राधिकारी द्वारा 54.70 रुपया = 1 अमरीकी डॉलर के रूप में लिया गया है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद का दायरा और समान वस्तु</u>

<u>ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

10. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. फेनोल एक मूल कार्बनिक रसायन है जिसे सामान्यतया सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। इस उत्पाद को दो रूपों - बल्क और पैक्ड में बेचा जाता है। बल्क बिक्रियां सामान्यत: खुले रूप में होती है जबकि पैक्ड खेपे काफी छोटे कंटेनर भारों में हो सकती है और सामान्यत: ड्रम में पैक की जाती है। फेनोल का उपयोग फेनोल, फार्मलडिहाईड रेसिन, लेमिनेट, प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, बिसफेनोल-ए, अल्काइल फेनोल, फार्मास्यूटिकल्स, डिफेनाईल ऑक्साईड आदि में किया जाता है। इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष संख्या 29071110 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि यह सीमाशुल्क और आईटीसी एचएस वर्गीकरण मात्र सांकेतिक हैं और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं हैं ।

ii. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में इस अवधि के दौरान कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है।

iii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद से मापदंडों जैसे वास्तविक और तकनीकी विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रियाएं और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से समान वस्तु है।

<u>ग. 2 उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

11. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और समान वस्तु के दायरे के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा कोई संगत अनुरोध नहीं किए गए हैं।

<u>ग. 3 प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>

12. मूल जाँच की तरह तथा वर्तमान निर्णायक समीक्षा जाँच में भी विचाराधीन उत्पाद फेनोल है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई मूल जाँच के अनुसार इस उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

iv. "विचाराधीन उत्पाद सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय संघ के मूल का अथवा वहाँ से निर्यातित "फेनोल" है। फेनोल एक मूल कार्बनिक रसायन है जिसे सामान्यतया सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। इस उत्पाद को दो रूपों - बल्क और पैक्ड में बेचा जाता है। बल्क बिक्रियां सामान्यत: खुले रूप में होती है जबकि पैक्ड खेपे काफी छोटे कंटेनर भारों में हो सकती है और सामान्यत: ड्रम में पैक की जाती है। फेनोल का उपयोग फेनोल, फार्मलडिहाईड रेसिन, लेमिनेट, प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, बिसफेनोल-ए, अल्काइल फेनोल, फार्मास्यूटिकल्स, डिफेनाईल ऑक्साईड आदि में किया जाता है। इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष संख्या 29071110 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि यह सीमाशुल्क और आईटीसी एचएस वर्गीकरण मात्र सांकेतिक हैं और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं हैं।

13. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद मापदंडों जैसे वास्तविक और तकनीकी विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रियाएं और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से समान वस्तुएं हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग एक-दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। वर्तमान समीक्षा जाँच के प्रयोजनार्थ याचिकाकत्ताओं द्वारा उत्पादित की जा रही संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयात की जा रही वस्तु के 'समान वस्तु' माना जा रहा है। इसके अलावा किसी भी हितबद्ध पक्ष ने विचाराधीन उत्पाद के दायरें में परिवर्तन करने के लिए कोई संगत अनुरोध नहीं किया है।

14. चूंकि यह निर्णायक समीक्षा जाँच है इसलिए प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जाँच में पीयूसी का दायरा मूल जाँच के समान ही रहेगा।

घ. <u>घरेलू उद्योग और उसकी योग्यता</u>

<u>घ.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध</u>

15. घरेलू उद्योग और उसकी योग्यता के दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग और उसकी योग्यता का दायरा निर्णायक समीक्षा में संगत नहीं है।

ii. याचिकाकर्त्ता मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड और मै. एसआई ग्रुप इंडिया भारत में फेनोल के एकमात्र उत्पादक हैं।

iii. याचिकाकर्त्ताओं का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा बनता है।

iv. याचिकाकर्त्ता बहु-उत्पाद कंपनी हैं।

v. याचिकाकर्त्ताओं ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। वे संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के निर्यातकों से न तो संबंधित हैं और न ही संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातकों से संबंधित हैं।

घ. 2 उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

16. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा घरेलू उद्योग और उसकी योग्यता के संबंध में कोई संगत अनुरोध नहीं किया गया है।

घ. 3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

17. यह याचिका मै. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर की गई है और मै. एसआई ग्रुप इंडिया द्वारा समर्थित है। यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्त्ता भारत में संबंधित उत्पाद का एकमात्र उत्पादक हैं और इसलिए पूरा भारतीय उत्पादन करते हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्त्ताओं ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं हैं। अत: प्राधिकारी मानते हैं कि याचिकाकर्त्ता क्षति जाँच के प्रयोजनार्थ नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और उनके पास समीक्षा हेतु आवेदन करने की योग्यता है।

ङ. विविध अनुरोध

ङ. 1 उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए विविध अनुरोध

18. संबद्ध वस्तु के प्रतिवादी आयातकों द्वारा हितबद्ध पक्ष के रूप में निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

i. शुल्क के 30 अक्तूबर, 2013 के समाप्त हो जाने के बाद उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती है। अत: 12 नवम्बर, 2013 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 29/2013 द्वारा शुल्क की अवधि बढाया जाना अवैध है।

ii. एसआई ग्रुप ने सकारात्मक वृद्धि दिखाई दी है जबकि एचओसीएल की स्थिति बिगड़ी है। आयात केवल एक उत्पादक को ही प्रभावित नहीं कर सकते हैं।

iii. यह शुल्क घरेलू उद्योग पर लगभग 12 वर्षों पहले 2002 में लगाया गया है। यदि इस समय के दौरान घरेलू उद्योग सुधरने में सक्षम नहीं हो पाया तो उसे यह दर्शाना चाहिए कि भविष्य में वह ऐसा कैसे करेगा।

iv. एचओसीएल कुप्रबंधन के कारण पूर्णत: रूग्ण है।

v. एचओसीएल प्रचालन करने में अक्षम है क्योंकि उसके द्वारा उत्पादित धन उत्पादन की बंद पड़ी लाइनों में खप जा रहा है।

vi. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में उल्लेख है कि कच्ची सामग्री की कमी, उच्च स्टॉक और फेनोल और एसीटोन सहित उसके रसायनों के नहीं बिकने के कारण अस्थाई बंदी हुई थी। इकाइयों के पुनरूद्धार के लिए उन्हें तत्काल 150 करोड़ रूपए की आवश्यकता है। किसी पाटनरोधी शुल्क से संयंत्र को प्रचालित किए जाने में मदद मिलना मुश्किल है। निधि की प्राप्ति नहीं होने से इकाई स्थाई रूप से बंद हो जाएगी।

vii. चीन जन. गण. से सोडियम ट्राई पोली फोस्फेट के हाल के मामलें की स्थिति वर्तमान मामले में भी लागू होती है। एचओसीएल ने इस तथ्य को नहीं बताया है कि वह काफी समय से संयंत्र को नहीं चला रहा है परंतु शुल्कों की मांग कर रहा है। यह स्वाभाविक न्याय का उल्लंघन है।

viii. प्रयोक्ताओं को एचओसीएल के बंद होने के कारण अतिरिक्त लागत उठानी पड़ रही है और एसआई ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित है और अनुचित अतिरिक्त लाभ अर्जित कर रहा है और उसका नुकसान संबद्ध वस्तु के छोटे भारतीय प्रयोक्ताओं को झेलना पड़ रहा है।

ix. प्राधिकारी ने अपने स्वयं के कुछ अंतिम जाँच परिणामों में यह बताया है कि शुल्क 10 वर्षों के अधिक के लिए जारी नहीं रहना चाहिए।

x. प्रतिवादी दक्षिण अफ्रीकी उत्पादक से संबंधित नहीं है। ऐसी स्थिति में वह दक्षिण अफ्रीकी उत्पादक के असहयोग पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।

xi. याचिकाकर्त्ता द्वारा अब डीजीएडी के समक्ष आना नासमझी है जब प्रत्येक पूर्ववर्ती मामले में उसने डीजीएडी द्वारा निर्धारित और वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित शुल्क की राशि के विरूद्ध कभी भी अपील नहीं की।

xii. याचिकाकर्त्ता मध्यावधि समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क को बढाने के लिए आवेदन नहीं कर पाया। याचिकाकर्त्ता को अब उसकी गलती का मानने और निर्णायक समीक्षा के दौरान दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

इ. 2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विविध अनुरोध

19. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:-

i. जहां तक शुल्क की समाप्ति का संबंध है, यह अनुरोध किया जाता है कि वह अवैध नहीं था। डीजीएडी ने पहले भी विभिन्न मामलों में इसी प्रकार से शुल्कों का समय बढाया है और यह एक संगत प्रक्रिया है। चीन जन.गण. से डाइक्लोफेनाक साडियम, चीनी ताइपेइ से पेंटाइरिथ्राइटोल और अनेक अन्य मामलों में यह नीति अपनाई गई है।

ii. एचओसीएल और एसआई ग्रुप दोनों नुकसान उठा रहें हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी दानों कंपनियों के क्षति संबंधी विवरणों की जाँच कर सकते हैं। किसी भी मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए दोनो घरेलू उत्पादकों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जाँच करना अपेक्षित है।

iii. पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद, घरेलू उद्योग को किसी न किसी स्रोत से अनुचित प्रतिस्पर्धा से नुकसान हो रहा है। ऐसा वैश्विक बाजार में भारी अधिशेष और वस्तुओं का पाटन करने की वैश्विक उत्पादकों की क्षमता के कारण हुआ है। वर्तमान याचिका पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने के लिए है और याचिकाकर्त्ताओं की चिंता देश में उत्पाद के पाटन से संबंधित है। इसके अलावा फेनोल और एसीटोन से संबंधित निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अब तक की गई जाँच में निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर अनेक मामलों में पाटन को सिद्ध किया गया है। दूसरे शब्दों में, अनेक मामलों में निर्धारित पाटन मार्जिन वह विभेदकारी कीमत की स्वीकृति थी जिस पर विदेशी उत्पादकों द्वारा वस्तुएं बेची गई थी। इस प्रकार, इन विदेशी उत्पादकों को अपने व्यवहार को स्पष्ट करना चाहिए और प्राधिकारी को भारतीय बाजार में विभेदकारी कीमत पर संबद्ध वस्तु के निर्यात के कारणों के बारे में सूचित करे।

iv. पाटनरोधी कानून अनुचित व्यापार प्रथाओं को हटाने के लिए है और घरेलू उद्योग को समान अवसर वाला बाजार देना है। प्राधिकारी कानूनों के अंतर्गत विहित अपेक्षाओं का पालन करने के बाद ही पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हैं।

v. यदि यह भी माना जाता है कि एचओसीएल का उत्पादन कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है, इससे घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रतिकूल कीमत प्रभाव का समाधान नहीं करती है। वास्तव में, कम उत्पादन की स्थिति में कंपनी को उचित कीमत से अधिक पर उत्पाद की बिक्री करने की स्थिति में होना चाहिए। इस प्रकार प्रतिकूल कीमत प्रभाव पाटित आयातों के कारण हुआ है और न कि कम उत्पादन के कारण। इसके अलावा लम्बी अवधि के लिए उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग नए निवेश के लिए पर्याप्त निधि जुटाने में अक्षम है और यह घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में समग्र विकृति का प्रधान कारण है।

vi. इंडियन एक्सप्रेस की वही रिपोर्ट जिसका हवाला प्रतिवादियों ने दिया है, में दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से संबद्ध वस्तुओं के भारी मात्रा में आयातों के कारण होने पर चर्चा की गई है।

vii. इसके अलावा, एचओसीएल ने उत्पाद के पाटन में वृद्धि के कारण उत्पादन को रोक दिया जिनकी वजह से उसके वर्तमान प्रचालन बिल्कुल अव्यवहार्य हो गए। एचओसीएल व्यवसाय से पूर्णत: बाहर नहीं हुआ है और उसने केवल उत्पादन रोका है। वस्तुत: इससे घरेलू उद्योग की यह दलील और मजबूत हो जाती है कि देश में उत्पाद के पाटन को घरेलू उद्योग को उचित बाजार की स्थिति प्रदान करने के लिए रोका जाना जरूरी है।

viii. याचिकाकर्त्ता का स्वामित्व और नियंत्रण रसायन और उर्वरक मंत्रालय के पास है और इसलिए कंपनी के मालिक के रूप में रसायन मंत्रालय को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष घरेलू उद्योग का मामला रखने का हक है। तथापि, इसे उल्लिखित मामले में माननीय सेस्टेट द्वारा यथा निर्धारित हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, रसायन मंत्रालय के अनुरोध तथ्यों पर आधारित हैं।

ix. सोडियम ट्राइपोली फास्फेट के मामले के तथ्य और परिस्थितियां अलग थीं और वह इस जाँच पर लागू नहीं होती हैं। वर्तमान मामले में एक घरेलू उत्पादक ने अस्थाई रूप से उत्पादन बंद कर दिया है दूसरे शब्दों में एकमात्र घरेलू उत्पादक ने उत्पादन बंद कर दिया है।

x. एचओसीएल ने उत्पादन केवल अस्थाई रूप से रोका है। इसके अलावा यदि एक उत्पादक स्थाई रूप से उत्पादन बंद भी कर देता है तो याचिकाकर्त्ताओं को कानून के अंतर्गत संरक्षण की मांग करने का अधिकार है। केवल पाटनरोधी शुल्क लागू करने का यह अर्थ नहीं है कि कोई कंपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित हो गई या उसे अनुचित अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। इसके अलावा निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कई बार माना है कि

पाटन रोधी शुल्कों को लगाए जाने का सामान्य उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार, रीतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा स्थिति पुर्नस्थापित की जा सके, जो कि भारत के सामान्य हित में कि पाटन रोधी उपायों कि आरोपण से संबद्ध देश से आयात में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगेगा और इसलिए, उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर भी असर नहीं पड़ेगा।

xi. इस तर्क के संबंध में कि प्रतिवादी दक्षिण अफ्रीकी उत्पादक के असहयोग पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह असंबंधित हैं, याचिकाकर्त्ता अनुरोध करता है कि यह मामले से बचना है। तथापि, यह भी नोट किया जाए कि मै. मेरिसोल एकमात्र उत्पादक हैं और वह पूर्ववर्ती जाँचों का हिस्सा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका से बढते हुए आयातों के बावजूद इसमें उसकी भागीदारी न करना यह दर्शाता है कि वे पाटनरोधी शुल्कों द्वारा या इस स्थिति (मांग-आपूर्ति अंतर) से इस प्रकार से अप्रभावित हैं कि वे उनकी क्षमता का उपयोग शुल्क सहित या शुल्क के बिना किसी भी स्थिति में संबद्ध वस्तु के निर्यात के लिए तैयार है।

xii. केवल इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस दावे को पूर्व में स्वीकार नहीं किया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि याचिकाकर्ता से प्राधिकारी के समक्ष अपने दावे पर विचार करने का अधिकार खो दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में पहले ही आठ याचिकाएं हैं जो क्षतिरहित कीमत कानून विरूद्ध भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की शिकायतों को स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है।

xiii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क को बढाने के लिए आवेदन करने में विफल रहा है यह अनुरोध किया जाता है कि निर्णायक समीक्षा में ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है।

ड. 3 <u>प्राधिकारी द्वारा जाँच</u>

20. प्राधिकारी ने विविध अनुरोधों की निम्नानुसार जाँच की है:

i. जहां तक हितबद्ध पक्षों की इस दलील का संबंध है कि शुल्क के समाप्त होने के बाद उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती है और यह कि इस मामले में शुल्क की अवधि बढाया जाना अवैध है प्राधिकारी नोट करते है कि वर्तमान जाँच को शुल्क के समाप्त होने से पहले शुरू किया गया है। निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत के पश्चात पाटनरोधी शुल्क का समय बढाना नियम के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा किया गया है जैसा ऐसे सभी मामलों में किया गया है। वित्त मंत्रालय ने अपने हाल के परिपत्र में निम्नानुसार उद्धरित किया है जो शुल्क को जारी रखने के औचित्य को और स्पष्ट करता है:

"इस उपबंध के सरल पठन से यह स्पष्ट है कि निश्चयात्मक/अंतिम पाटनरोधी शुल्क को उसे लगाए जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए ही एकत्रित किया जा सकता है। सामान्यत: सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (2) के तहत पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) द्वारा लगाया गया पाटनरोधी शुल्क <u>ऐसे मामलों जिनमें डीजीएडी पाँच वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले समीक्षा शुरू कर देते हैं,</u> को छोड़कर अनंतिम शुल्क लागू होने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होता है। ऐसे मामलों जिनमें डीजीएडी ने पूर्वोक्त 5 वर्षों के पूरा होने से पहले कोई निर्णायक समीक्षा शुरू नहीं की हो, उनमें पाटनरोधी शुल्क लागू होने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के बाद कोई शुल्क संग्रहित नहीं किया जा सकता है।"

ii. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यह मामला न्यायाधीन है और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है।

iii. इस अनुरोध के संबंध में कि इस बात पर विचार करते हुए कि एसआई ग्रुप में सकारात्मक वृद्धि हुई है, आयात केवल एक उत्पादक को प्रभावित नहीं कर सकते हैं प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली में घरेलू उद्योग के क्षति जाँच समग्र रूप से करना अपेक्षित है। एसआई ग्रुप के कार्यनिष्पादन की अलग से जाँच करने पर भी जाँच अवधि के दौरान उसके निष्पादन में विकृति प्रदर्शित होती है।

iv. इस दलील के संबंध में कि पाटनरोधी शुलक लगभग 12 वर्षों से लागू है और आज की तारीख तक घरेलू उद्योग में सुधार का कोई संकेत नहीं है प्राधिकारी नोट करते हैं कि आकड़े दर्शाते हैं कि इस जाँच की क्षति जाँच अवधि के दौरान जाँच अवधि को छोड़कर घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद से भारी लाभ कमा रहा था। अत: हितबद्ध पक्षों का यह तर्क कि घरेलू उद्योग ने सुधार का कोई संकेत नहीं दर्शाया है, गलत है।

v. प्राधिकारी यह भी नोट करते है कि कुछ देशों से फेनोल के आयातों से संबंधित कुछ मध्यावधि समीक्षा जाँचों में प्राधिकारी ने उन मामलों के विभिन्न पहलुओं के वस्तुनिष्ठ आकलन के बाद पाटनरोधी शुल्क को हटाने की सिफारिश की है।

vi. इस अनुरोध के संबंध में कि एचओसीएल को पूर्व में रूग्ण घोषित किया गया है, प्राधिकारी नोट करते है कि एचओसीएल को 2005 से एक रूग्ण कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, उसके बाद इसने लाभ भी कमाया है। तथापि, प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार नहीं करते हुए कि क्या एचओसीएल पाटन के लिए अन्य कारकों से हुई क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराए

बिना अन्य कारणों की वजह से रूग्ण कंपनी थी। इसके अलावा, प्राधिकारी ने इस बात की भी जाँच की है कि क्या एसआई ग्रुप एकल आधार पर भी क्षति उठा रहा था।

vii. इस तर्क के संबंध में कि एचओसीएल प्रचालन करने में असमर्थ है क्योंकि सृजित आय उत्पादन की बंद पड़ी लाइनों में खपाई जा रहा है, प्राधिकारी ने इस बात की जाँच की है कि क्या एचओसीएल पर प्रतिकूल कीमत प्रभाव पाटित आयातों के कारण है और न कि कम उत्पादन के कारण।

viii. इस दलील के संबंध में कि एचओसीएल बंद पड़ा है और पाटनरोधी शुल्क से संयंत्र को प्रचालित करने में कोई मदद मिलना मुश्किल है प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचओसीएल की उत्पादन सुविधाएं कथित रूप से विभिन्न स्रोतों से भारी पाटित आयातों के कारण अस्थाई रूप से बंद हो गई हैं। दूसरा घरेलू उत्पादक अर्थात एसआई ग्रुप उत्पादन कर रहा है और उसे भी क्षति हुई है। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य अनुचित व्यापार के विरूद्ध समान अवसर वाली स्थिति सुलभ कराना है और घरेलू उद्योग को अपना सुधार करने में सक्षम बनाना है।

ix. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय का प्रभाव प्रयुक्त किया जा रहा है प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के एक संघटक का मालिक और नियंत्रक होने के नाते, रसायन मंत्रालय इस मामले में एक हितबद्ध पक्ष के रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का हकदार है। प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही अर्द्ध-न्यायिक प्रकृति की हैं और उसे कानून के कार्य ढांचे के अंतर्गत उसे प्रस्तुत किए गए सभी वास्तविक तथ्यों पर निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ ढंग से विचार करना होता है।

x. इस तर्क के संबंध में कि प्रयोक्ताओं को एचओसीएल के बंद होने के कारण अतिरिक्त लागत का वहन करना पड़ता है और एसआई ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सुरक्षित है और वह संबद्ध वस्तु के छोटे भारतीय उत्पादकों की कीमत पर अनुचित अतिरिक्त लाभ कमा रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी कानून का उद्देश्य घरेलू उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित करना नहीं है। यह दोहराया तजाता है कि इसका प्रयोजन विदेशी उत्पादकों द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरूद्ध समान अवसर की स्थिति प्रदान करना है।

xi. इस दलील के संबंध में कि प्राधिकारी ने अपने कुछ अंतिम जाँच परिणामों में यह व्यवस्था दी है कि शुल्क को 10 वर्षो से अधिक के लिए जारी नहीं रखा जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि क्षतिकारी पाटन जारी रहती है तो वह अप्रासंगकि है।

xii. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने पूर्व में डीजीएडी द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि के विरूद्ध कभी अपील नहीं की है और एमटीआर के लिए आवेदन नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इससे घरेलू उद्योग द्वारा शुल्क को जारी रखने के लिए प्राधिकारी को आवेदन करना किसी भी तरह से बाधित नहीं होता है।

ङ. 4 <u>प्रकटन के बाद के अनुरोध</u>

21. अपने-अपने प्रकटन के बाद के अनुरोध में हितबद्ध पक्षों ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने पूर्ववर्ती अनुरोधों में जाँच के दौरान अपनाए गए रूख को दोहराया है। संक्षिप्तता की दृष्टि से ऐसे मुद्दों को दोहराया नहीं गया है और पक्षकारों द्वारा किए गए अन्य अनुरोधों को उनके संगत होने की सीमा तक और उनके रिकार्ड में वास्तविक तथ्यों से समर्थित होने पर इस जाँच परिणाम के संगत खंडों में विचार किया गया है।

मै. एग्जिमकॉर्प. द्वारा किए गए प्रकटन के बाद के अनुरोध

22. मै. एग्जिमकॉर्प ने प्रकटन के बाद के अपने अनुरोध में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार तर्क दिया है :

i. निर्दिष्ट प्राधिकारी (डी ए) की गई समीक्षा को समीक्षा की शुरूआत की तारीख से 12 महीने तक की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा । वर्तमान मामले में 12 महीने की यह अवधि 28 अक्टूबर, 2013 को पहले ही बीत गई है । अत: ऐसी समीक्षा को जारी रखना अवैध है ।

ii. यह कि वर्तमान मामले के तथ्यों में ऐसी विशेष परिस्थितियों की मौजूदगी की कोई संभावना नहीं है जिनसे डी ए के लिए अतिरिक्त 6 महीने का समय बढ़ाने का अनुरोध करना पड़े । पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(1) के प्रथम परंतुक का कड़ाई से अर्थ लगाना चाहिए और उसका सामान्य प्रक्रिया में उल्लेख नहीं करना चाहिए ।

iii. प्रकटन विवरण स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करके जारी किया गया है क्योंकि केवल आंशिक प्रकटन में मानी गई सूचना अविश्वसनीय सूचना के आंशिक प्रकटन पर टिप्पणी के लिए सुनवाई के अपर्याप्त अवसर द्वारा की गई है ।

iv. यह कि आयात आंकड़ों से यह पता नहीं चल सकता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आयात आंकड़ों की छंटाई कैसे की है और क्या डी जी सी आई एंड एस के साथ परामर्श के बाद दिए गए आंकड़े अपरिष्कृत आयात आंकड़े हैं या छांटे गए आयात आंकड़े हैं ।

v. यह कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दक्षिण अफ्रीका के लिए सामान्य मूल्य का गलत ढंग से परिकलन करने के लिए अपनाई गई कच्ची सामग्री की कीमतों को उपलब्ध कराया है परंतु निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त तालिका अपर्याप्त है क्योंकि ऐसी तालिका को बनाने के आधार/समर्थक दस्तावेज बताए नहीं गए हैं।

vi. यह ज्ञात नहीं है कि सौदे के निबंधन, मात्रा, एफ ओ बी/ सीआईएफ, ऋण की शर्तें, व्यापार का स्तर संबंधित पक्षकारों के साथ था अथवा नहीं यह सारांश से पता नहीं चलता है। माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पहले ही माना गया है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे उचित ठहराया है कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं से ऐसे अविश्वसनीय आंकड़ों पर भरोसा करना अवैध है।

vii. एग्जिमकार्प ने अन्य भरोसा किए गए दस्तावेजों जैसे सत्यापन रिपोर्ट, सत्यापन रिपोर्ट पर टिप्पणियां, घरेलू उत्पादकों के साथ पत्राचार, प्राधिकारी द्वारा मांगी गई अतिरिक्त/पूरक सूचना और उनके उत्तर के लिए अनुरोध किया है।

viii. एग्जिम कार्प ने बताया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सभी विश्वास किए गए दस्तावेजों और साक्ष्यों को उपलब्ध कराके तथा एग्जिम कार्प को उसकी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर न देकर स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया है। एग्जिमकार्प निर्दिष्ट प्राधिकारी से आगे की कार्रवाई करने से पहले सुनवाई का पर्याप्त अवसर तथा अपेक्षित दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का अनुरोध करती है।

ix. यह कि संधि के दायित्व केवल संधि या ए डी ए से बनने वाले ऐसे किसी नगर पालिका कानून की बाहरी विषय वस्तु के संदर्भ में और उस तक सीमित होते हैं। इस प्रकार निर्यातकों के आंकड़ों को अपने पास रखने का दायित्व केवल गोपनीयता की विषय वस्तु हो सकता है। आयातकों या घरेलू उद्योग के आंकड़े गोपनीयता की विषय वस्तु नहीं हो सकते वह भी इस आधार पर कि घरेलू उद्योग के आंकड़ों का प्रयोग आयातकों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने और लागू करने के लिए किया जाता है और इसलिए उन्हें प्रभावित पक्षकारों से छिपाया नहीं जा सकता है। संक्षेप में डी ए का घरेलू उद्योग पर आयातकों से उसके आंकड़े छिपाने का कोई दायित्व नहीं बनता है। इसके परिणामस्वरूप डी ए पर एनआईपी, पहुंच लागत और क्षति संबंधी आंकड़ों को प्रकाशित करने से कोई प्रतिबंध नहीं है। डी ए पर किसी निर्यातक, जो इस मामले में पूरी तरह अनुपस्थित हो, के आंकड़ों को प्रकाशित करने का प्रतिबंध है। इसलिए प्रकटन के किसी भी भाग को गोपनीय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

x. यह कि डी ए द्वारा जारी प्रकटन विवरण युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि इसमें एग्जिमकार्प द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच नहीं की गई है और दिनांक 19.3.2015 के उसके पत्र के जरिए एग्जिमकार्प द्वारा किए गए अनुरोधों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताया गया है।

xi. यह कि संबद्ध उत्पाद को दूसरे उत्पाद- ऐसीटोन के साथ विनिर्मित किया जाता है। दोनों उत्पादों के लिए समान कच्ची सामग्री की जरूरत होती है और समान उत्पादन प्रक्रिया से ये बनते हैं। परिणामस्वरूप एग्जिमकार्प ने निम्नलिखित दो प्रश्न पूछे थे जिन पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचार भी नहीं किया गया है।

क. क्या मूल्यह्रास लागत सहित लागत को केवल संबंधित उत्पाद अर्थात फेनोल के लिए दर्शाया गया है या क्या एसीटोन और फेनोल दोनों की मिलाकर लागत बताई गई है?

ख. क्या एसीटोन की मांग का फेनोल के उत्पादन पर कोई प्रभाव पडता है और क्या फेनोल के उत्पादन में एसीटोन की मांग में बदलाव के साथ बदलाव किया जा सकता है।

xii. यह कि आवेदक घरेलू उत्पादक का कार्य निष्पादन एच ओ सी एल के कोच्ची संयंत्र के बंद होने के कारण प्रभावित हुआ था। तथापि, इस पर प्राधिकारी ने कोई गौर नहीं किया है।

xiii. यह कि निम्नलिखित अनुरोध जिन पर प्राधिकारी ने बिल्कुल भी जांच नहीं की है। यद्यपि, यह प्रकटन विवरण में नोट किया गया है :

क. पाटनरोधी नियमावली के नियम-23 (1 ख) की अपेक्षाओं को "विधिवत रूप से साक्ष्यांकित याचिका" के संबंध में पूरा नहीं किया गया है।

ख. क्षति रहित कीमत के निर्धारण से संबंधित मुद्दे

ग. घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले पुराने जीर्ण शीर्ण संयंत्रों का मुद्दा

घ. कीमत फेनोल के लिए निर्धारक कारक नहीं हैं

ड़. वेतन और मजदूरी तथा विद्युत की खपत में वृद्धि की जाँच

च. इंधन के रूप में एलएनजी के बजाय एलएसएफओ के प्रयोग के परिणामस्वरूप असाधारण व्यय हुए जैसा कि एच ओ सी एल की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है जिसे क्षति रहित कीमत के निर्धारण से बाहर रखा जाना चाहिए।

xiv. यह कि नियोजित पूंजी पर आय सहित क्षति रहित कीमत के निर्धारण के विभिन्न पहलुओं पर बार-बार अनुरोध करने के बावजूद डी ए ने इन मुद्दों का समाधान किए बिना क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-।।। में बताए गए सिद्धांतों को दोहराया है ।

xv. यह कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-।।। के पैरा (4) के उप-पैरा (iii) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए क्षति रहित कीमत ज्ञात करने हेतु पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के दौरान सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर विचार करना अपेक्षित है । जैसा पहले बताया गया है, पिछले तीन वर्षों में आवेदक घरेलू उद्योग ने 2011-12 में 108.89 प्रतिशत का सर्वोत्तम क्षमता उपयोग प्राप्त किया है। प्रकटन विवरण से यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि क्या निर्दिष्ट प्राधिकारी ने क्षति रहित कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ क्षति अवधि के दौरान सर्वोत्तम क्षमता उपयोग अर्थात् 108.89 प्रतिशत पर विचा किया है ।

xvi. इसी प्रकार नियमावली के अनुबंध-।।। के पैरा- (4) के उप-पैरा (ix) में भी यह व्यवस्था है कि ब्याज लागत की तर्कसंगतता की जांच करते समय सावधिक ऋणों, नकद ऋण सीमाओं, अल्पावधि ऋणों, कंपनी द्वारा की गई जमाओं और अन्य उधारियों की विस्तार से जांच करना आवश्यक है । यह ज्ञात नहीं है कि क्या निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा लिए गए ऋणों पर विचार किया है और क्या केवल वही ऋण जो संबद्ध उत्पाद से संबंधित या उसके लिए थे, पर क्षति रहित कीमत के निर्धारण के समय विचार किया गया था ।

xvii. डी ए के लिए क्षति रहित कीमत के निर्धारण के समय कोई कठोर फार्मूला अपनाने की आशा नहीं की जाती है । यदि अन्य कारक मौजूद हैं, जिन्हें डी.ए की जानकारी में लाया गया है तो डी ए के लिए ऐसे कारकों की जांच करना या कम से कम उनके लिए स्पष्टीकरण मांगना अनिवार्य है यदि उस सूचना को अपर्याप्त या अधूरा पाया जाता है । परंतु किसी भी मामले में डी ए हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं ।

xviii. डी ए ने भारतीय घरेलू उत्पादक की लागत पर विचार करते हुए दक्षिण अफ्रीका, जो एक बाजार अर्थव्यवस्था है, के लिए सामान्य मूल्य की गणना की है । आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत याचिका से अंधानुकरण करके जिसमें इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए घरेलू उद्योग की लागत पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, एक पद्धति अपनाई गई है।

xix. डी ए द्वारा ''सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्य'' का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है, जब ऐसा आवेदन विधिसम्मत रूप से किया गया हो । सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्य प्रचलित कानून को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । यदि कोई कानून किसी पद्धति विशेष की अनुमति नहीं देता है तो डी ए ऐसे कानूनों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते और उपलब्ध तथ्यों का प्रयोग नहीं कर सकते । इसके मद्देनज़र एग्जिमकोर्प अनुरोध करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण और परिणामी पाटन मार्जिन अवैध है।

xx. यह कि वर्तमान मामलें में एक वर्ष की अवधि के लिए पाटरोधी शुल्क को बढयाया जाना माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित रिट याचिका डब्ल्यू. पी. (सी) 4633/2014 की विषय-वस्तु है। एग्जिमकोर्प यह अनुरोध करता है कि डी ए को उक्त रिट याचिका को निपटाए जाने तक आगे की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

xxi. यह कि डी ए ने बताया है कि उन्होंने इस बात की जाँच की है कि क्या एसआई ग्रुप भी एकल आधार पर क्षति उठा रहा था। तथापि, डी ए द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण से यह पता लगाना संभव नहीं है कि क्या ऐसी कोई प्रक्रिया वास्तव में की गई अथवा नहीं। यदि डी ए ने वास्तव में यह प्रक्रिया की तो एग्जिमकोर्प अनुरोध करता है कि ऐसी एकल सूचना हितबद्ध पक्षों को भी उपलब्ध कराई जाए।

xxii. यह कि जैसाकि उपर्युक्त से देखा जा सकता है, दक्षिण अफ्रीका के आयात क्षति अवधि के दौरान कुल आयातों का केवल 8-9 प्रतिशत हिस्सा थे। आयातों में वृद्धि मुख्यत: ऐसे देशों से हुई जिनके विरूद्ध जाँच चल रही है या अन्य ऐसे देश जिनकी अब तक जाँच नहीं हुई है। जब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आयातों में वृद्धि दक्षिण अफ्रीका से इतर देशों से हुई है, तो ऐसे आयातों-जो कुल आयातों का 91-92 प्रतिशत हैं, के प्रभाव के लिए दक्षिण अफ्रीका को अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

xxiii. यह कि डी ए को अन्य देशों से आयात सहित अन्य कारकों के प्रभाव को अलग करना चाहिए और उसके बाद स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। प्रकटन विवरण में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है।

xxiv. यह कि अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत किसी संभावना के निर्धारण में उपलब्ध सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर भावी घटनाओं को विश्लेषण शामिल होता है और इसके परिणामस्वरूप केवल पाटन मार्जिन के परिकलन से ही अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत अपेक्षित दायित्क का निर्वहन नहीं हो जाता। प्रकटन विवरण में, जाँच अवधि के बाद के लिए कोई भी जाँच नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में, डी ए द्वारा किया गया संभावना को परीक्षण त्रुटिपूर्ण और अधूरा है इसलिए उसे अस्वीकार किया जा सकता है।

xxv. यह कि डी ए को सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन को केवल रेंड में ही ज्ञात करना चाहिए। इसी प्रकार, डी ए, एनआईपी को केवल भारतीय रुपये में परिकलित करने के लिए दायित्व बाध्य हैं। क्षतिरहित कीमत को भारतीय रुपये से डालर में परिवर्तित करने से क्षतिरहित कीमत बढ़ गई, जिसके परिणामस्वरूप उच्चतर क्षति मार्जिन और परिणामी पाटनरोधी शुल्क लगाया गया।

घरेलू उद्योग के प्रकटन के बाद के अनुरोध

23. घरेलू उद्योग के आधारिक तर्कों/अनुरोधों को निम्नानुसार संक्षेप में बताया गया है:

क. प्राधिकारी का यह मानना सही है कि चूंकि प्रश्नावली का उत्तर देने वाले संबद्ध देश के एकमात्र उत्पादक/निर्यातक ने जाँच से अपना नाम वापस ले लिया है इसलिए प्राधिकारी संबद्ध देश से सामान्य मूल्य का निर्धारण घरेलू उद्योग की याचिका में दी गई सूचना सहित सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबद्ध देश में सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए बाध्य है।

ख. प्राधिकारी ने प्रमुख कच्ची सामग्रियों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत और बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक लागतों और लाभ के तर्कसंगत मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य के परिकलन का प्रस्ताव किया है जो उपयुक्त है।

ग. प्राधिकारी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर विचार करते हुए निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर विचार करने का उपयुक्त प्रस्ताव किया है। दक्षिण अफ्रीका से उत्पादक/निर्यातकों के असहयोग के मद्देनजर आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों के आधार पर कीमत समायोजन करना सही है।

घ. इस दलील के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के प्रभाव का प्रयोग किया गया है, यद्यपि, प्राधिकारी ने पहले ही नोट किया है कि घरेलू उद्योग के घटकों में से एक का मालिक और नियंत्रक होने के कारण रसायन मंत्रालय को इस मामले में एक हितबद्ध पक्ष के रूप में अपने विचार रखने का अधिकार है और यह माना है कि प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही अर्धन्यायिक प्रकृति की है और उसमें कानून के कार्यढांचे के भीतर निष्पक्ष और वस्तुनिष्ट ढंग से उनके समक्ष रखे गए सभी वास्तविक तथ्यों पर विचार करना होगा; घरेलू उद्योग यह अनुरोध करता है कि मैटकॉक के कामले में सेस्टेट द्वारा बताए गए ''हस्तक्षेप'' शब्द के अर्थ के भीतर रसायन और पैट्रोरसायन मंत्रालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

ड. एन आई पी के संबंध में एन आई पी के संबंध में घरेलू उद्योग नोट करता है कि निर्धारित क्षतिरहित कीमत काफी कम है और घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए अपर्याप्त है। विशेष रूप से निवल स्थिर परिसंपत्तियां लाभों के निर्धारण का आधार नहीं हो सकते हैं जबकि घरेलू उद्योग द्वारा स्थापित मूल फेनोल-एसीटोन संयंत्र पहले से ही पूर्णत: जीर्ण-क्षीर्ण हो गया है। इसके अलावा, नियम में ऐसे तर्कसंगत लाभ की राशि विहित नहीं की गई है जिस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को विचार करना चाहिए। संयंत्र के पुराना होने को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के लिए आय के उच्चतर स्तर पर विचार करना चाहिए बिल्कुल नए निवेश को 22 प्रतिशत की आय और 20-50 वर्ष पुराने निवेशों को 22 प्रतिशत आय देने का कोई औचित्य नहीं है।

च. घरेलू उद्योग मै0 एग्जिम कॉर्प इंडिया के सलाहकार द्वारा दिनांक 21 अप्रैल के ई-मेल का संदर्भ देना और निम्नानुसार अनुरोध करना चाहता है:

i. रिट याचिका मै0 सेंचुरी प्लाईबोर्ड द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई है। कंपनी ने निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की जा रही जांच में भाग नहीं लिया है और अब उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की है।

ii. यद्यपि, निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह स्पष्ट करना है तथापि, याचिकाकर्ताओं ने डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के साथ प्रकटन विवरण की प्रति जांच की है और यह पाया है कि प्रकटन विवरण में दिए गए आंकड़े डी जी सी आई एंड एस से प्रकाशित आंकड़ों में दिए गए आयात संबंधी आंकड़ों से बिल्कुल समान है जिसका अर्थ है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निर्धारण के लिए डी जी सी आई एंड एस प्रकाशित आंकड़ों को अपनाया है। घरेलू उद्योग ने वर्तमान मामले में निर्दिट प्राधिकारी को सौदावार डी जी सी आई एंड एस आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। अत: हितबद्ध पक्षों को सूचना दिया जाना अपेक्षित नहीं है क्योंकि इस सूचना पर निर्धारण हेतु विचार नहीं किया गया है। तथापि, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उनके मेल के उत्तर में कंपनी को कोई सूचना उपलब्ध कराई है तो उसे घरेलू उद्योग को भी कृपया उपलब्ध कराया जाए।

iii. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि एग्जिमकॉर्प ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। याचिकाकर्ता ने एग्जिमकार्प की ओर से दिया गया अनुरोध पुन: पढ़ा है और यह नहीं पाया है कि कंपनी द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि एग्जिमकार्प ने दक्षिण अफ्रीका से विचारधीन उत्पाद का आयात किया है। प्रकटन विवरण में बताया गया है कि एग्जिमकार्प ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है। वस्तुत: मौखिक सुनवाई के समय कंपनी ने यह भी बताया कि उनके द्वारा कोई प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की गई है क्योंकि कानूनी मुद्दा उठाने की यह पूर्वापेक्षा नहीं है। अत: यदि कंपनी ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है तो हम प्राधिकारी से पैरा 9 (vi) की समीक्षा करने और उससे उचित ढंग से संशोधित करने का अनुरोध करते हैं। यह इस

तथ्य के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण है कि यदि एग्जिमकार्प ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है तो एग्जिमकार्प हितबद्ध पक्ष नहीं है। नियम के अंतर्गत हितबद्ध पक्ष केवल वे पक्ष होते हैं जो संबद्ध देश से उत्पाद के आयातक हों। अन्य देशों से समान उत्पाद का कोई आयातक हितबद्ध पक्ष नहीं होता है। नियम-14 के साथ पठित नियम 2(ग) की परिभाषा से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संबद्ध देशों से आयात विचाराधीन उत्पाद हैं जबकि अन्य देशों से आयात समान वस्तु हैं। इस प्रकार तीसरे देशों से उत्पाद का कोई आयातक नियम 2(ग) के अर्थ के भीतर विचाराधीन उत्पाद का आयातक नहीं है। अत: यदि एग्जिमकार्प संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातक नहीं हैं तो हम प्राधिकारी से प्रकटन विवरण में संशोधन करने और यह स्पष्ट करने का अनुरोध करते हैं कि कंपनी हितबद्ध पक्ष नहीं है परंतु प्राधिकारी द्वारा उनके अनुरोधों पर विचार किया गया है। हम प्राधिकारी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध करते हैं कि कंपनी द्वारा एग्जिमकार्प को हितबद्ध पक्ष का दर्जा नहीं दिया गया है।

छ. सत्यापन रिपोर्टों के संबंध में, घरेलू उद्योग को ऐसी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई है।

ज. एस आई ग्रुप लि. तथा एच ओ सी एल द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी से किए गए पत्राचार के संबंध में उसे एन सी वी आधार पर उपलब्ध कराया गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एस आई ग्रुप लि. और एच ओ सी एल को भेजे गए पत्र के संबंध में इन कंपनियों को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई पत्र नहीं भेजा गया है।

झ. रसायन मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे गए पत्र के संबंध में हमें ऐसे किसी पत्र की जानकारी नहीं है। तथापि, यदि कोई पत्र भेजा गया है तो उसे सार्वजनिक फाइल में रखा जाए।

ञ. प्रकटन विवरण के पैरा (xv) में बताए गए अनुसार घरेलू उद्योग से क्षति के संबंध में अतिरिक्त/पूरक ब्यौरों के संबंध में याचिकाकर्ता अनुरोध करते हैं कि यह लागत और क्षति संबंधी सूचना के समर्थन में निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदत्त सूचना है। इस सूचना को जिसे सत्यापन के समय प्राधिकारी ने लिया है, कंपनी का आंतरिक रिकॉर्ड है और इसलिए उसे प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।

ट. पक्षकार द्वारा सूचीबद्ध प्रक्रिया के संबंध में याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि इसकी कोई संगतता नहीं है। प्रत्येक मामले में उसकी मैरिट और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करनी होगी जब प्रकटन विवरण में अपनाए गए आयात आंकड़े डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित आयात आंकड़ों से मिलते-जुलते हैं तो इसका अर्थ है कि एग्जिमकार्प ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के साथ प्रकटन विवरण में दी गई सूचना का सत्यापन भी नहीं किया है और प्रक्रियाओं के बारे में यह मान्यता और पूर्व मान्यता आनन-फानन में बना ली है कि जिसका पालन प्राधिकारी ने किया है और प्राधिकारी को पत्र लिखा है। निजी एजेंसियों का संदर्भ दिया गया है जबकि प्रकटन विवरण की सूचना प्रकाशित आंकड़ों के समान है।

ठ. याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 23 अप्रैल, 2015 के अपने पत्र का उल्लेख किया है और निम्न प्रश्नों को दोहराया है कि:

i. क्या एग्जिमकार्प या सेंचुरी प्लाईबोर्डस ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

ii. क्या डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी के रिकॉर्ड में उपलब्ध आयात आंकड़े दर्शाते हैं कि एग्जिमकार्प या सेंचुरी प्लाईबोर्ड दक्षिण अफ्रीका से फेनोल के आयातक हैं।

ड. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद, घरेलू उद्योग और उसकी योग्यता तथा क्षति संबंधी अनुरोधों के संबंध में अपने अनुरोधों को दोहराया है। उसने पाटन की संभावना के संबंध में भी अपने अनुरोधों को दोहराया है।

प्रकटन विवरण के पश्चात के अनुरोधों में उठाए गए मुद्दों की जांच

मै0 एग्जिमकार्प द्वारा उठाए गए मुद्दे

24. प्राधिकारी 21 अप्रैल, 2015 को जारी प्रकटन विवरण के उत्तर में हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं। पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान निम्नानुसार किया गया है।

i. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै0 एग्जिमकार्प ने विभिन्न समयों पर उनके द्वारा किए गए विभिन्न क्षति संबंधी अनुरोधों को छोड़कर आयातक प्रश्नावली का विस्तार से उत्तर नहीं दिया है। इस पक्ष ने निर्धारणों को उनके द्वारा चुनौती देते समय उनके किसी भी पहलू के संबंध में कोई सकारात्मक साक्ष्य दिए बिना विभिन्न दावे किए हैं। किसी हितबद्ध पक्षकार का जांच से संगत सूचना प्रदान करने का प्राथमिक दायित्व होता है जिसके नहीं होने पर प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में उपलब्ध सूचना सहित उपलब्ध तथ्यों पर कार्रवाई करने को बाध्य होते हैं। तथापि, स्वाभावित न्याय और उचित प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से मै. एग्जिमकार्प द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को रिकॉर्ड में लिया गया है और उनके संगत होने की सीमा तक उनका समाधान किया गया है।

ii. जहां तक निर्णायक समीक्ष जांच को पूरा करने के लिए अवधि को 12 महीनों से अधिक तक बढ़ाने की केन्द्र सरकार की शक्तियों के मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ए डी नियमों के नियम 17(1) के अंतर्गत ऐसे समय विस्तार की शक्ति उपलब्ध है जो ए डी नियमों के नियम 23(3) के अनुसार आवश्यक संशोधनों के साथ निर्णायक समीक्षाओं पर भी लागू होती है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कुछ हितबद्ध पक्षों ने इस बात को माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष चुनौती दी है और मामला न्यायाधीन है।

iii. नियम 17(1) में समय विस्तार के मामले में केन्द्र सरकार को स्वविवेक प्रदान किया गया है और उक्त उपबंध में "विशेष परिस्थितियां" अभिव्यक्ति एक प्रशासनिक मामला है जिसमें कुछ को बताएं तो प्रशासनिक तात्कालिकता जैसे मुख्य कार्मिक की उपलब्धता और जांच की जटिलता भी शामिल हो सकती है। इस नियम में प्राधिकारी या सरकार के लिए ऐसी विशेष परिस्थितियों की प्रकृति के बारे में हितबद्ध पक्षों को कारण या स्पष्टीकरण देना अपेक्षित नहीं है।

iv. इस तर्क के संबंध में कि अनिवार्य तथ्यों का केवल आंशिक प्रकटन अपर्याप्त समय रहते किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जिसमें सौदावार आयात आंकड़ों के प्रकटन की अनुमति है, पर भरोसा करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक उचित अपील दायर करने हेतु जांच चल रही है। इसके होते हुए भी और बिना पूर्वाग्रह के सौदावार आयात आंकड़े हितबद्ध पक्षों को उनके अनुरोध के अनुसार उपलब्ध कराए गए हैं। न तो नियम और न ही माननीय न्यायालय का उक्त निर्णय किसी विशेष तरीके या ढंग से सूचना प्रदान करने का कोई दायित्व डालता है।

v. जहां तक कच्ची सामग्री की कीमत अपनाने का संबंध है, विवरण के रूप में सूचना का स्रोत और अपनाए गए आंकड़े पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए थे। हितबद्ध पक्षों ने इस संबंध में कोई सकारात्मक सूचना भी नहीं दी है। अत: किसी अन्य सकारात्मक सूचना के अभाव में पूर्वोक्त आंकड़ों को निर्धारणों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए इस संबंध में हितबद्ध पक्ष के तर्क व्यवहार्य नहीं हैं।

vi. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की सत्यापन रिपोर्ट और उनके साथ समस्त पत्राचार का प्रकटन करना चाहिए था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के आंकड़ों का सत्यापन एक सतत प्रक्रिया है और उसमें वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना शामिल होती है। इसलिए, न तो कोई सत्यापन रिपोर्ट बनाई जाती है और न ही उसे घरेलू उद्योग को बताया जाता है। इसलिए इस रिपोर्ट और उससे संबंधित पत्राचार को बताने का प्रश्न नहीं उठता है।

vii. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मामले में एक सार्वजनिक सुनवाई हुई थी और सभी हितबद्ध पक्षों को उनके विचार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। अत: यह तर्क कि हितबद्ध पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, सही नहीं है।

viii. पक्षकार द्वारा एक विचित्र तर्क यह दिया गया है कि केवल निर्यातक के आंकड़े गोपनीयता की विषय-वस्तु हैं और केवल इस वजह से कि घरेलू उद्योग के आंकड़ों का प्रयोग पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए किया जाता है, घरेलू उद्योग को गोपनीयता का ऐसा संरक्षण उपलब्ध नहीं है। यह तर्क कानून के किसी प्रावधान द्वारा समर्थित नहीं है और इसलिए विचारणीय नहीं है।

ix. जहां तक हितबद्ध पक्ष के इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए उत्पादन लागत के विभिन्न तत्वों के संबंध में विभिन्न मुद्दों के बारे में हितबद्ध पक्षों के अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि लागत और एन आई पी का निर्धारण नियमों में निर्धारित सिद्धांत और प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है और लागत तथा क्षमता उपयोग आदि के विभिन्न पहलुओं से संबंधित ऐसे सभी मुद्दों पर जांच की प्रक्रिया के दौरान लागत तथा एन आई पी के निर्धारण के समय विचार किया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के प्रत्येक घटक के लिए क्षतिरहित कीमत ज्ञात करने की दृष्टि से पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-।।। के अनुसार क्षति अवधि के दौरान प्राप्त संबंधित सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर विचार किया गया है और यह पद्धति इकाई के बंद होने या उससे संबंधित लागत के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति, यदि काई हो, को स्वत: ही समाप्त कर देती है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए केवल फेनाल की लागत पर विचार किया गया है।

x. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान भारत में फेनोल और एसीटोन की मांग घरेलू उद्योग के लिए घरेलू बाजार में उसके पूरे उत्पादन को बेचने के लिए पर्याप्त थी। अत/ प्राधिकारी मानते हैं कि एसीटोन की मांग का घरेलू उद्योग के फेनोल के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

xi. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किया गया निर्धारण विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए सभी वास्तविक तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए एक तकनीकी निर्धारण है। कानून के अंतर्गत निर्धारण के लिए ऐसे प्रत्येक तर्क का समाधान और उसे रिकॉर्ड करना न तो व्यवहार्य है और न ही अपेक्षित है। अत: एग्जिमकार्प का यह तर्क कि उनके सभी तर्कों और अनुरोधों पर अलग-अलग ध्यान नहीं दिया गया है, व्यवहार्य नहीं है।

xii. जहां तक सामान्य मूल्य के निर्धारण का संबध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत तथा उसमें प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों और लाभ के लिए समायोजन के साथ के आधार पर धारा 9 क(1)(ग)(ii)(ख) के दूसरे परंतु के अनुसार किया गया है। तथापि, संबद्ध देश में निर्यातक जो संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत का ब्यौरा उपलब्ध करा सकता था, से सहयोग के अभाव में प्राधिकारी के पास उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्य विधिवत रूप से समायोजित घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत का अनुमान है। सर्वोत्तम तथ्यों को अपनाने का सिद्धांत ए डी ए के अनुबंध-II में दिया गया है और उसमें स्पष्ट व्यवस्था है कि यदि तर्कसंगत अवधि के भीतर हितबद्ध पक्ष द्वारा सूचना नहीं दी जाती है तो प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा जांच की शुरूआत के लिए आवेदन में दी गई सूचना सहित उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण कर सकते हैं। अत: पक्षकार के तर्क व्यवहार्य नहीं हैं।

xiii. जहां तक एस आई ग्रुप को हुई क्षति की अलग से जांच करने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमों में घरेलू उद्योग की क्षति की समग्र रूप से और न कि घरेलू उद्योग के किसी अलग घटक के तौर पर जांच किया जाना अपेक्षित है। तथापि, इस मामले की विचित्र प्रकृति जिसमें जांच अवधि के दौरान कतिपय अवधि के लिए एक संघटक बंद हो गया था, को ध्यान में रखते हुए संभव सीमा तक दूसरे घटक के कतिपय मापदंडों की अलग से भी जांच की गई है और संगत पाई गई सीमा तक जांच परिणामों में उसे दर्शाया गया है।

xiv. जहां तक अन्य देशों से आयातों की तुलना में कुल आयातों में दक्षिण अफ्रीका के हिस्से और गैर-जिम्मेदारी विश्लेषण के संबंध में एग्जिमकार्प द्वारा उठाए गए मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि आयातों में अधिक हिस्से वाले अन्य देशों से आयात भी कथित पाटन के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के साथ पाटनरोधी जांच के अधीन हैं। अत: घरेलू उद्योग को हुई वर्तमान क्षति ऐसे सभी स्रोतों से पाटित आयातों के संचयी प्रभाव के कारण हुई पाई गई है।

xv. संबद्ध देश से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति की मौजूदगी को देखते हुए वर्तमान जांच में इस प्रश्न का परीक्षण किए जाने की अपेक्षा कि क्या यदि शुल्कों को हटाया जाता है तो पाटन के जारी रहने की संभावना है और क्या घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने की संभावना है। मामले के वास्तविक ताने-बाने में जहां पाटित आयात अनेक स्रोतों से देश में प्रवेश कर रहे हैं, इसकी सर्वाधिक संभावना है कि संबद्ध देश भी यदि शुल्क हटाया जाता है तो अपने बाजार को बनाए रखने के लिए भारत में पाटन जारी रखेगा और ऐसी किसी स्थिति में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होना जारी रहेगा।

xvi. जहां तक सामान्य मूल्य और एन आई पी के निर्धारण की मुद्रा संबंधी तर्क का संबंध है, नियमों में तुलना के प्रयोजनार्थ घरेलू और निर्यात सौदों को एक मुद्रा में परिवर्तित करने का स्पष्ट प्रावधान है और ऐसा परिवर्तन बिक्री की तारीख को विनिमय की दर का प्रयोग करके किया जाना चाहिए और चूंकि शुल्क को पाटन और क्षति मार्जिन में से कमतर के रूप में लागू किया जाता है, इसलिए तुलना के प्रयोजनार्थ क्षति मार्जिन को भी उसी मुद्रा में परिवर्तित करना अपेक्षित है। अत: न तो भारतीय पाटनरोधी कानून और न ही पाटनरोधी करार के संबंध में निर्धारण में कोई विसंगति हुई है। इसलिए हितबद्ध पक्षों के तर्क व्यवहार्य नहीं हैं।

<u>घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दे</u>

25. घरेलू उद्योग ने प्रकटन के बाद के अपने अनुरोधों में वर्तमान जांच के संबंध में अपनी स्थिति को दोहराया है। प्रकटन के बाद के अपने अनुरोधों में घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए विशिष्ट मुद्दों का निम्नानुसार समाधान किया गया है :

i. इस दलील के संबंध में कि निर्धारित क्षति रहित कीमत काफी कम है और घरेलू उद्योग के संरक्षण में अपर्याप्त है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एन आई पी को प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया तथा नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

ii. घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि मै. एग्जिमकार्प इंडिया को इस जांच में हितबद्ध पक्ष का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एग्जिमकार्प द्वारा दिए गए अनुरोधों को रिकॉर्ड में रखा गया है और स्वाभाविक न्याय तथा उचित प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए और नियम 2(ग) के अर्थ के भीतर उन्हें हितबद्ध पक्ष माने बिना उनके कानूनी तर्कों का समाधान किया गया है।

iii. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सेंचुरी प्लाई बोर्ड ने प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया है। यद्यपि, आयात आंकड़े दर्शाते हैं कि जांच अवधि के दौरान उन्होंने वस्तुओं का आयात किया है।

26. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मै. सेंचुरी प्लाई बोर्ड इंडिया प्रा. लि. ने दिनांक 23 अप्रैल, 2015 के एक पत्र द्वारा यह बताया है कि उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मामले में एक रिट याचिका दायर की है जिसमें समीक्षा अवधि को बढ़ाने को चुनौती दी गई है। उन्होंने यह तर्क भी दिया है कि पूर्ववर्ती मध्यावधि समीक्षा में उन्हें एक हितबद्ध पक्ष माना गया था परंतु इस जांच में सार्वजनिक सुनवाई के

लिए उन्हें हितबद्ध पक्ष नहीं माना गया है । इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा की शुरूआत को भारत के राजपत्र के जरिए अधिसूचित किया गया था और वह इस मामले में पर्याप्त हित वाले पक्षों के लिए प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने और हितबद्ध पक्ष के रूप में स्वयं को अभिज्ञात करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध थी परंतु यह कंपनी ऐसा करने में विफल रही । अत: उनके द्वारा दायर रिट याचिका से किसी पूर्वाग्रह के बिना इस स्तर पर इस जांच में उन्हें हितबद्ध पक्ष नही माना जा सकता है ।

च. वर्तमान पाटन का आकलन; सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निर्धारित करने की पद्धति

च.1 <u>उत्पादकों/आयातकों/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों के अनुरोध</u>

27. संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के पाटन मार्जिन और पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने के निर्धारण के लिए याचिकाकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के संबंध में उत्पादकों/आयातकों/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. याचिकाकर्त्ता पाटन का कोई साक्ष्य देने में विफल रहे हैं। याचिकाकर्त्ताओं द्वारा दिया गया एक बीजक दक्षिण अफ्रीका में बिक्री कीमत को नहीं दर्शा सकता है। आयातों में वृद्धि दक्षिण अफ्रीका से नहीं बल्कि अन्य देशों जैसे यूएसए और ताइवान से हुई वृद्धि है।

ii. प्रत्येक समायोजन के संबंध में याचिका में प्रस्तुत आकड़े केवल संगत साक्ष्यों द्वारा असाक्ष्यांकित दावे हैं जिनपर प्रथम दृष्टया रूप से भी भरोसा नहीं किया जा सकता है।

iii. याचिका में पाटन की पुनरावृत्ति के संबंध में कोई औचित्य नहीं बताया गया है क्योंकि जाँच के बाद की अवधि के लिए कोई सूचना नहीं है।

च.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

28. याचिकाकर्त्ताओं ने अपनी याचिका और तत्पश्चात के अनुरोधों के बताया हैं :

i. यह कि वे संबद्ध देश के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत की कोई सूचना/साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। अत: उन्होंने संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान विधिवत् रूप से समायोजित उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर लगाया है। प्रमुख कच्ची सामग्री अर्थात बेंजीन की लागत पर प्लेट्स की रिपोर्ट के अनुसार विचार किया गया है और अन्य कच्ची सामग्रियों की लागत को उस पर उपलब्ध परिवर्तन लागत के रूप में सर्वोत्तम अनुमान के रूप में याचिकाकर्त्ता की लागत के तौर पर लिया गया है।

ii. यह कि निर्यात कीमत का निर्धारण सीआईएफ स्तर पर परिकलित विचाराधीन उत्पाद की भारित औसत आयात कीमत के रूप में किया गया है। निर्यात कीमत को (क) समुद्री भाड़े (ख) समुद्री बीमा (ग)कमीशन (घ) पत्तन व्यय (ड़) अंतर्देशीय भाड़े और (च) बैंक के कमीशन के लिए समायोजित किया गया है।

iii. इस तर्क के उत्तर में कि घरेलू उद्योग ने पाटन का कोई साक्ष्य नहीं दिया है और केवल एक बीजक जो दक्षिण अफ्रीका में बिक्री कीमत को दर्शाने में अक्षम है याचिकाकर्त्ता ने बताया है कि घरेलू उद्योग होने के कारण उसके पास अधिकतम एक या दो बीजकों तक पहुंच है। <u>दक्षिण अफ्रीका के निर्यातक को प्राधिकारी द्वारा विहित ढ्ग और तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि निर्यातक ने असहयोग करना पसंद किया है तो नियम 6(8) में स्पष्टत: अपेक्षित है कि प्राधिकारी सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।</u>

iv. इस तर्क के संबंध में कि निर्यात कीमत के संबंध में दावा किए गए समायोजन मनमाना और समर्थक दस्तावेजों के बिना है, याचिकाकर्त्ता ने बताया है कि समायोजनों का दावा याचिकाकर्त्ताओं के अनुभव पर आधारित है। प्राधिकारी निर्यातक के असहयोग के मद्देनज़र सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना को लागू कर सकते हैं। निर्यातक ने दुर्भावना से वर्तमान जाँच में उत्तर नहीं दिया है, क्योंकि निर्यातक को पता था कि आंकड़ों से भारी पाटन प्रदर्शित हो सकता था जो संभवत: याचिका में दावा की गई मात्रा से उच्चतर होता।

v. इस तर्क के संबंध में कि पाटन मार्जिन, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत अविश्वसनीय है यह अनुरोध किया जाता है कि याचिकाकर्त्ताओं ने अनेक मामलों में प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए आधार पर सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का अनुमान लगाया है। इस संबंध में पर्याप्त प्रकटन याचिका के अगोपनीय अंश में किया गया है।

vi. इस तर्क के उत्तर में कि दक्षिण अफ्रीका से तीसरे देशों को निर्यात कीमत के संबंध में साक्ष्य का अभाव है और इसलिए पाटन मार्जिन और सामान्य मूल्य अनुमानित हैं और इसके अलावा तीसरे देशों के लिए निर्यात कीमत के साथ तुलना गलत है यह

अनुरोध किया जाता है कि दक्षिण अफ्रीका से तीसरे देशों को विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन का स्पष्ट साक्ष्य है। इस प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता दक्षिण अफ्रीका से तीसरे देशों को निर्यात की जा रही वस्तुओं की कीमत के साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं। इस निर्यात कीमत के आधार पर और सामान्य मूल्य के अनुमानों पर विचार करते हुए, याचिकाकर्त्ताओं ने तीसरे देशों को हुए इन आयातों में पाटन मार्जिन को निर्धारित किया है। यह देखा जाएगा कि पाटन मार्जिन जाँच अवधि के दौरान और उसके बाद काफी अधिक रहा है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

29. हितबद्ध पक्षों ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्त्ता निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआतके लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय पाटन मार्जिन के अनुमान के लिए संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का कोई साक्ष्य देने में असमर्थ रहे हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने सामान्य मूल्य के साक्ष्य के रूप में दक्षिण अफ्रीका में घरेलू बाजार में कतिपय बीजक प्रस्तुत किए हैं। किसी अन्य विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में इस सूचना को जाँच की शुरूआत के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के रूप में स्वीकार किया गया है।

30. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में एकमात्र ज्ञात उत्पादक/निर्यातक ने आरंभिक प्रश्नावली के उत्तर के बाद जाँच से स्वयं को हटा लिया है। इसलिए, प्राधिकारी दक्षिण अफ्रीका में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए निम्नानुसार कार्यवाही करते हैं:

च.4 सामान्य मूल्य का निर्धारण

31. चूंकि संबद्ध देश का एकमात्र उत्पादक/निर्यातक जिसने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया था, जाँच से हट गया है इसलिए प्राधिकारी घरेलू उद्योग की याचिका में दी गई सूचना सहित सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबद्ध देश में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए बाध्य हैं। प्राधिकारी प्रमुख कच्ची सामग्री अर्थात बेंजीन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत और कुशल घरेलू उत्पादक की उत्पादन लागत जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागतों और लाभ के तर्कसंगत मार्जिन को शामिल करते हुए समायोजित किया गया है पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का परिकलन करने का प्रस्ताव करते हैं। इस प्रकार निर्धारित भारित औसत सामान्य मूल्य निम्नानुसार है:

कच्ची सामग्री की लागत अम.डा./मी.ट.	परिवर्तन लागत अम.डा./मी.ट.	कुल लागत अम.डा./मी.ट.	लाभ मार्जिन @ 5% अम.डा./मी.ट.	सामान्य मूल्य अम.डा./मी.ट.
****	****	****	****	****

च.5 उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

32. चूंकि एकमात्र उत्पादक/निर्यातक जिसने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है, तत्पश्चात जाँच से हट गया है। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर दक्षिण अफ्रीका के आयातों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी भारत में विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर विचार करते हुए निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए डीजीसीआईएण्डएस से प्राप्त आंकड़ों पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं। दक्षिण अफ्रीका से उत्पादकों/निर्यातकों से असहयोग को देखते हुए आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों के आधार पर कीमत समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार कारखाना द्वार स्तर पर निर्धाति निर्यात कीमत निम्नानुसार है:

डीजीसीआईएण्डएस के अनुसार आयात मात्रा (मी.ट.)	मूल्य लाख रू. में	सीआईएफ कीमत रू./मी.ट.	समायोजन रू./मी.ट.	निवल कारखाना द्वार कीमत रू./मी.ट.	निवल कारखाना द्वार निर्यात कीमत अम.डा./मी.ट.
14033	9922	70,704	6,654	64,050	1173

च.6 पाटन मार्जिन

33. उक्त तरीके से निर्धारित किए जाने के लिए प्रस्तावित परिकलित सामान्य मूल्य और कारखाना द्वार निर्यात कीमत की तुलना से संबद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रस्तावित पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

क्र. स.	उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य	निवल निर्यात कीमत अम.डा./मी.ट.	पाटन मार्जिन अम.डा./मी.ट.	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन % रेंज

1	सभी उत्पादक	सभी निर्यातक	****	1173	****	****	40-50

34. इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक और पर्याप्त है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबध का निर्धारण

छ.1 <u>घरेलू उद्योग से इतर हितबद्ध पक्षों के अनुरोध</u>

35. अन्य हितबद्ध पक्षों ने घरेलू उद्योग के क्षति और कारणात्मक संबंध के दावों और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के मुद्दे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं

i. यद्यपि एचओसीएल एक पास लगातार संरक्षण है और वह स्थिर है तथापि दूसरा घरेलू उत्पादक अर्थात् एसआई ग्रुप उसी अवधि के दौरान बेहतर कार्य निष्पादन में सक्षम रहा है जबकि दोनों के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति समान रही है। इस प्रकार बाजार की दशाओं से इतर कोई अन्य कारक है जिसकी वजह से एचओसीएल के उत्पादन में गिरावट आई है और उसके लिए दक्षिण अफ्रीका से आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

ii. ताइवान और यूएसए से आयात दक्षिण अफ्रीका से आयातों से अधिक हानिकारक हैं। इसके अलावा यूएसए और ताइवान से आयातों में 2012 से पाटनरोधी शुल्क हटाये जाने के बाद भारी वृद्धि हुई है। उसी अवधि के दौरान ही आवेदक के कार्य निष्पादन में गिरावट आई है।

iii. उत्पाद की कीमत संवेदनशीलता कोई निर्धारक कारक नहीं है और इसलिए कीमत कटौती का विश्लेषण सही स्थिति नहीं दर्शा सकता है। भारत में फेनोल के बाजार उतार चढाव कीमतों से प्रभावित नहीं होते हैं। ताइवान और यूएसए से आयातों का पूरी अवधि के दौरान दक्षिण अफ्रीका से आयातों से अधिक मूल्य रहा है। कीमत कटौती की रेंज और याचिकाकर्त्ता द्वारा प्रदत्त लाभों के बीच कोई संबंध नहीं है।

iv. 2009-10 से जाँच अवधि तक दक्षिण अफ्रीका से आयातों में कमी के आलोक में घरेलू उद्योग के लाभों में कमी और दक्षिण अफ्रीका से आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

v. संबद्ध देश से आयातों के अलावा ऐसे अन्य कारक हैं जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है:

क. घरेलू उद्योग के लाभों और संबद्ध देश से आयातों के बीच कोई संबंध नहीं है।

ख. एचओसीएल कोच्ची संयंत्र में अपने बर्नर में इंधन के रूप में एलएसएफओ के प्रयोग के कारण असामान्य और असाधारण उच्च लागत का वहन कर रहा है।

ग. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मजदूरी और रोजगार में वृद्धि हुई है।

घ. एचओसीएल के सामने आ रही आंतरिक समस्याएं।

vi. संबद्ध वस्तु के आयात भारत में कीमतों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। यह इस तथ्य को देखते हुए है कि 2010-11 में घरेलू उद्योग 86 प्रतिशत से अधिक के आरओसीई के साथ वस्तुओं को बेच रहा था और दक्षिण अफ्रीका सहित अनेक देशों पर पाटनरोधी शुल्क जारी थे।

vii. दक्षिण अफ्रीका से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने से प्रतिस्पर्धा बाधित होगी और उपभोक्ताओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

viii. याचिकाकर्ताओं को समान वस्तु और उनके द्वारा उत्पादित अन्य उत्पादों के बीच उनके आकड़ों को पृथक करने में अपनाई गई पद्धति उपलब्ध करानी ही चाहिए।

ix. दक्षिण अफ्रीका ये आयात में 3 प्रतिशत की वृद्धि उसी अवधि के दौरान याचिकाकर्त्ता के गंवाए गए 9 प्रतिशत की भरपाई नहीं कर सकती है।

x. उत्पादन के प्रतिशत के रूप में आयात उत्पादन को कम कर देंगे जो याचिकाकर्ता के आंतरिक कारण से हो सकता है। आयातों ने मांग की दृष्टि से वृद्धि नहीं हुई है खपत के प्रतिशत के रूप में आयात 2010-11 से समान रहे हैं।

xi. पुराने संयंत्र के कारण स्थिर लागतें अधिक हैं। इस प्रकार अपनी लागत कम करने में याचिकाकर्ता की अक्षमता के कारण पहुंच मूल्य कम है। याचिकाकर्ता की लागत में तेजी से वृद्धि से याचिकाकर्ता के लाभों पर परवर्ती प्रभाव पड़ा है।

xii. याचिकाकर्ताओं को उत्पादन लागत में तेजी से वृद्धि के कारण अवश्य बताने चाहिएं। पाटनरोधी शुल्क याचिकाकर्ता की स्थिति में सुधार नहीं कर सकते हैं।

xiii. यह संभव नहीं है कि आयात एक घरेलू उत्पादक को पूर्ण क्षमता उपयोग पर कार्य करने दें और दूसरे उत्पादक को उनसे नुकसान हो। डीजीएडी से दोनों उत्पादकों की अलग-अलग जाँच करने का अनुरोध किया जाता है।

xiv. जाँच अवधि के बाद के आंकड़े अत्यधिक छुपाई गई सूचना के कारण अविश्वसनीय है। तार्किक रूप से संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में 1 प्रतिशत की वृद्धि के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता 8 प्रतिशत बाजार हिस्सा नहीं गंवा सकता है। याचिकाकर्ता ने अन्य देशों से आयातों और कुल बाजार हिस्से में उनके हिस्से में वृद्धि के बारे में नहीं बताया है।

xv. यह स्पष्ट नहीं है कि बिक्री, लाभ और उत्पादन में कमी एचओसीएल और एसआई ग्रुप दोनों के लिए है या केवल एचओसीएल के लिए।

xvi. एचओसीएल ने अपनी वार्षिक और वित्तीय रिपोर्टों में स्वयं ऐसे अनेक कारण बताएं हैं जिनकी वजह से वे अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पायें हैं। इनमें मूल्यह्रास वाले संयंत्र, निवल मूल्य में कमी आदि शामिल हैं।

xvii. याचिकाकर्त्ता की स्वीकारोक्ति के अनुसार पाटनरोधी शुल्क की अधिकमत संभव राशि के बाद भी पुराने संयंत्रों की यह सतत समस्या है, निवल मूल्य में कमी होती रहेगी। उस मामले में, शुल्क लगाने का अर्थ केवल यही होगा कि याचिकाकर्ता की अकुशलता के लिए उपभोक्ताओं को अनुचित उच्चतर कीमत देने के लिए बाध्य किया जाए।

छ.2 <u>घरेलू उद्योग के अनुरोध</u>

36.क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का निरंतर पाटन हो रहा है।

ii. पूरी क्षति अवधि के दौरान मांग में निरंतर वृद्धि हुई है।

iii. विचाराधीन उत्पाद के आयातों में पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद इस अवधि में समग्र रूप से भारी वृद्धि हुई है।

iv. आयातों में इन स्रोतों, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, से वृद्धि हुई है। इसके अलावा, कम शुल्क वाले स्रोतों से भी वृद्धि काफी अधिक है जबकि ऐसे देशों जिनमें पाटनरोधी शुल्क है, से आयातों में गिरावट आई है। इससे स्पष्टतया सिद्ध होता है कि उपभोक्ता ऐसे स्रोतों को तलाश रहे हैं जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है और वैश्विक उत्पादकों के पास भारी अप्रयुक्त क्षमताएं हैं और इसलिए वे इस अवसर का लाभ उठाकर पाटन शुरू करना चाहते हैं।

v. संबद्ध देश से आयात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। पूरी क्षति अवधि के दौरान भारी कीमत कटौती देखी गई है।

vi. यद्यपि, घरेलू उद्योग 2011-12 तक लाभ अर्जित करने में सक्षम रहा, परंतु आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर भारी न्यूनकारी प्रभाव पड़ा था जिससे घरेलू उद्योग को काफी वित्तीय घाटे होने शुरू हो गए हैं।

vii. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में काफी अधिक स्तर तक उत्पादन, बिक्रियों, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से, लाभ और निवेश पर आय तथा नकद लाभ की दृष्टि से विकृति आई है। .

viii. घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने से वंचित हो गया है।

ix. संबद्ध देश से आयातों में समग्र रूप से वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग की बिक्रियों पर रोक लगी है।

x. संबद्ध देश का बाजार हिस्सा पूरी क्षति अवधि के दौरान काफी अधिक रहा है। तथापि, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

xi. संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होगी।

xii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और परिणामस्वरूप निवेश पर आय तथा नकद लाभ की स्थिति बिगड़ी है।

xiii. आयात अब भी पाटित कीमतों पर हो रहे हैं। इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद ऐसी स्थिति की मौजूदगी क्षति की संभावना की ओर स्पष्ट संकेत करती है।

xiv. घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तु के पाटन से निरंतर क्षति हो रही है। तथापि यह मानने का कोई कारण या औचित्य नहीं है कि शुलक के समाप्त होने से उच्चतर स्तर पर पाटन में वृद्धि नहीं होगी या वे जारी नहीं रहेंगे जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होगी।

xv. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि एस आई ग्रुप में सुधार हो रहा है जबकि एच ओ सी एल स्थिर है। यह बताया गया है कि एच ओ सी एल और एस आई ग्रुप दोनों को नुकसान हो रहा है, निर्दिष्ट प्राधिकारी दोनों कंपनियों के क्षति विवरण की जांच कर सकते हैं। किसी भी तरह से निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए दोनों कंपनियों पर प्रत्यक्ष रूप से विचार करते हुए घरेलू उद्योग की क्षति की जांच करना अपेक्षित है।

xvi. इस दलील के संबंध में कि आयातों की मात्रा में अन्य देशों से और न कि दक्षिण अफ्रीका से वृद्धि हुई है, यह अनुरोध किया जाता है कि दक्षिण अफ्रीका से आयात 8000 मी.ट. से बढ़कर 19000 मी.ट. हो गए हैं। यह वृद्धि 100% से अधिक की है। इसके अलावा, यह बताना भी संगत है कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और पाटनरोधी शुल्कों की मौजूदगी के बावजूद आयातों की वर्तमान मात्रा रही है।

xvii. इस दलील के संबंध में कि बाजार में फेनोल के लिए कीमत निर्धारक नहीं होती है। यह बताया गया है कि इस संबंध में यह काफी आश्चर्यजनक है कि हितबद्ध पक्ष यह तर्क दे रहा है कि आयातों का 8 प्रतिशत कम आयात है जबकि कानून किसी देश से 3 प्रतिशत आयातों को घरेलू उद्योग को क्षति होने के लिए पर्याप्त मानता है। हितबद्ध पक्ष आयातों के 8 प्रतिशत होने को कम आयात मानने का तर्क दे रहे हैं और वह भी निर्णायक समीक्षा जांच में जबकि संबद्ध देश से आयातित वस्तु पर पहले से शुल्क लागू है।यह बताया जाता है कि संबद्ध देश से पाटित आयात पाटनरोधी शुल्क के बावजूद जांच अवधि के बाद और बढ़ गए हैं। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती और उन्हें कम कर रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। याचिकाकर्ता सहमत हैं कि अन्य देशों से भी आयात हुए हैं जिनकी प्राधिकारी द्वारा अलग से जांच की जा रही है। याचिकाकर्ताओं ने यह मांग की है और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने गैर-विभेदकारी आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने पर विचार किया है।

xviii. घरेलू उद्योग के लाभों में गिरावट आई है जिससे पाटित आयातों से स्पष्ट कारणात्मक संबंध प्रदर्शित होता है।

xix. ईंधन में परिवर्तन कोई असाधारण लागत नहीं है। इसे आय-व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है जो जीएएपी से संगत है। जी ए ए पी में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि निम्नलिखित मदों पर बट्टे-खाते डालना, राइट डाउन, लाभ या घाटे असाधारण मद नहीं माने जाएंगे। इनमें (क) संपत्ति का परित्याग (ख) दीर्घावधिक संविदाओं पर संग्रहण (ग) किसी कंपनी के संघटक का निपटान (घ) हड़ताल का प्रभाव (ड.) अन्य को पट्टे पर प्रदत्त उपकरण (च) विदेशी मुद्रा विनिमय (छ)विदेशी मुद्रा परिवर्तन (ज) अमूर्त परिसंपत्तियां (झ) मालसूची (ट) प्राप्तव्य और (ठ) संपत्ति की बिक्री शामिल हैं।

xx. असाधारण के रूप में वर्गीकृत की जा सकने वाली मदों के उदाहरण भूकंप द्वारा सुविधाओं का नष्ट होना या किसी क्षेत्र में जहां ओले से नुकसान होना दुर्लभ हो, वहां ओलावृष्टि से अंगूर के बागीचे का नष्ट होना शामिल है। इसके विपरीत असाधारण के रूप में योग्य नहीं होने वाली मदों के उदाहरण में किसी क्षेत्र विशेष में जहां फसल नष्ट होना आम बात हो, वहां मौसम द्वारा फसल नष्ट होना है। असाधारण मदों को आय विवरण में अलग मदों के भीतर सूचित किए जाने के पीछे उद्देश्य पाठकों के लिए यह स्पष्ट करना है कि कौन सी मदें व्यवसाय के प्रचालन या वित्तीय परिणामों से पूर्णत: असंबद्ध हैं।

xxi. एल एन जी एक सस्ता ईंधन होना प्रत्याशित था। एल एन जी कोचीन में 2013-14 से पहले उपलब्ध नहीं था। ऐसा प्रत्याशित था कि एल एन जी, एल एस एफ ओ की तुलना में सस्ता ईंधन बन जाएगा और 2013-14 में यह कोचीन में उपलबध हो जाएगा। इसलिए कंपनी ने ईंधन के रूप में एन एन जी के प्रयोग के लिए सुविधाएं स्थापित कीं। कंपनी को उम्मीद थी कि इससे कंपनी की लागत बचेगी।

xxii. कंपनी ने 2013-14 में इसके शुरू किए जाने पर ईंधन के रूप में एल एन जी का प्रयोग शुरू कर दिया। इसका अर्थ यह है कि एल एन जी और एल एस एफ ओ की संगत कीमत समय-समय पर बदलती रहती हैं और इस मामले को सिद्ध नहीं करती हैं कि एल एन जी एल एस एफ ओ की तुलना में ईंधन का अनन्य सस्ता स्रोत है।

xxiii. विद्युत की खपत में वृद्धि घरेलू उद्योग की अकुशलता के कारण नहीं हुई है।

xxiv. लाभ में गिरावट मजदूरी में वृद्धि की तुलना में काफी अधिक है। प्रति मी.ट. मजदूरी में वृद्धि प्रदत्त उच्चतर मजदूरी के कारण नहीं है बल्कि अगले वर्ष प्रदत्त मजदूरी के बकायों और वर्ष के दौरान उत्पादन में गिरावट के कारण हुई है।

xxv. एच ओ सी एल को आंतरिक कारकों की वजह से क्षति नहीं हो रही है। पुराना संयंत्र होने के कारण इसका मूल्यह्रास और ब्याज लागत कम है और इसलिए नए संयंत्र की तुलना में इसकी अनुरक्षण लागत कम है। यह एक सामान्य व्यवसायिक/आर्थिक स्थिति है और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है।

xxvi. 86 प्रतिशत से अधिक आर ओ सी ई के तर्क के संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग के लिए निवेश पर आय इस अवधि के दौरान में 22.29 प्रतिशत के उच्च स्तर से -22.31 प्रतिशत के कम स्तर तक काफी अधिक परिवर्तित हुई है। निवेश पर आय में इस उतार-चढ़ाव का एक कारण यह तथ्य है कि उत्पाद में नियोजित पूंजी काफी कम है जबकि दोनों कंपनियों की परिसंपत्तियां काफी घिस चुकी हैं। दोनों कंपनियों को कम कार्यशील पूंजी पर कार्य करना पड़ रहा है। नियोजित पूंजी के इस असामान्य कम स्तर की वजह से प्रति इकाई लाभ में कम बदलावों के साथ नियोजित पूंजी पर असामान्य रूप से कम या ज्यादा आय हुई है। इसके अलावा, प्राधिकारी क्षति रहित कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा पहले निवेश पर अर्जित आय पर कृपया विचार करें। यह नियोजित पूंजी के काफी कम स्तर की वजह से और भी न्यायोचित हो जाता है।

xxvii. उत्पाद का निरंतर पाटन प्रतिस्पर्धा को अनुचित बना देता है। इससे संबंधित उत्पाद के उपभोक्ताओं के हित प्रभावित हो रहे हैं।

xxviii. याचिकाकर्ताओं ने पिछले अनेक मामलों में अपनाई गई पद्धति को अपनाया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी इस संबंध में सूचना का सत्यापन कर सकते हैं।

xxix. यह याचिकाकर्ता का तर्क नहीं है कि पूरा बाजार हिस्सा दक्षिण अफ्रीका ने छीन लिया है। याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि उनके बाजार हिस्से पर उत्पाद का पाटन करने वाले अनेक स्रोतों से पाटित आयातों द्वारा कब्जा कर लिया गया है जिससे घरेलू उद्योग की कीमत पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

xxx. निर्णायक समीक्षा स्तर पर ऐसी कोई कानूनी अपेक्षा नहीं होती कि संबद्ध देश से आयात भारत में खपत की दृष्टि से वृद्धिशील होने चाहिए। जैसा अन्यत्र भी बताया गया है, दक्षिण अफ्रीका से आयात मात्रा पाटनरोधी शुल्कों की मौजूदगी के बावजूद काफी अधिक रही है। इसके अलावा, जांच के बाद की अवधि में मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। इससे संभावना स्पष्टत: सिद्ध होती है। .

xxxi. इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि पुराने संयंत्र की वजह से स्थिर लागतें अधिक हैं। पुराना संयंत्र होने के कारण इसके मूल्यह्रास और ब्याज लागत काफी कम है। इन परिस्थितियों में स्वाभावित है कि अनुरक्षण लागत किसी नए संयंत्र से अधिक हो। किसी नए संयंत्र में उच्चतर ब्याज और मूल्यह्रास लागत होगी परंतु अनुरक्षण लागत कम होगी जबकि पुराने संयंत्र में कम मूल्यह्रास और ब्याज लागत होगी परंतु अनुरक्षण लागत अधिक होगी ।यह एक सामान्य आर्थिक/व्यापारिक स्थिति है और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। याचिकाकर्ता सहमत हैं कि प्रस्तावित जांच अवधि में उत्पादन लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री कीमत में वृद्धि बिक्री लागत में हुई वृद्धि से काफी कम है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के लाभ पर प्रभाव घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों के अधिक न्यूनकारी प्रभाव की वजह से पडा है। घरेलू उद्योग 2011-12 तक लाभ कमाने में सक्षम था। यहां यह नोट किया जाए कि 2012 और 2013 के अनुसंधान के अनुसार दक्षिण अफ्रीका भारत में फेनोल की कुल आपूर्ति के 8-9 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार था जो सभी मानकों के अनुसार काफी अधिक है।

xxxii. उत्पादन लागत में वृद्धि कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण हुई है। प्राधिकारी द्वारा इसका सत्यापन किया जा सकता है।

xxxiii. इस तर्क के संबंध में कि केवल एक उत्पादक को नुकसान हो रहा है। यह बताया जाता है कि यह तर्क बिल्कुल काल्पनिक है। इस अवधि के दौरान एस आई ग्रुप के लाभों में भी तेजी से गिरावट आई है।

xxxiv. इस तर्क कि जांच अवधि के बाद के आंकड़े अत्यधिक गोपनीय सूचना के कारण अविश्वसनीय है। यह अनुरोध किया जाता है कि जांच अवधि के बाद आयातों की मात्रा लगभग 19,000 मी.ट. है जो देश की मांग का 7 प्रतिशत हिस्सा है और इस प्रकार इससे पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने पर पाटन और क्षति की संभावना पर्याप्त रूप से सिद्ध होती है। यदि आयातों की मात्रा वर्तमान आयातों के आस-पास भी रहती है तो वह संभावना सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।

xxxv. बिक्री लाभ उत्पादन आदि में गिरावट के संबंध में यह बताया गया है कि एच ओ सी एल और एस आई ग्रुप दोनों को अलग-अलग क्षति हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग के दोनों उत्पादकों के लिए आंकड़े दिए जाने के कारण वह संचयी रूप से दी गई है।

xxxvi. जहां तक प्रतिवादियों द्वारा वार्षिक रिपोर्टों का संदर्भ दिए जाने का संबंध है, यह अनुरोध किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट में कोच्चि इकाई में निर्मित फेनोल और एसीटोन पर पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की बात को स्पष्ट रूप से इकाई द्वारा उठाए गए

घाटे का मुख्य कारण माना गया है। वार्षिक रिपोर्ट मं अभिज्ञात अन्य ज्ञात कारणों के संबंध में ये ऐसे कारक हैं जो काफी समय से अस्तित्व में हैं। यद्यपि, ये कारक विदेशी उत्पादकों की तुलना में घरेलू उद्योग की समग्र लाभप्रदता में अंतर के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं परंतु ये कार्य निष्पादन में विकृति के जिम्मेदार नहीं हैं।

xxxvii. प्रतिवादियों के इस तर्क के संबंध में कि अधिकसतम संभव पाटनरोधी शुल्क भी दीर्घावधिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है, यह अनुरोध किया गया है कि इस तर्क का कोई आधार नहीं है। पुराने संयंत्र से वास्तव में कम ब्याज, मूल्यह्रास लागत और पूंजीगत लागत होती है। याचिकाकर्ता ने अनेक बाद 90 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग प्राप्त किया है और कई बार 100 प्रतिशत से अधिक भी क्षमता उपयोग किया है। याचिकाकर्ता के खपत कारक संयंत्र की कुशल चालकता पर स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं। .

ख.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

37. प्राधिकारी ने पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षों के विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानून पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। तद्नुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति की संभावना के पहलुओं की जांच करने से पहले घरेलू उद्योग को हुई वर्तमान क्षति यदि कोई हो, की जांच की कार्रवाई करते हैं।

38. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।".

39. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतक जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि की जांच के लिए संबंधित नियम के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

40. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के मात्रा और कीमत प्रभावों और कीमतों तथा लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की इस बात के लिए जांच की है कि क्या क्षति हुई है और पाटन तथा क्षति यदि कोई हो, के बीच कारणात्मक संबंध है। प्राधिकारी ने नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनाने वाले मै0 हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल लि0, मै0 एस आई ग्रुप इंडिया लि0 से संबंधित सूचना पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है। तद्नुसार पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव की निम्नानुसार जांच की गई है :

ख.4 <u>मात्रात्मक प्रभाव:</u>

(i) <u>पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर प्रभाव</u>

क) <u>आयात मात्रा तथा आयातों में हिस्सा</u>

41. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त आयात आंकड़ों की आयात मात्राओं और कीमतों तथा घरेलू उद्योग पर इनके प्रभाव के विश्लेषण के लिए निम्नानुसार जांच की गई है :

विवरण	इकाई	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	पीओआई
से आयात					
संबद्ध देश- दक्षिण अफ्रीका	मी.ट.	8,243	11,223	13,582	14,033
प्रवृत्ति		100	136	165	170
देश जिनके विरूद्ध जांच चल रही है	मी.ट.	47,777	61,381	93,078	134,365
प्रवृत्ति		100	128	195	281
अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	मी.ट.	32,597	12,047	22,666	5,594
प्रवृत्ति		100	37	70	17
अन्य देश	मी.ट.	11,947	37,319	16,775	17,726
कुल आयात	मी.ट.	100,564	121,970	146,101	171,718
प्रवृत्ति		100	121	145	171
आयातों में हिस्सा					
संबद्ध देश- दक्षिण अफ्रीका	%	8	9	9	8
देश जिनके विरूद्ध जांच चल रही है	%	48	50	64	78
अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	%	32	10	16	3
अन्य देश	%	12	31	11	10
कुल आयात	%	100	100	100	100

42. उपयुक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान कुल आयातों में आधार वर्ष की तुलना में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं पर अनेक देशों से आयात पर पाटनरोधी शुल्क लागू है और अनेक अन्य देशों के विरूद्ध पाटनरोधी जांच चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे देशों, जिनके विरूद्ध पाटनरोधी जांच चल रही है से आयातों में वृद्धि हुई है जबकि संबद्ध देशों को छोड़कर जिन देशों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है उनसे आयातों में गिरावट आई है। दक्षिण अफ्रीका के मामले में यद्यपि, कुल आयात में संबद्ध देश का हिस्सा आधार वर्ष की तरह समान स्तर पर रहा है, तथापि, इस अवधि के दौरान आयात मात्रा में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आयातों का अधिकांश हिस्सा जांच के अधीन देशों से आता है।

ख) <u>मांग तथा बाजार हिस्से का आकलन</u>

43. प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों को जोड़कर देश में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को निर्धारित किया है। इस प्रकार आकलित मांग निम्नांकित तालिका से देखी जा सकती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में पूरी क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक रूझान रहा है।

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	पीओआई
भारत में मांग					
घरेलू उद्योग की बिक्री (आबद्ध खपत सहित)	मी.ट.	73,430	80,020	67,361	61,185
प्रवृत्ति	Index	100	109	92	83
वाणिज्यिक बिक्री	मी.ट.	69,629	77,521	64,427	54,316
आबद्ध खपत	मी.ट.	3,801	2,499	2,934	6,869
कुल आयात	मी.ट.	100,564	121,970	146,101	171,718
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	145	171
संबद्ध देशों से आयात –दक्षिण अफ्रीका	मी.ट.	8,243	11,223	13,582	14,033
ऐसे देशों से आयात जिनके विरूद्ध जांच चल रही है	मी.ट.	47,777	61,381	93,078	1,34,365
अन्य देशों से आयात जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	मी.ट.	32,597	12,047	22,666	5,594
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	11,947	37,319	16,775	17,726
कुल मांग	मी.ट.	1,73,994	2,01,990	2,13,462	2,32,903
प्रवृत्ति					

मांग में बाजार हिस्सा	%	2009-10	2010-11	2011-12	POI
घरेलू उद्योग	%	42	40	32	26
एचओसीएल	%	22	21	14	11
एस आई ग्रुप	%	20	19	18	15
संबद्ध देश-दक्षिण अफ्रीका	%	5	6	6	6
ऐसे देशों से आयात जिनके विरूद्ध जांच चल रही है	%	27	30	43	58
देशों से आयात जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	%	19	6	11	2
अन्य देशों से आयात	%	7	18	8	8
कुल	%	100	100	100	100

44. आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तु के लिए मांग में स्वस्थ वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में मांग में लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है परंतु बाजार का अधिकांश हिस्सा जांच के अधीन देशों द्वारा कब्जा कर लिया गया है जबकि घरेलू उद्योग तथा पाटनरोधी शुल्क वाले देशों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। .

(ii) <u>कीमत प्रभाव</u>

क) <u>पाटित आयातों का कीमत प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर प्रभाव</u>

45. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान

उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को काफी कम करना है या कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा में बढ़ गई होती। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और कीमत न्यूनीकरण यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।.

ख) <u>आयात कीमतों की प्रवृत्ति</u>

46.डी जी सी आई एंड एस के आंकडों के अनुसार जांच अवधि के दौरान विभिन्न देशों से आयातित संबद्ध वस्तु की आयात कीमतें निम्नानुसार रहीं:

निम्नलिखित से अयात की सीआईएफ कीमत	इकाई	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	पीओआई
संबद्ध देश- दक्षिण अफ्रीका	रू./मी.ट.	45,580	66,936	68,589	70,704
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	150	155
देशों जिनके विरूद्ध जांच चल रही है	रू./मी.ट.	48,228	75,646	73,894	81,147
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	157	153	168
अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	रू./मी.ट.	49,470	81,961	76,953	83,341
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	166	156	168
अन्य देश	रू./मी.ट.	60,559	75,688	87,044	85,305
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	144	141
समस्त आयात	रू./मी.ट.	49,878	75,481	75,385	80,766
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	151	151	162

47. प्राधिकारी उक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों से नोट करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से आयातों की सीआईएफ कीमतें अन्य देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की सीआईएफ कीमतों की तुलना में सबसे कम है।

ग) <u>कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री</u>

48. इस बात के निर्धारण के लिए कि क्या पाटित आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रहे हैं। **प्राधिकारी** ने पाटित आयातों की पहुंच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से की है। निम्नांकित तालिका में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत पाटित आयातों की पहुंच कीमत और कीमत कटौती को दर्शाया गया है। प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क सहित और उसके बिना कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री का निम्नानुसार विश्लेषण किया है:

विवरण	**इकाई**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**जांच अवधि**
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति	रू./मी.ट.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	150	140	145
पाटनरोधी शुल्क रहित पहुंच मूल्य	रू./मी.ट.	49,592	72,828	74,626	76,927
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	150	155
पाटनरोधी शुल्क सहित पहुंच मूल्य	रू./मी.ट.	55,340	78,323	80,355	83,436
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	145	151
पाटनरोधी शुल्क रहित कीमत कटौती	रू./मी.ट.	****	****	****	****

पाटनरोधी शुल्क रहित कीमत कटौती	सूचीबद्ध	100	160	102	110
पाटनरोधी शुल्क रहित कीमत कटौती	%	****	****	****	****
पाटनरोधी शुल्क रहित कीमत कटौती	रेंज %	15-25	20-30	10-20	10-20
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत कटौती	रू./मी.ट.	****	****	****	****
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत कटौती	सूचीबद्ध	100	206	104	108
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत कटौती	%	****	****	****	****
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत कटौती	रेंज %	10-20	10-20	5-15	5-15
जांचाधीन देशों से आयातों पर पहुंच कीमत	रू./मी.ट.	52,473	82,304	80,398	88,289
जांचाधीन देशों से आयातों पर पहुंच कीमत	सूचीबद्ध	100	157	153	168
जांचाधीन देशों से आयातों पर पहुंच कीमत	रू./मी.ट.	****	****	****	****
जांचाधीन देशों से आयातों पर पहुंच कीमत	%	****	****	****	****
जांचाधीन देशों से आयातों पर पहुंच कीमत	रेंज %	10-20	10-20	5-15	0-10

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों का कीमत कटौती प्रभाव पाटनरोधी शुल्क सहित और उसके बिना, दोनों तरह से काफी अधिक है। यद्यपि, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य में मामूली वृद्धि हुई है, परंतु यह अन्य देशों की तुलना में सबसे कम रहा है जिससे घरेलू कीमतों में अधिकतम सीमा तक कटौती हुई है।

घ) <u>कम कीमत पर बिक्री</u>

50.निम्नांकित तालिका में वार्षिक भारित औसत आधार पर पाटित आयातों की पहुंच कीमत और कम कीमत पर बिक्री के आधार पर घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत को ज्ञात करना दर्शाया गया है।

विवरण	यूओएम	पीओआई
घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत	रू./मी.ट.	****
पाटनरोधी शुल्क रहित पहुंच मूल्य	रू./मी.ट.	76,927
पाटनरोधी शुल्क रहित कम कीमत पर बिक्री	रू./मी.ट.	****
पाटनरोधी शुल्क रहित कम कीमत पर बिक्री	%	****
पाटनरोधी शुल्क रहित कम कीमत पर बिक्री	रेंज %	20-30
पाटनरोधी शुल्क रहित पहुंच कीमत	रू./मी.ट.	83,436
पाटनरोधी शुल्क सहित कम कीमत पर बिक्री	रू./मी.ट.	****
पाटनरोधी शुल्क सहित कम कीमत पर बिक्री	%	****
पाटनरोधी शुल्क सहित कम कीमत पर बिक्री	रेंज %	10 - 20

जांचाधीन देशों से आयातों का पहुंच मूल्य	रू./मी.ट.	88,289
इन आयातों से कम कीमत पर बिक्री	रू./मी.ट.	****
कम कीमत पर बिक्री	%	****
कम कीमत पर बिक्री	रेंज %	5-15

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों का कम कीमत पर बिक्री प्रभाव पाटनरोधी शुल्क सहित और उसके बिना दोनों तरह से काफी अधिक है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जांच के अधीन देशों से आयातों का पहुंच मूल्य संबद्ध देश से पाटित आयातों के पहुंच मूल्य से अधिक है जिससे संबद्ध देश से आयातों का उच्चतर कीमत प्रभाव प्रदर्शित होता है।

ड.) <u>कीमत ह्रास और न्यूनीकरण</u>

52. घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत ह्रास और न्यूनीकरण प्रभाव की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के रूझान की तुलना उतपादन लागत के साथ की गई है। नीचे दिए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग 2011-12 तक अपनी उत्पादन लागत से अधिक उपयुक्त बिक्री कीमत प्राप्त कर रहा था। तथापि, जांच अवधि के दौरान मूल कच्ची सामग्री अर्थात बेंजीन की लागत में भारी वृद्धि के कारण उत्पादन और बिक्री की लागत में भारी वृद्धि हो गई है परंतु घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत इस अवधि के दौरान काफी कम कीमत पर पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण उसकी उत्पादन लागत से कम रही है जिससे जांच अवधि में वित्तीय घाटा हुआ है।

विवरण	**इकाई**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**जांच अवधि**
बिक्री की लागत	रू./मी.ट.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	133	164
एच ओ सी एल	रू./मी.ट.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	138	166
एसआई ग्रुप	रू./मी.ट.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	131	164
निवल बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	150	140	145
एच ओ सी एल	रू./मी.ट.	****	****	****	****
प्रवृत्ति		100	148	138	144
एसआई ग्रुप	रू./मी.ट.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	152	141	146
लाभ/हानि	रू./मी.ट.	****	****	****	(****)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	571	233	(125)
एच ओ सी एल	रू./मी.ट.	****	****	****	(****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	796	154	(324)
एसआई ग्रुप	रू./मी.ट.	****	****	****	(****)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	449	253	(40)

पाटनरोधी शुल्क रहित पहुंच कीमत	रू./मी.ट.	49,592	72,828	74,626	76,927
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	150	155

(iii) <u>घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले आर्थिक मापदंड</u>

53. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा । घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है । घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है :-.

(iv) <u>क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां</u>

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	पीओआई
स्थापित क्षमता	मी.ट.	74,200	74,200	74,200	74,200
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
एच ओ सी एल	मी.ट.	40,000	40,000	40,000	40,000
एस आई ग्रुप	मी.ट.	34,200	34,200	34,200	34,200
उत्पादन	मी.ट.	72,850	80,796	67,500	59,921
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	93	82
एच ओ सी एल	मी.ट.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	82	66
एस आई ग्रुप	मी.ट.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	104	99
क्षमता उपयोग	%	98.18	108.89	90.97	80.76
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	93	82
एच ओ सी एल	%	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध				
एस आई ग्रुप	%	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	104	99
घरेलू बिक्री	मी.ट.	69,629	77,521	64,427	54,316
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	93	78

54. बिक्रियों, क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की निम्नानुसार जांच की गई है । प्राधिकारी निम्नांकित तालिका से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में 2010-11 तक वृद्धि हुई है और तत्पश्चात भारी गिरावट आई है । यह भी नोट किया जाताहै कि पर्याप्त मांग के बावजूद घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का पूर्णत: उपयोग करने में सक्षम नहीं हुआ था ।

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान एस आई ग्रुप अपनी पूर्ण क्षमता पर प्रचालनरत था । 2010-11 में एच ओ सी एल भी पूर्ण क्षमता पर प्रचालनरत था । तत्पश्चात एच ओ सी एल के उत्पादन और बिक्री में भारी गिरावट आ गई । एच ओ सी एल ने दावा किया है कि वह कार्यशील पूंजी की कमी की वजह से अपनी उच्चतम क्षमता पर संयंत्र को नहीं चला पा रहा था जो स्थिति पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण बनी थी जिससे घरेलू बाजार में उचित बिक्री कीमत की प्राप्ति प्रभावित हुई ।

(v) <u>मांग में बाजार हिस्सा</u>

56. घरेलू बिक्रियों और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव को निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है :

मांग में बाजार हिस्सा	%	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**पीओआई**
घरेलू उद्योग	%	42	40	32	26
एच ओ सी एल	%	****	****	****	****
एस आई ग्रुप	%	****	****	****	****
संबद्ध देश- दक्षिण अफ्रीका	%	5	6	6	6
ऐसे देशों से आयात जिनके विरूद्ध जांच चल रही है	%	27	30	43	58
देशों से आयात जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है।	%	19	6	11	2
अन्य देशों से आयात	%	7	18	8	8
कुल	%	100	100	100	100

57. <u>आंकड़े दर्शाते हैं कि यद्यपि, घरेलू उद्योग को बाजार हिस्से में भारी घाटा उठाना पड़ा है, तथापि, संबद्ध देश का हिस्सा संपूर्ण क्षतिजांच अवधि के दौरान लगभग 6 प्रतिशत के स्तर पर बना रहा है । ऐसा लगता है कि घरेलू उद्योग ने अपना पर्याप्त बाजार हिस्सा जांच के अधीन अन्य देशों के लिए गंवा दिया है ।</u>

(vi) <u>लाभ/हानि, निवेश पर आय और नकद प्रवाह</u>

58. निवेश पर आय, ब्याज पूर्व और पश्चात लाभ/हानि तथा नकद प्रवाह निम्नांकित तालिका में दर्शाए गए हैं :

विवरण	**इकाई**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**पीओआई**
घरेलू उद्योग की उतपादन लागत	रू./मी.ट.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	133	164
घ.उ. की निवल बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	150	140	145
घ.उ. की लाभ/हानि	रू./मी.ट.	****	****	****	(****)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	571	233	(125)

लाभ/हानि	लाख रू.	****	****	****	(****)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	622	214	(104)
ब्याज पूर्व लाभ	रू./मी.ट.	****	****	****	(****)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	546	199	(68)
नकद लाभ	रू./मी.ट.	****	****	****	(****)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	574	203	(87)
नियोजित पूंजी पर आय	%	****	****	****	(****)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	472	205	(100)

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत कच्ची सामग्री और सुविधाओं की कीमत में आधार वर्ष तथा तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान तेजी से वृद्धि के कारण हुई है। तथापि, ऐसा लगता है कि घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश सहित विभिन्न स्रोतों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुसार अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं कर सका है।

60. उक्त तालिका से देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग पूर्ववर्ती वर्ष अर्थात 2011-12 तक भारी लाभ कमा रहा था और वास्तव में आधार वर्ष की तुलना में 2010-11 और 2011-12 में लाभ तथा ब्याज दर दोनों में भारी वृद्धि हुई थी। तथापि, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता प्रभावित हुई है और नकद घाटे हुए हैं।

(vii) **मालसूची**

61. निम्नांकित तालिका में दिए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग की मालसूची के स्तर में आधार वर्ष की तुलना में गिरावट आई है।

विवरण	**इकाई**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	पीओआई
औसत स्टॉक	मी.ट.	2,086	2,142	2,520	2,006
औसत स्टॉक	सूचीबद्ध	100	103	121	96

(viii) **रोजगार एवं मजदूरी**

62. निम्नांकित तालिका से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की रोजगार और मजदूरी दोनों प्रस्तावित क्षति अवधि में सुधार प्रदर्शित हुआ है।तथापि, यह भी नोट किया जाता है कि इस बात को देखते हुए घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है और इन कारकों के लिए कार्य निष्पादन वर्तमान कानूनों द्वारा अभिशासित होता है, ये मापदंड घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई निरंतर क्षति को पदर्शित नहीं कर सकते हैं।

विवरण	**इकाई**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	पी ओ आई
रोजगार	सं.	289	325	288	296
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	100	102
मजदूरी	लाख रू0	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	300	252	256

(ix) उत्पादकता

63. प्राधिकारी निम्नांकित तालिका से नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता उत्पादों में गिरावट के कारण घटी है।

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	पी ओ आई
रोजगार	सं.	289	325	288	296
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	100	102
मजदूरी	लाख रू0	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	300	252	256

(x) पाटन मार्जिन की मात्रा

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों का पाटन मार्जिन पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद सकारात्मक और काफी अधिक है।

(xi) <u>वृद्धि</u>

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग में 2010-11 तक सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है। उसके बाद वृद्धि नकारात्मक हो गई और जांच अवधि के दौरान वृद्धि काफी ऋणात्मक रही है।

वर्ष दर वर्ष वृद्धि		2010-11	2011-12	पी ओ आई
उत्पादन	%	10.91	(16.46)	(11.23)
बिक्री	%	11.34	(16.89)	(15.69)
लाभ/मी.ट.	%	470.97	(59.14)	(153.64)
बाजार हिस्सा	%	(2)	(8)	(7)
आर ओ सी ई	%	82.98	(59.47)	(68.11)

(xi) <u>घरेलू कीमत को प्रभावित करने वाले कारक</u>

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु की घरेलू मांग काफी अधिक है। संबद्ध वस्तुएं अनेक देशों से आयातित की जा रही हैं और संबद्ध देश सहित अनेक देशों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लागू है। पाटनरोधी जांच उन देशों से कथित पाटन के लिए अनेक अन्य देशों के विरूद्ध भी प्रगति पर है। घरेलू कीमतें इसलिए विभिन्न स्रोतों से इन आयातों की मात्रा और कीमत के संचयी प्रभाव के कारण प्रभावित हुई हैं।

(xii) <u>पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता</u>

67. निवेश जुटाने की क्षमता के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद में नए निवेश किए हैं। इसके अलावा, यद्यपि, मांग घरेलू उद्योग की क्षमता से काफी अधिक है, तथापि, घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाया है और घाटा उठा रहा है।

ज. <u>कारणात्मक संबंध</u>

68. नियमों में प्राधिकारी के लिए पाटित आयातों और पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच करना अधिदेशित है। प्राधिकारी ने आगामी पैराग्राफों में इस बात की जांच की है कि क्या किसी ज्ञात कारक से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

i. **<u>तीसरे देशों से आयात :</u>** प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुएं अनेक देशों से आयातित की जा रही हैं और संबद्ध देश सहित अनेक देशों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लागू है। पाटनरोधी जांच उन देशों से कथित पाटन के लिए अनेक अन्य देशों के विरुद्ध भी प्रगति पर है। विभिन्न स्रोतों से पाटित आयात कुल आयातों का लगभग 12 प्रतिशत है और जांच के अधीन कथित पाटित आयात कुल आयातों का लगभग 78 प्रतिशत है। अत: पाटित आयातों से हुई क्षति इन सभी स्रोतों से आयातों का संचयी प्रभाव होने के कारण हुई है।

ii. **<u>मांग में संकुचन –</u>** प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में पूरी जांच अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि हुई है इसलिए मांग में संकुचन ऐसा संभावित कारण नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति में वृद्धि हो सकती हो।

iii. **खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन-**विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इसलिए खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन से घरेलू उद्योग को हुई क्षति में कोई योगदान नहीं रहा है।

iv. **व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा-**घरेलू बाजार में वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री दो घरेलू उत्पादकों द्वारा की जा रही है और उनके बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। अनेक देशों से वस्तुओं के आयात भी किए जा रहे हैं। अत: प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से यह पता नहीं चला है कि प्रतिस्पर्धा की दशाएं या व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं घरेलू उद्योग को हुई दावा की गई क्षति के लिए उत्तरदायी हैं।

v. **प्रौद्योगिकी में विकास -** प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से ऐसी किसी बात का पता नहीं चला है कि प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई खास बदलाव हुआ हो, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

vi. **घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन-** क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन निम्नानुसार है :

विवरण	इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	जांच अवधि
घरेलू उद्योग का निर्यात	मी.ट.	63	20	19	2
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	32	30	3
एच ओ सी एल	मी.ट.	-	8	-	-
एस आई	मी.ट.	63	12	19	2

vii. तथापि, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन इसलिए संगत नहीं है क्योंकि प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग के केवल घरेलू कार्य निष्पादन पर विचार किया है।

viii. **उत्पादकता :** प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में प्रति कर्मचारी और प्रति दिन उत्पाद में इस अवधि के दौरान गिरावट आई है इसलिए उत्पादन में भी गिरावट आई है। उत्पादन में यह गिरावट देश में संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि के कारण हुई है।

झ. वास्तविक क्षति और कारणात्मक संबंध से संबंधित निष्कर्ष

69. हितबद्ध पक्षों ने यह तर्क दिया है कि एस आई ग्रुप जो घरेलू उद्योग का हिस्सा है, ने बेहतर निष्पादन किया है जबकि एचओसीएल पुरानी प्रौद्योगिकी और पुराने संयंत्र के प्रयोग, महंगे ईंधन के प्रयोग, अधिक कर्मचारियों और कम उत्पादकता की वजह से घाटा उठा रहा है और न कि दक्षिण अफ्रीका से पाटित आयातों के कारण। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों उत्पादकों के कार्य निष्पादन की अलग से जांच की गई है और यह पाया गया है कि एच ओसी एल और एस आई ग्रुप दोनों को अलग-अलग तथा संचयी रूप से क्षति हुई है। एच ओ सी एल की आंतरिक समस्याओं के कारण उसके कार्य निष्पादन के संबंध में हितबद्ध पक्षों के तर्कों के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कंपनी पिछले अनेक वर्षों से भारी लाभ कमा रही थी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए नियोजित पूंजी पर आय प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार रही है।

70. उक्त विश्लेषण से पता लगता है कि संबद्ध देश सहित अनेक स्रोतों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को लाभकारी स्तर तक नहीं बढ़ा सका है, जिसके परिणामस्वरूप भारी वित्तीय घाटा हुआ है और घरेलू उद्योग वास्तविक क्षति उठा रहा है।

ट. पाटन और क्षति का जारी रहना/उसकी पुनरावृत्ति की संभावना

ट.1 उत्पादकों/निर्यातकों आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

71. पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

i. याचिकाकर्ताओं ने यह सिद्ध नहीं किया है कि पाटन की संभावना है और उन्होंने केवल निराधार वक्तव्य दिए हैं। वस्तुत: यदि पूर्ववर्ती अवधि की सूचना पर विचार किया जाए तो यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक पिछले वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से पाटन मार्जिन में भारी गिरावट आई है।

ii. आयातों में गिरावट का रूझान रहा है। दक्षिण अफ्रीका से आयात कीमतों में समग्र रूप से और याचिकाकर्ता की बिक्री लागत और बिक्री कीमत के सापेक्ष रूप से क्षति अवधि के दौरान काफी और निरंतर वृद्धि हुई है।

iii. खपत की दृष्टि से आयातों में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है।

iv. वैश्विक उत्पादकों के पास अधिक क्षमताओं की मौजूदगी का कोई साक्ष्य नहीं है। यदि उनके पास अधिक क्षमता है तो वह वस्तुओं के पाटन के परिणामस्वरूप इनके लिए अपर्याप्त है।

v. दक्षिण अफ्रीका की कुल क्षमता भारतीय मांग को पूरा नहीं कर सकती है। अन्य देशों से भी निर्यात हुए हैं। निर्धारण का मापदंड दक्षिण अफ्रीका में अधिशेष क्षमता होना चाहिए। डी जी ए डी का यह प्रचलित मानक है कि अधिशेष क्षमता सिद्ध की जानी चाहिए जो संभवत: भारत में आ सकती है।

vi. पाटन की संभावना सिद्ध नहीं की गई है। पूर्ववर्ती अवधि की सूचना से पता चलता है कि प्रत्येक वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से पाटन मार्जिन में भारी गिरावट आई है। दक्षिण अफ्रीका से आयात कीमतों में भी याचिकाकर्ता की बिक्री लागत और बिक्री कीमत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है।

vii. यदि अधिशेष क्षमता है भी तो अधिशेष क्षमता की मौजूदगी का अर्थ पाटन की संभावना नहीं हो सकता है जैसा कि डी जी ए डी और सेस्टेट ने निर्धारित किया है।

ट.2 <u>घरेलू उद्योग के अनुरोध</u>

72. पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

i. विचाराधीन उत्पाद के पाटन पाटनरोधी शुल्क लगने के बाद भी संबद्ध देश से जारी रहे हैं।

ii. वर्तमान अवधि में उच्च पाटन मार्जिन से सिद्ध होता है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन के जारी रहने और उसमें वृद्धि होने की आशंका है।

iii. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा मं पहले गिरावट आई है और उसके बाद पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद उनमें वृद्धि हुई है।

iv. संबद्ध देश के उत्पादक भारी क्षमताएं बनाए हुए हैं। यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होता है तो संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा में निश्चित रूप से और वृद्धि होगी जो शुल्क के लागू रहने के बावजूद आयातों के जारी रहने के तथ्य से स्पष्ट है।

v. पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से बाजार में कीमतों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

vi. यदि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत को सामान्य स्तर पर बनाए रखता है तो वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति पर आयात मात्राएं बढ़ जाएंगी जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में और अधिक गिरावट आएगी।

vii. संबद्ध देश से आयात मात्राओं और पाटन मार्जिन के वर्तमान स्तर काफी संभावना सृजित करते हैं कि शुल्क की समाप्ति के परिणामस्वरूप भारतीय बाजार में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का तेजी से पाटन होगा। यह संबद्ध देश द्वारा रखी गई अत्यधिक उच्च क्षमताओं के तथ्य से स्पष्ट है।

viii. संबद्ध देश से आयात कीमत कटौती कर रहे हैं और यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती जारी रहेगी।

ix. विश्व भर में उत्पादकों के पास उनकी घरेलू मांग से अधिक क्षमताएं हैं जो उन्हें भारत जैसे अन्य मजबूत बाजारों में उनकी वस्तु की बिक्री के लिए बाध्य करती हैं। जांच अवधि के बाद के आयातों से पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद दक्षिण अफ्रीका से आयातों में भारी वृद्धि स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है।ऐसे मामलों में पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने पर आयातों में और अधिक वृद्धि होने की आशंका है। इसके अलावा यदि आयातों में पहले से दर्ज स्तर से अधिक वृद्धि नहीं होती है तो यह देखा जाएगा कि आयातों की मात्रा कम से कम 19,000 मी.ट. के आस-पास रहेगी जिसका अर्थ भारतीय मांग का 7 प्रतिशत होगा।

x. उत्पादक फेनोल के विनिर्माण के लिए नए संयंत्र स्थापित कर रहे हैं और इस प्रकार अपनी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा, 2011 वर्ल्ड मार्केट आउटलुक और 2016 तक के पूर्वानुमान के अनुसार जिसे पहले ही याचिकाकर्ताओं ने याचिका के भाग के रूप में प्रस्तुत किया है, संबद्ध देश में उत्पादकों के पास फेनोल की क्षमता लगभग 40,000 मी.ट. है। इसके अलावा निरंतर आयातों और पाटनरोधी

शुल्क के लागू होने के बावजूद उत्पादकों की भागीदारी नहीं होने से संकेत मिलता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होता है तो संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा में निश्चित रूप से और वृद्धि होगी ।

xi इस दलील के संबंध में कि दक्षिण अफ्रीका की कुल क्षमता भारत की मांग को पूरा नहीं कर सकती है, यह बताया गया है कि निर्णायक समीक्षा जांच में पाटन और क्षति की संभावना के निर्धारण हेतु कोई तयशुदा मापदंड नहीं है। यद्यपि, वर्तमान अवधि के दौरान दी गई आयातित मात्रा की किसी स्थिति में अतिरिक्त क्षमता शून्य या कम पाटन के लिए संगत है, परंतु यह दर्शाती है कि यदि दक्षिण अफ्रीका के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं भी है तो घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति होने पर भारी क्षति का सामना करना पड़ेगा ।

xii. ऐसी स्थिति में जबकि पाटन काफी हद तक जारी है और जहां घरेलू उद्योग पहले ही निरंतर क्षति उठा रहा है, याचिकाकर्ता अनुरोध करते हैं कि यह अपने आप में आशंका का सबसे बड़ा साक्ष्य है। यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होता है तो घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में और गिरावट आ जाएगी ।

xiii. यह तर्क देना हास्यास्पद है कि यह सिद्ध करना जरूरी है कि संबद्ध देश के पास देश की पूरी मांग को पूरा करने की क्षमता है । फेनोल के इतिहास में वैश्विक बाजार में मांग और आपूर्ति के अंतर को देखते हुए विभिन्न स्रोतों से पाटन हुआ है । संबद्ध देश से भारत में आयात पाटित कीमतों पर बढ़े हैं और संबद्ध देश से तीसरे देशों को फेनोल के निर्यात भी पाटित कीमतों पर किए गए हैं । यह बात पाटित वस्तुओं के लिए संबद्ध देश में उत्पादकों की प्रवृति को दर्शाने के लिए पर्याप्त है ।

xiv. सभी पूर्ववर्ती जांचों में भारी पाटन की मौजूदगी सिद्ध की गई है । आशंका भारतीय बाजार के कीमत आकर्षक होने के आधार पर और बलवती हो जाती है । निर्यातोन्मुख उत्पादकों और निर्यातकों ने नए और मौजूदा बाजारों की ओर देखना शुरू कर दिया है । भारत में फेनोल की बढ़ती हुई मांग और बाजार के अच्छे अवसर से भारत में निर्यात के लिए उत्पादक सह निर्यातक आकर्षित हुए हैं जिससे आयातों में जबरदस्त वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग काफी संवेदनशील स्थिति में है और शुल्क समाप्त होने से घरेलू उद्योग की स्थिति में और विकृति आएगी।

xv. हाल में की गई मध्यावधि समीक्षा से यह पता चला है कि दक्षिण अफ्रीका के निर्यातों को यदि भारत में लाया गया तो उससे सकारात्मक पाटन मार्जिन, कीमत कटौती और क्षति मार्जिन होगा । इस प्रकार सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग को दक्षिण अफ्रीका से पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने पर क्षति होने की संभावना है ।

xvi इस दलील के संबंध में कि अधिशेष क्षमता की मौजूदगी डी जी ए डी और सेस्टेट के अनुसार पाटन की संभावना नहीं हो सकती है, यह बताया गया है निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्णायक समीक्षाओं में ऐसी अनेक अंतिम जांच परिणाम हैं जिनमें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भारी अधिशेष क्षमताओं के आधार पर पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाया है ।

ट.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

73. नियमों में प्राधिकारी के लिए शुल्कों को हटाए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करना अपेक्षित है ।

74. पूर्ववर्ती खंडों की जांच से पता चलता है कि दक्षिण अफ्रीका से जांच अवधि के दौरान वस्तुओं का पाटित कीमतों पर आयात किया जा रहा है और घरेलू उद्योग को संबद्ध देश सहित अनेक देशों से पाटित या कथित पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु की भारी मात्रा में आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है । <u>इस तथ्य पर विचार करते हुए कि दक्षिण अफ्रीका से संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन मूल तथा वर्तमान जांच में अधिक पाया गया था और यह कि भारतीय बाजार में जहां तक संबद्ध वस्तु की मांग का संबंध है, अनुकूल बाजारी स्थितियां विद्यमान हैं, यह मानने का तर्कसंगत आधार है कि यदि शुल्क हटाया गया तो पाटन के जारी रहने की आशंका है । आयात कीमतों के वर्तमान स्तर और घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर उद्योग को भारी वित्तीय घाटा उठाना पड़ता है क्योंकि वह पूरी लागत वसूल नहीं कर सकता है । अत: यदि वर्तमान पाटित कीमत स्तर पर संबद्ध देश से पाटन जारी रहते हैं तो इस बात का युक्तिसंगत संकेत है कि घरेलू उद्योग को क्षति भी जारी रहेगी ।</u> तथापि, पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच में निम्नलिखित कारकों पर विचार किया गया है।

(i) <u>वर्तमान और पूर्ववर्ती पाटन मार्जिन का स्तर</u>

75. मूल तथा वर्तमान जांच, दोनों में पाटन मार्जिन का सतर काफी अधिक है । घरेलू उद्योग के पास मांग को पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पाटित कीमतों पर अब भी जारी हैं । समीक्षा अवधि के दौरान दक्षिण अफ्रीका से आयात कीमतों के पाटनरोधी शुल्क के बिना की गई कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री का स्तर काफी अधिक रहा है जिससे संकेत मिलता है कि यदि शुल्क हटाया जाता है तो आयात कीमतों से घरेलू कीमतों में काफी हद तक कटौती जारी रहेगी।

(ii) भारतीय बाजार की आकर्षक कीमत

76. वह कीमत जिस पर विभिन्न देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया जा रहा है, दर्शाती है कि भारतीय बाजार कीमत संवेदी है और वैश्विक उत्पादक अपने पास उपलब्ध अधिशेष क्षमताओं के साथ बिक्री के लिए बाजार को आकर्षक पाएंगे । अनेक देशों के विरूद्ध शुल्क के बावजूद ये कीमत स्तर बने हुए हैं अत: पर्याप्त संभावना है कि संबद्ध देश से आयात इसी प्रकार की कीमत पर होंगे जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान होगा ।

(iii) विदेशी उत्पादकों की अधिक क्षमताएं और उनका निर्यातोन्मुख होना

77. दक्षिण अफ्रीकी उत्पादकों/निर्यातकां की क्षमता और बिक्री संबंधी उपलब्ध सूचना से ऐसा लगता है कि संबद्ध देश के पास घरेलू मांग से अधिक क्षमता है और निर्यात के लिए काफी मात्रा उपलब्ध है और वास्तव में अन्य देशों में भारी निर्यात किया गया है । भारत में संबद्ध वस्तु की उच्च मांग और अनुकूल बाजार दशाओं को देखते हुए तथा दक्षिण अफ्रीकी उत्पादकों की उत्पादन क्षमता और निर्यातोन्मुख होने पर विचार करते हुए यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को हटाया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि भारत में संबद्ध वस्तु की काफी मांग को दक्षिण अफ्रीकी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा पूरा किया जाएगा ।

78. उक्त जांच से सकारात्मक संकेत मिलता है कि दक्षिण अफ्रीका से पाटित कीमतों पर निर्यात के जारी रहने की संभावना है और ऐसे पाटित आयातों द्वारा उनकी कीमत या अन्य पाटित आयातों के साथ संचयी रूप से मात्रात्मक प्रभाव के जरिए घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी रहने की आशंका है ।

(iv) क्षति और क्षति मार्जिन की मात्रा

79. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-।।। के अनुसार प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की क्षति रहित कीमत की तुलना जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देश से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है और मासिक विश्लेषण के आधार पर इस प्रकार ज्ञात प्रस्तावित क्षति मार्जिन निम्नानुसार है :-

विवरण	माप की इकाई	पी ओ आई
क्षति रहित कीमत	रु./मी.ट	****
पाटनरोधीशुल्क के बिना पहुंच मूल्य	रु./मी.ट	****
क्षति मार्जिन	रु./मी.ट	****
क्षति मार्जिन	अम.डॉ./मी.ट.	****
क्षति मार्जिन	%	****
क्षति मार्जिन (रेंज)	%	20 - 30

80. प्राधिकारी उक्त आंकड़ों से नोट करते हैं कि जांच अवधि में निर्धारित पाटन मार्जिन न केवल सकारात्मक है बल्कि काफी अधिक भी है ।

ठ. पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना संबंधी निष्कर्ष

81. उक्त जांच से पता चलता है कि संबद्ध देश से भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुएं पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रही हैं और संबद्ध देश सहित अनेक स्रोतों से पाटित आयातों के संचयी प्रभावों के कारण घरेलू उद्योग वास्तविक क्षति उठा रहा है । जांच से यह भी पता चलता है कि यदि शुल्क हटाया जाता है तो संबद्ध देश से पाटन के जारी रहने की संभावना है क्योंकि संबद्ध देश में बाजार की स्थिति और उपलब्ध क्षमता काफी अधिक है । परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति जारी रहने की संभावना है ।

ड भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे :

82. सामान्यत: पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में समान अवसरों वाली स्थिति सृजित करके खुली और उचित प्रतियोगिता की स्थिति पुन: स्थापित की जा सके जो देश के सामान्य हित में है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लागू करना संबद्ध देश से आयातों को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करेगा और इसलिए उपभोक्ता को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं करेंगे । दूसरी ओर, यदि पाटित आयातों द्वारा की गई विकृति को सुधारा नहीं जाएगा तो इससे घरेलू उतपादन आधार समाप्त हो सकता है और विदेशी उत्पादकों द्वारा पश्चवर्ती

कीमत वृद्धि हो सकती है जिससे प्रयोक्ता उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ढ. सिफारिशें

83. प्राधिकारी ने वर्तमान पाटन, क्षति और पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणत्मक संबंध और निर्धारित नियमावली के अनुसार शुल्क वापस लेने की स्थिति में संबद्ध देशों से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना की जांच की शुरूआत की और जांच को संचालित किया। पूर्वोक्त पैराग्राफों से यह स्पष्टत: सिद्ध होता है कि संबद्ध देश से निरंतर संबद्ध वस्तु का पाटन हुआ है और पूर्ववर्ती वर्षों में बेहतर कार्य निष्पादन के बाद इस अवधि के दौरान संबद्ध देश सहित अनेक स्रोतों से पाटित आयातों के संचयी प्रभावों के कारण जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। जांच से यह भी पता चलता है कि यदि शुल्क को हटाया जाता है तो संबद्ध देश से पाटन के जारी रहने की स्पष्ट संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होगी।

84. अत: प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देश से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने के विरूद्ध घरेलू उद्योग के संरक्षण और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति से संरक्षण के लिए लागू शुल्को को जारी रखने की आवश्यकता है। तदनुसार प्राधिकारी उन्हें लागू किए जाने की तारीख से 5 वर्ष की आगामी अवधि के लिए वर्तमान जांच अवधि हेतु परिकलित पाटन तथा क्षति मार्जिनों के अनुसार, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर निश्चात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करते हैं। प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित तालिका में वर्णित ढंग और तरीके से प्राधिकारी इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम मार्जिन के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके।

क्र.सं.	टैरिफ मद का उप शीर्ष	वस्तु का विवरण	विर्निदेशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क तालिका	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	*2907.11* **और** *2707.60*	फेनोल	बल्क और/अथवा पैक्ड	दक्षिण अफ्रीका	कोई	कोई	कोई	342.76	मी.ट.	अम.डॉ.
2	कोई	कोई	कोई	ऐसे देशों जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है से इतर कोई देश	दक्षिण अफ्रीका	कोई	कोई	342.76	मी.ट.	अम.डॉ.

आगे की प्रक्रिया

85. इस सिफारिश के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेशों के विरूद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सेस्टेट) के समक्ष की जाएगी।

जे.के.दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2015

Final Finding

Subject: Sunset Review (SSR) anti-dumping investigation concerning imports of Phenol originating in or exported from South Africa.

No.15/21/2013DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. Background of the Case

1. The Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, had initiated the original investigation concerning imports of Phenol (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from European Union, South Africa and Singapore vide Notification No.14/4/2002-DGAD dated 15th February, 2002. The Designated Authority vide Notification No.14/4/2002-DGAD dated 24th June, 2002 notified the Preliminary Findings recommending provisional anti dumping duties. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide Notification No.14/4/2002-DGAD dated 13th February, 2003, recommending imposition of definitive duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from European Union, South Africa and Singapore. Definitive anti-dumping duties were imposed by the Department of Revenue vide Notification No.47/2003-Customs dated 24th March, 2003.
2. A Mid-Term Review investigation was conducted and the Final Finding Notification was notified by the Authority vide Notification No.15/4/2006-DGAD dated 13th July, 2007 recommending continuation of definitive anti dumping duty, on all imports of subject goods originating from Singapore, South Africa and European Union with change in the form of duty by imposing fixed amount of duty. The Department of Revenue imposed the definitive anti dumping duties on the subject goods vide Notification No.98/2007-Customs dated 31.08.2007.
3. The first Sunset Review investigation was initiated on 10th August, 2007. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide Notification No.15/9/2007- DGAD dated 4th August, 2008 recommending continuation of same anti dumping duty on the imports of subject goods from European Union and Singapore and revised definitive anti dumping duty on imports of subject goods from South Africa. On the basis of the recommendations made by the Authority, definitive anti dumping duties were imposed by the Department of Revenue vide Notification No.114/2008- Customs dated 31st October, 2008.
4. The second Mid-term review was initiated by the Authority vide Notification No. 15/16/2011-DGAD dated 8th December, 2011 in respect of imports of Phenol originating in or exported from European Union, South Africa and Singapore. The Final findings in the second MTR investigation were notified by the Authority vide Notification No.15/16/2011-DGAD dated 6th February, 2013, recommending continuation of anti dumping duties with respect to imports from South Africa and recommending withdrawal of duties on imports of subject goods from Singapore and European Union. On the basis of recommendations made by the Authority the Department of Revenue continued the imposition of anti dumping duties on imports of subject goods from South Africa and withdrew anti dumping duties from Singapore and European Union vide Notification No.10/2013-Customs (ADD) dated 3rd May, 2013
5. The Designated Authority initiated the present review investigation vide Notification No.15/21/2013-DGAD dated 28th October, 2013 in respect of imports of Phenol originating in or exported from South Africa (hereinafter referred to as subject country)
6. M/s Hindustan Organic Chemicals Limited (hereinafter also referred to as HOCL), supported by M/s SI Group India Ltd (hereinafter also referred as SI Group), filed a duly substantiated application before the Designated Authority, alleging likelihood of continuation of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry and have requested for review, continuation and

enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

7. In view of the duly substantiated application filed on behalf of the domestic industry and in accordance with section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated a sunset review investigation vide Notification No. 15/21/2013-DGAD dated 28th October, 2013 to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The duty was extended by the Department of Revenue till 30th October 2014.

8. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

B. Procedure

9. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:

i. The Embassy of the subject country in New Delhi was informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2).

ii. The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known exporters and the Embassy of the subject country in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non- confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.

iii. The Authority forwarded a copy of the public notice to Merisol, South Africa, the only known manufacturer/exporter in South Africa (whose name and address was made available to the Authority by the petitioner) and provided opportunity to make its views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4).

iv. M/s Merisol RSA Pty Ltd., the known producer/exporter from South Africa, filed an Exporter's Questionnaire response as an interested party to the investigation. However, subsequently, M/s ELP, Mumbai, the authorized representative of M/s Merisol in India vide their letter dated 18.6.2014 had informed the Authority about the withdrawal of Merisol from the investigation as an interested party due to commercial considerations.

v. The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known importers/consumers (whose names and addresses were made available to the authority by the applicants) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(4):

a. M/s C.J. Shah and Company, Mumbai

b. M/s Haresh Kumar & Co, Mumbai

c. M/s PCL Oil Industries, New Delhi

d. M/s Kantilal Manilal & Co. Pvt. Ltd.

e. M/s Sonkamal Enterprises, Mumbai

f. M/s Khetan Brothers, Mumbai

g. M/s Shubham Dyes & Chemicals Limited, Delhi

h. M/s Acron Enterprises, Gujarat.

i. M/s Naiknavare Chemicals Limited, Mumbai

j. M/s Paras Dyes & Chemicals, New Delhi.

k. M/s Torrent Pharmaceuticals Limited, Gujarat.

l. M/s United Phosphorous Ltd., Mumbai

m. M/s Resins and Plastics Ltd.

n. M/s Kailash Polymers, New Delhi

o. M/s Centrum Metalics Pvt. Ltd, Mumbai

p. M/s Wonder Laminates Pvt. Ltd, Kolkata

q. M/s Meghdev Enterprises, Ahmedabad

r. M/s Satguru International, New Delhi

s. M/s High Polymer Labs Ltd, New Delhi

t. M/s Rainbow Colours & Chemicals, Gujarat.

u. M/s Bleach Marketing Pvt. Ltd.

v. M/s Karmen International (P) Ltd., Chennai.

w. M/s Krishna Antioxidants Pvt. Ltd, Mumbai

x. M/s NGP Industries Ltd, New Delhi

y. M/s Farmson Pharmaceutical Gujarat Ltd,

z. M/s India Glycols Ltd., New Delhi

aa. M/s Singh Plasticisers and Resins (I) Pvt., New Delhi

bb. M/s National Plywood Industries Ltd, Kolkata

cc. Kundan Rice Mills Ltd, New Delhi

vi. Only one of the importers of the subject goods i.e. M/s Eximcorp India Private Limited has filed a response in this matter.

vii. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review investigation was 1st April, 2012 to 31st March, 2013 (POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods April 2009-March, 2010, April 2010-March 2011, April 2011-March 2012 and the POI.

viii. Transaction wise imports data for the period of investigation and preceding three years was, procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), has been relied upon for the analysis in present SSR investigation.

ix. Exporters, producers, importers and other interested parties who have neither responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation have been treated as non-cooperating interested parties by the Authority.

x. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).

xi. The Authority has examined the information furnished by the domestic producers to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Rules to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xii. The Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in public hearings held on 26.06.2014. All the interested parties attending the hearings were requested to file written submissions/rejoinders of the views expressed orally.

xiii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation have been examined and addressed in this finding.

xiv. The Department of Revenue vide their OM No.354/124/2012-TRU (Pt-III) dated 7.11.2014 extended the time period to complete the investigations up to 27.4.2015.

xv. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied upon which these findings are based. The Authority conducted on-the-spot verification at the premises of the domestic industry to the extent considered relevant and necessary. Additional/supplementary details regarding injury were sought from the domestic industry, which were also received.

xvi. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xvii. In accordance with the Rules the Authority issued a disclosure statement containing all essential facts of the case on 20.04.2015 for the comments of the interested parties. The comments of the interested parties, to the extent

they are relevant have been addressed in this finding in appropriate places.

xviii. *** in this finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xix. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.54.70 = 1US$.

C. Scope of Product under consideration and like article

C.1 Submissions made by the Domestic Industry

10. Following are the submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article:

i. Phenol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The product is marketed in two forms- bulk and packed. Bulk sales are normally in loose form, whereas packed consignments can be of much smaller container loads and generally packed in drums. Phenol is used in Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl Oxide, etc. This product is classified under Customs Tariff heading no. 29071110. The Customs and ITC HS classifications are, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

ii. No significant development has taken place over the period with regard to product under consideration.

iii. The goods produced by the domestic industry are like article to the imported product in terms of parameters such as physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification.

C.2 Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

11. No relevant submission has been made by the producers/exporters/ importers/other interested parties with regard to the scope of the product under consideration (PUC) and like article.

C.3 Examination by the Authority

12. The product under consideration, as in the original investigation, as also in the present sunset review application is Phenol. As per the original investigation carried out by the Designated Authority the product has been defined as under:

"The product under consideration is Phenol originating in or exported from Singapore, South Africa and European Union. Phenol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The product is marketed in two forms- bulk and packed. Bulk sales are normally in loose form, whereas packed consignments can be of much smaller container loads and generally packed in drums. Phenol is used in Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl Oxide, etc. This product is classified under Customs Tariff heading no. 2907.11 and 2707.60 as per Indian Trade Classification. The Customs and ITC HS classifications are, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation."

13. The petitioners have claimed that the product produced by them is a like article to the product imported from the subject country in terms of physical and technical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable, and consumers use the two interchangeably. Subject goods produced by the petitioners are being treated as 'like article' to the goods being imported from the subject country for the purpose of the present review investigation. Further, none of the interested parties have made any relevant submissions requesting for change in the scope of the product under consideration.

14. This being the sunset review investigation, the Authority holds that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as that of the original investigation.

D. Domestic Industry and Standing

D.1 Submissions by the Domestic Industry

15. The following are the submissions made by the domestic industry with regard to scope of the domestic industry and standing:

i. The scope of domestic industry and standing are not relevant in a sunset review.

ii. The petitioners M/s Hindustan Organic Chemicals Limited and SI Group India Ltd. are the only producers of Phenol in the country.

iii. The production by the petitioners constitutes 100% of the total Indian production.

iv. The petitioners are multi product companies.

v. The petitioners have not imported the subject goods from the subject country. They are neither related to the exporters of the product under consideration from the subject country nor related to the importers of the subject goods from the subject country.

D.2 Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

16. No relevant submission has been made by the producers/exporters/ importers/other interested parties with regard to scope of domestic industry and standing.

D.3 Examination by Authority

17. The petition has been filed by M/s Hindustan Organic Chemicals Limited and supported by SI Group India Ltd. It is noted that the Petitioners are the only producers of the product concerned in India and therefore, account for total Indian production. Further, the Petitioners have not imported the subject goods from the subject country and are not related to either the importers or exporters of the product under consideration from the subject country. The Authority, therefore, holds that the petitioners constitute Domestic Industry within the meaning of the Rules for the purpose of examination of injury and have the standing to file this application for review.

E. Miscellaneous Submissions

E.1 Miscellaneous submissions made by the producers/exporters/importers and other interested parties

18. The following miscellaneous submissions have been made by the responding importer of the subject goods as an interested party:

i. The duty cannot be reviewed after it has lapsed on 30th October, 2013. Therefore, extension of duty, vide Customs Notification No.29/2013 dated 12th November, 2013 is illegal.

ii. SI Group has shown positive growth while HOCL's condition has deteriorated. Imports cannot affect just one producer.

iii. The duty has been imposed on the domestic industry almost 12 years since 2002. If during this time also the domestic industry has not been able to recover, then it needs to show that how does it intend to do in the future.

iv. HOCL is completely sick due to mismanagement.

v. HOCL is unable to operate as the finance generated is eaten up by many closed line of production.

vi. The Indian Express report provided that there was a temporary shutdown due to dearth of raw materials, high stock and no off take of its chemicals including Phenol and Acetone. There is immediate need of Rs.150 crores for revival of the units. Any anti dumping duty will hardly help in bringing the plant into operation. Non-receipt of funds will result in permanent shutdown of the unit.

vii. The situation of a recent case of Sodium Tri Poly Phosphate from China PR applies in the present case. In the present case, HOCL has not disclosed the fact that it is not operating the plant for a considerable period but is asking for duties. This is a violation of natural justice.

viii. The users are forced to bear extra cost due to closure of HOCL and SI Group will be shielded from international competition and earn unjustified extra profit at the expense of small Indian users of the subject goods.

ix. The Authority has provided in some of its own final findings that the duty should not continue beyond 10 years.

x. The respondent is not related to the South African producer. In such a situation it is unable to comment on the non-cooperation of the South African producer.

xi. It is naïve for the petitioner to come now before DGAD when in each of the previous cases it never appealed against the quantum of duty determined by the DGAD and approved by the Ministry of Finance.

xii. Petitioner failed to apply for enhancement of anti dumping duty in a mid-term review. Petitioner cannot be allowed to now rely on its mistake and make a claim during sunset review.

E.2 Miscellaneous submissions made by the domestic industry

19. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

i. As regards the expiry of duty is concerned it is submitted that it wasn't illegal. The DGAD has in the past extended the duties, in a similar manner, in various cases and it is a consistent practice. In cases such as Diclofenac Sodium from China PR, Pentaerithrytol from Chinese Taipei and many others such approach has been found.

ii. Both HOCL and SI Group are suffering. The Designated Authority may examine injury statements of the two companies. In any case, the Designated Authority is required to examine injury to the domestic industry by considering

both the domestic producers.

iii. Despite anti-dumping duties, the domestic industry has been suffering from unfair competition from one source or the other. This is because of significant surplus in global market and the ability of the global producers to dump the goods. The present petition is for continued imposition of anti dumping duties and the concern of the petitioners is with regard to dumping of the product in the country. Further, the investigation conducted so far by the Designated Authority relating to Phenol and Acetone establishes dumping in a large number of cases on the basis of questionnaire responses that have been filed by the exporters. In other words, the dumping margin established in a large number of cases are on the basis of admission of discriminatory price at which goods have been sold by the foreign producers. Thus, these foreign producers must explain their behavior and inform the authority about the reasons for exporting the subject goods at a discriminatory price to the Indian market.

iv. Anti Dumping law is for removing unfair trade practice and providing a level playing field to the domestic industry. The Authority recommends anti dumping duty only after following the requirements prescribed under the laws.

v. Even if it is considered that production of HOCL suffered partly on account of non-availability of raw material, the same does not address the adverse price effect of dumped imports on the domestic industry. In fact, in a situation of low production, the company should have been in a position to sell the product at more than the fair price. Thus, the adverse price effect is on account of dumped imports and not on account of lower production. Further, dumping of the product for a long period is preventing the domestic industry from generating sufficient funds for fresh investment and it is one of the principal causes of the overall deterioration in the performance of the domestic industry.

vi. The same Indian express report which has been referred to by the respondents, discusses the situation being so due to the import of large quantities of the subject goods from countries such as South Africa.

vii. Further, HOCL suspended the production because of intensified dumping of the product which has made its current operations totally unviable. HOCL has not completely gone out of business and it has merely suspended the production. In fact, this fact further supports the contention of the domestic industry that dumping of the production in the country is required to be prevented in order to allow domestic industry a fair market situation.

viii. The petitioner is owned and controlled by the Ministry of Chemicals and Fertilizers and therefore as the owner of the company, the Ministry of Chemicals is entitled to take up the case of the domestic industry before the competent Authority. This, however, cannot be termed as interference as founded by the Hon'ble CESTAT in the stated case. Furthermore, the submissions by Ministry of Chemicals are based on facts.

ix. The facts and circumstances of the case of Sodium Tripoly Phosphate were different and do not apply in this investigation. In the present case one of the domestic producers has shut-down temporarily, in the other case the sole domestic producer has stopped the production.

x. HOCL has only suspended the production temporarily. Further, even in case one of the producers has permanently closed down, the petitioners are entitled to seek protection under the law. Mere imposition of anti dumping duty does not imply that a company is shielded from international competition or unjustified extra profits. Further the Designated Authority has repeatedly held that:

> *The purpose of anti dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in general interest of the country. Imposition of anti dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.*

xi. With respect to the argument that the respondent cannot comment on the non-cooperation of the South African producer since they are unrelated, the petitioner submits that this is evasion of the issue. However, it may be noted that M/s Merisol is the sole producer and has been a part of previous investigations. It's non-participation herein despite rising imports from South Africa indicates that they are unaffected by the anti-dumping duties or the situation (Demand-supply gap) is such that they are ready to export the subject goods in any situation, with duty or without duty to utilize their capacity.

xii. Merely because the Designated Authority has not admitted the claim in the past, it does not imply that the petitioners should forego its right to request the Authority to consider their claim. There are already eight petitions pending in Delhi High Court which clearly establishes the grievances of Indian manufacturing sector against the Non Injurious Price Law.

xiii. As regards the argument that the domestic industry failed to apply for enhancement of anti dumping duty, it is submitted that there is no such need in a sunset review.

E.3 Examination by the Authority

20. The Authority has examined the miscellaneous submissions as follows:

i. As regards the contention of the interested parties that duty cannot be reviewed after it has lapsed and that the extension of duty in this case being illegal the Authority notes that the present investigation was initiated prior to the expiry of the duty. Extension of the anti dumping duty after initiation of sunset review investigation has been done by the Department of Revenue in accordance with the Rules as has been done in all such cases. The Ministry of Finance, in its recent circular as quoted below, has further clarified the issue justifying the continuation of duty:

"From a plain reading of this provision it is evident that definitive/final anti-dumping duty can be collected only for a period of five years from the date of its imposition. Generally by virtue of sub-section (2) of section 9A of the Customs tariff Act, 1975, the anti-dumping duty levied in pursuance of final findings of the Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties (DGAD) is effective for a period of five years from the date of imposition of provisional duty except in cases where the DGAD initiates a review before expiry of such five year period. In cases where the DGAD has not initiated any sunset review before the expiry of aforesaid five years, no anti-dumping duty can be collected beyond the period of five years from the date of its imposition."

ii. The Authority further notes that the matter is sub-judice and under the consideration of the Hon'ble Supreme Court of India.

iii. As regards the submission that imports cannot affect just one producer, considering that SI Group has shown positive growth the Authority notes that the Rules require injury examination of the domestic industry as a whole. Even a standalone examination of the performance of SI Group indicates deterioration of its performance during the POI.

iv. As regards the contention that antidumping duty has been imposed for nearly 12 years and till date the Domestic Industry has not shown any signs of recovery the Authority notes that the data indicates that during the injury investigation period of this investigation, except the POI the domestic industry was making significant profits from the product under consideration. Therefore, the contentions of the interested parties that the domestic industry did not show any sign of recovery is not correct.

v. The Authority also notes that in a few mid-term review investigations concerning imports of Phenol from some countries, the Authority had recommended revocation of antidumping duty after objective assessment of various aspects of the cases.

vi. As regards the submission that HOCL has been declared sick in the past, the Authority notes that HOCL has been classified as a sick company since 2005. However, it has also made profits thereafter. The Authority will however, examine the injury if any, caused by the dumped imports, irrespective of the fact whether HOCL was a sick company due to other reasons without attributing injury caused by the other factors to dumping. Moreover, the Authority has also examined whether SI Group is also suffering injury on standalone basis.

vii. As regards the contention that HOCL is unable to operate as the finance generated is eaten up by many closed lines of production, the Authority has examined whether the adverse price effect on HOCL is on account of dumped imports and not on account of lower production.

viii. As regards the contention that HOCL is shut-down and anti dumping duty will hardly help in bringing the plant into operation, the Authority notes that the production facilities of HOCL were temporarily shut down allegedly because of significant dumped imports from various sources. Such temporary shutdown does not warrant closure of investigation. The other domestic producer i.e., SI Group was in production and apparently suffered injury also. Imposition of anti dumping duty is intended to provide a level playing field against unfair trading and to enable the domestic industry to revamp itself.

ix. As regards the contention that the Administrative Ministry's influence is being used by the domestic industry the Authority notes that being the owner and controller of one of the constituents of the domestic industry, the Ministry of Chemicals is entitled to present its views in the matter as an interested party in the matter. The proceedings before the Authority are quasi judicial in nature and has to take into consideration all material facts placed before it in an unbiased and objective manner within the framework of the Law.

x. As regards the argument that users are forced to bear extra cost due to closure of HOCL and SI Group will be shielded from International competition and earn unjustified extra profit at the expense of small Indian users of the subject goods, the Authority notes the purpose of anti dumping law is not to shield the domestic industry from international competition. It is reiterated that the purpose is to provide a level playing field against unfair trade practices by foreign producers.

xi. As regards the contention that the Authority has provided in some of its own final findings that the duty should not continue beyond 10 years, the Authority notes the same to be irrelevant if injurious dumping persists.

xii. As regards the contention that domestic industry has never appealed against the quantum of duty determined by DGAD in the past or approached for MTR, the Authority notes that the same does not preclude the domestic industry in any manner from approaching the Authority for continuation of duties.

E.4 Post Disclosure Submissions

21. In their respective post disclosure submissions the interested parties have inter alia reiterated their stands taken during the investigation in their earlier submissions. For the sake of brevity such issues have not been repeated and other submissions made by the parties, to the extent they are relevant, and backed by material facts on record, have been addressed in the relevant sections in this finding.

Post Disclosure submissions of M/s Eximcorp

22. M/s Eximcorp has *inter alia* argued as follows:

i. That review conducted by the DA shall be concluded within a period not exceeding 12 months from the date of initiation of review. In the present case, such period of 12 months already expired on 28th October, 2013. Therefore, the continuation of such review is illegal.

ii. That in the facts of present case, there is no possibility of existence of special circumstances, which necessitated the DA to request for extension of time for further six months. First proviso to Rule 17(1) of Anti-Dumping rules has to be strictly construed and not used as a general practice.

iii. Disclosure statement has been issued in violation of principles of natural justice as only Partial disclosure of relied upon information has been made with inadequate opportunity of hearing to comment upon the partial disclosure of unreliable information.

iv. That it cannot be known from the import statistics, how the Designated Authority sorted out the imports statistics and whether the data provided is raw import data or sorted import data, after due consultation with DGCI&S.

v. That the Designated Authority has also provided the raw material prices adopted to 'illegally construct' the normal value for South Africa. But the table provided by the Designated Authority is insufficient as the basis/supporting documents for preparing such table has not been provided.

vi. It is not known from the summary what were the terms of transactions, volume, FOB/CIF, credit terms, level of trade, with related parties or not, etc. It is already held by the Hon'ble Tribunal and upheld by the Hon'ble Supreme Court that reliance on such unreliable data from International journals is illegal.

vii. Eximcorp requested for other relied upon documents such as verification report, comments on verification report, communications with domestic producers, additional/supplementary information sought by the Authority and reply thereof.

viii. Eximcorp submits that the Designated Authority has not complied with principles of natural justice by providing all the relied upon documents and evidences as well as providing inadequate opportunity of hearing to Eximcorp to offer its comments. Eximcorp requests the Designated Authority to provide adequate opportunity of hearing as well as all the required documents before proceeding further.

ix. That the Treaty obligations refer to and are confined to only external contents of any such municipal law arising out of the Treaty or ADA. Thus, the obligation to hold the data of the exporters can alone be subject matter of confidentiality. The data of the importers or domestic industry cannot be a subject matter of confidentiality, that too on the basis that the data of domestic industry are used to inflict and impose anti-dumping duty on importers and thus cannot be withheld from the affected parties. In short, the DA has no obligation to the domestic industry to withhold its data from the importers. As a result, the DA is not

prohibited from publishing the data on NIP, landed cost and injury. All that the DA is prohibited is to publish the data of an exporter, which in this case is absent entirely. So, there is no part of Disclosure that can be classified as confidential.

x. That the disclosure statement issued by DA is unreasoned as it does not examine the issues raised by Eximcorp and give any reasons for rejecting the submissions made by Eximcorp through its letter dated 19.03.2015.

xi. That the subject product is manufactured along with another product – Acetone. Both the products require same raw **material** and go through the same production process. As a result, Eximcorp raised the following two queries, which have also not been considered by the DA:

a. Whether the cost including depreciation cost has been shown only for the product concerned, that is, Phenol or whether cost for Acetone and Phenol has been taken together?
b. Whether the demand for Acetone has had any effect on production of Phenol and whether production of Phenol can be changed in response to change in demand in Acetone?

xii. That the performance of the applicant domestic producer was impacted because of closure of Kochi plant of HOCL. However, same has not even been noted by the Authority.

xiii. That the following submissions, which have not at all been examined by the DA, though the same have been noted in the disclosure statement:

a. Requirements of Rule 23(1B) of Anti-Dumping Rules have not been met with respect to "duly substantiated petition"
b. Issues regarding determination of non-injurious price
c. Issue of old depreciated plants affecting the domestic industry
d. Price not a determining factor for Phenol
e. Examination of increase in salary & wages as well as power consumption
f. Use of LSFO instead of LNG as fuel resulted in extra-ordinary expenses, as reported in the Annual Report of HOCL, which should have been excluded in the determination of non-injurious price

xiv. That in spite of repeated submissions on various aspects of determination of non-injurious price, including return on capital employed the DA has simply reiterated the principles enunciated at Annexure III to the Anti-Dumping rules for determining non-injurious price without addressing the issues.

xv. That sub-para (iii) of para (4) of Annexure III to AD Rules requires the Designated Authority to consider the best capacity utilization over the past three years and period of investigation, while arriving at the non-injurious price. As has been submitted above, in the past three years, applicant domestic industry had the best capacity utilization of 108.89% in the year 2011-12. It cannot be ascertained from the Disclosure Statement whether the Designated Authority took into consideration the best capacity utilization during the injury period, that is, 108.89% for the purposes of determining non-injurious price.

xvi. Similarly, sub-para (ix) of Para (4) of Annexure III to AD Rules provides that while examining the reasonableness of interest cost, details of term loans, cash credit limits, short term loans, deposits and other borrowings taken by the company needs to be examined in detail. It is not known whether the Designated Authority took into consideration the loans taken by applicant domestic industry and whether only those loans that relate to or may be apportioned to subject product were taken into account while determining non-injurious price.

xvii. DA is not expected to apply a strait jacket formula while determining non-injurious price. If there are other factors, which have been brought to the notice of the DA, then it is imperative for DA to examine such factors or at least seek clarifications on the same, if the information available seems insufficient or incomplete. But in no case, the DA can disregard the submissions made by the interested parties.

xviii. DA has constructed the normal value for South Africa, a market economy country, by considering the costs of the Indian domestic producer. The methodology has been adopted from the petition filed by the Applicant domestic industry in a blind manner, without appreciating the fact that for market economy countries, normal value cannot be determined by considering the cost of domestic industry.

xix. That "best facts available" can be applied by the DA only when such application is done legally. Best facts available cannot be used to substitute the prevailing law. If a law does not permit any particular methodology, DA cannot replace such law and use the facts available. In view of the same, Eximcorp submits that the determination of normal value and the resultant dumping margin is illegal.

xx. That the extension of anti-dumping duty for a period of one year in the present case is a subject matter of writ petition W.P (C) 4633/2014 pending before Hon'ble Delhi High Court. Eximcorp submits that the DA shall not proceed until the disposal of the said writ petition.

xxi. That the DA has stated that it has examined whether SI Group is also suffering injury on standalone basis. However, from the injury analysis made by the DA, it is not possible to ascertain whether such an exercise was indeed done or not. If the DA has indeed done such an exercise, then Eximcorp submits that such standalone information may also be made available to interested parties.

xxii. That as may be seen from above, South African imports comprised of only 8-9% of total imports during the injury period. Increase in imports was mainly from countries against which investigation is under progress or other countries, not investigated so far. When it is abundantly clear that increase in imports was from countries other than South Africa, impact of such imports – which comprised of 91-92% of total imports, cannot be attributed to South Africa alone.

xxiii. That the DA should segregate the effect of other factors, including the imports from other countries, and then analyze the situation. Such an exercise is absent in the Disclosure Statement.

xxiv. That a likelihood determination under Article 11.3 entails an analysis of future events based on positive evidence available and as a result, the mere computation of a dumping margin will not discharge the burden required under Article 11.3. In the Disclosure Statement, there is no examination of post POI period altogether. In such a situation, the likelihood test done by the DA is flawed and incomplete; thus liable to be rejected.

xxv. That the DA is obliged to quantify the normal value and dumping margins in Rand only. Similarly, the DA is duty bound to quantify the NIP in INR only. By converting the Non Injurious Price from INR into Dollars, the non-injurious price is inflated, which results in higher injury margin and resultant anti-dumping duty.

Post Disclosure Submissions of Domestic Industry

23. The basis arguments/submissions of the Domestic industry has been summarized as follows:

a. The Authority has rightly held that since the only producer/exporter from the subject country who has filed questionnaire response has withdrawn from the investigation, the Authority is constrained to determine the normal values in the subject country on the basis of facts available, including the information contained in the petition of the domestic industry.

b. The Authority has rightly proposed to construct the normal value by considering the international price of major raw materials and the cost of production of the domestic producer, duly adjusted to include selling, general and administrative costs and a reasonable margin of profit.

c. The Authority has rightly proposed to consider the data from DGCI&S for determination of the export price considering all imports of the product under consideration in India. Price adjustments have been rightly made on the basis of claims made by the applicant domestic industry in view of the non-cooperation from the producer/exporters from South Africa.

d. As regards the contention that the Administrative Ministry's influence is being used by the domestic industry, while the Authority has already noted that being the owner and controller of one of the constituents of the domestic industry, the Ministry of Chemicals is entitled to present its views in the matter as an interested party in the matter and held that the proceedings before the Authority are quasi judicial in nature and has to take into consideration all material facts placed before it in an unbiased and objective manner within the framework of the Law; the domestic industry submits that there is no interference by the Ministry of Chemicals & Petrochemicals within the meaning of the word "interference" referred by the CESTAT in the matter of metcoke.

e. As regards the NIP, the domestic industry notes that the non-injurious price determined is grossly low and insufficient to protect the domestic industry. In particular, the Net Fixed Assets cannot form the basis for determination of profits when the original phenol-acetone plant set up by the domestic industry is already fully

depreciated. Further, the rules do not prescribe the quantum of reasonable profits that the Designated Authority should consider. Given the high age of the plant, the Designated Authority should consider higher rate of return for the domestic industry. It is without any rationality to grant 22% return to a brand new investment and 22% return on 20-50 years old investments.

f. The domestic industry wishes to refer to email dated 21st April, 2015 from the counsel for M/s Eximcorp India and submits as follows:

i. The writ petition has been filed before Delhi High Court by M/s.Century Plyboards. The company has not participated in the investigations being conducted by the Designated Authority and has now filed writ petition before High Court.

ii. While it is for the Designated Authority to clarify, the petitioners cross checked the disclosure statement with DGCI&S published data and found that the figures contained in the disclosure statement perfectly matched with the imports figures given in the DGCI&S published data which implies the Designated Authority adopted DGCI&S published data for determination. The domestic industry has not provided transaction by transaction DGCI&S import statistics to the Designated Authority in the present case. Therefore, the information is not required to be provided to the interested parties as this is not the information adopted for determination. However, if the Designated Authority has made available any information to the company in response to their mail, the same may kindly be made available to the domestic industry as well.

iii. Petitioner submits that Exim Corp has not filed questionnaire response. Petitioner has once again perused submissions made on behalf of Eximcorp and does not find that it has been established by the company that Eximcorp has imported product under consideration from South Africa. The disclosure statement states that Eximcorp has filed questionnaire response. In fact, at the time of oral hearing, the company even stated that no questionnaire has been filed by us as it is not a prerequisite for raising legal issues. We, therefore, request the Authority to kindly review Para 9(vi) and modify the same appropriately if the company has not filed questionnaire response. This is very vital in view of the fact that if Eximcorp has not filed questionnaire response then Eximcorp is not an interested party. Under the rules, interested parties are only those parties who are importers of the product from subject countries. An importer of the like product from other countries is not an interested party. It is absolutely clear from the definition of Rule 2(c) read with Rule 14 that imports from subject countries constitutes product under consideration, while imports from other countries constitute like article. Thus, an importer of the product from third countries is not an importer of the product under consideration within the meaning of Rule 2(c). Therefore, if the Eximcorp is not an importer of product under consideration from the subject countries, we request the Authority to kindly modify the disclosure statement and clarify that the company is not an interested party but their submissions have been considered by the Authority. We request the Authority to kindly clarify that the company has not been accorded the status of an interested party to Eximcorp.

g. As regards verification reports, no such report has been issued to the domestic industry.

h. As regards communication made by SI Group Ltd as well as HOCL to the Designated Authority, the same have been provided on NCV basis. As regards communication sent by Designated Authority to SI Group Ltd and HOCL, no such communication has been sent by the Designated Authority to these companies.

i. As regards communication to Ministry of Chemicals to the Designated Authority, we are not aware of any such communication. However, if any such communication has been sent, the same may kindly be placed in public file.

j. As regards Additional/supplementary details regarding injury sought from domestic industry as stated at para 9(xv) of the disclosure statement, petitioners submit that this constitutes information provided to the Designated Authority in support of costing and injury information. The information collected by the Authority at the time of verification constitutes internal records of the company and therefore the same cannot be made available to the opposing interested parties.

k. As regards procedure listed by the party, petitioner submit that the same is without any relevance. Each case has to be proceeded based on its merits and facts. When import data adopted in the disclosure statement matches with import data published by DGCI&S, it follows that Eximcorp has not even cross verified the information in disclosure statement with publically available information and has rushed in assuming and presuming on the procedures that the Designated Authority may have followed and writing communication to the Authority. Reference has been made to private agencies when the information in disclosure statement matches with the published data.

l. The petitioners have referred to their letter dated 23rd April, 2015 and reiterated the queries that:

i. Whether Eximcorp or Century Plyboards has filed response to importer's questionnaire?

ii. Whether import data on record of the Authority given by DGCI&S shows that Eximcorp or Century Plyboards is an importer of Phenol from South Africa.

m. The Domestic industry has reiterated its submissions as regards the product under consideration, Domestic industry and standing, and injury submissions. It has further reiterated its submissions as regards the Likelihood of dumping.

Examination of the issues raised in post disclosure submissions

Issues raised by M/s Eximcorp

24. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties in response to the Disclosure Statement issued on 21st April, 2015. The issues raised by the parties have been addressed as follows:

i. The Authority notes that M/s Eximcorp did not file a detailed Importer Questionnaire response except various injury submissions made by them at various points of time. The party has made various averments without providing any positive evidence on any of the aspects of the determinations while challenging them. It is the primary obligation of an interested party to provide information relevant to the investigation in the absence of which the Authority is constrained to proceed with the facts available including information available in the petition filed by the Domestic Industry. However, in the interest of natural justice and fair play various submissions made by M/s Eximcorp have been taken on record and addressed to the extent they are relevant.

ii. As far as the issue of powers of the Central Government to extend the period for completion of a sunset review investigation beyond 12 months is concerned the Authority notes that the power for such extension is available under Rule 17(1) of AD Rules which is also mutatis mutandis applicable to sunset reviews in terms of Rule 23 (3) of AD Rules. The Authority also notes that some of the interested parties have challenged this before the Hon'ble High Court at Delhi and the matter is sub judice.

iii. Rule 17(1) provides discretion to the Central Government in the matter of extension and the expression "special circumstances" in the said provision is an administrative matter which could include administrative exigencies such as availability of key personnel and also complexities of the investigation to illustrate a few. The Rule does not require the Authority or the Government to give a reason or explanation to the interested parties about the nature of such special circumstances.

iv. With regard to the argument that only partial disclosure of essential facts has been made with inadequate time, the Authority notes that the judgment of the Hon'ble High Court allowing disclosure of transaction wise import data relied upon is under examination for filing an appropriate appeal before the Hon'ble Supreme Court. Notwithstanding this and without prejudice, the transaction wise import data was made available to the interested parties as per their request. Neither the Rule nor the said judgment of the Hon'ble Court cast any obligation to provide the information in any particular form or manner.

v. As far as adoption of raw material price is concerned the source of the information and the data adopted in a statement form was made available to the parties. The interested parties have also not provided any positive information in this regard. Therefore, in the absence of any other positive information the aforesaid data has been accepted as best facts available for the determinations. Hence, the arguments of the interested party in this regard are not tenable.

vi. As far as the arguments that the Authority should have disclosed the verification report of the domestic industry and all correspondence with them, the Authority notes that verification of domestic industry's data is a continuous process and involves commercially sensitive information. Therefore, neither a verification report is prepared nor shared with the domestic industry. Hence, question of sharing this report and correspondence related to this does not arise.

vii. The Authority notes that a public hearing was held in this matter and all the interested parties were provided adequate opportunity to present their views. Therefore, the argument that the interested parties were not provided adequate opportunity of hearing is not correct.

viii. A strange argument has been made by the party that only the exporters' data is the subject matter of the confidentiality and no such protection of confidentiality is available to the domestic industry's data simply because the data of domestic industry is used to impose antidumping duty. This argument is not supported by any provision of the law and therefore, does not merit consideration.

ix. As far as the arguments of the interested party that their submissions with regard to various issues regarding various elements of cost of production for determination of non injurious price of the domestic industry are

concerned, the Authority notes that the cost and NIP are determined as per the principle and procedures laid down in the Rules and all such issues raised during the course of the investigation regarding various elements of costs and capacity utilisation, etc. have been appropriately considered while determining the cost and NIP. The Authority further notes that in order to work out the non-injurious price for each of the constituents of the domestic industry, their respective best capacity utilisation achieved during the injury period has been considered in terms of Annexure III to the AD Rules and this methodology automatically removes the injury, if any, suffered by the domestic industry on account of closure of the unit and its associated cost. The Authority further notes that for determining non-injurious price, the cost of phenol only has been considered.

x. The Authority further notes that the demand for Phenol and Acetone in India during the investigation period was adequate for the domestic industry to sell its entire production in the domestic market. Therefore, the Authority holds that demand for Acetone had no effect on the production of Phenol of the domestic industry.

xi. The determination made by the Designated Authority is a technical determination taking into account all material facts and arguments placed before it by various interested parties. It is neither feasible nor required under the law to address and record each and every such argument in a determination. Therefore, the argument of Eximcorp that all their arguments and submissions have not been individually addressed is not tenable.

xii. As far as determination of Normal Value is concerned, the Authority notes that the Normal Value has been determined in terms of second proviso of Sec 9A(1)(c)(ii)(b) on the basis of costs of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling & general costs and for profits. However, in absence of cooperation from the exporter in the subject country who only could have provided the details of cost of production of the subject goods, the best fact that is available with the Authority is the estimates of cost of production of the domestic industry duly adjusted. The principles of adoption of best facts have been enshrined in Annex II to the ADA and it clearly provides that if the information is not supplied by the interested party within a reasonable time, the Authority will be free to make determinations on the basis of facts available, including those contained in the application for the initiation of the investigation by the domestic industry. Therefore, the arguments of the party are not tenable.

xiii. As far as the standalone examination of injury to SI Group is concerned, the Authority notes that the rules require examination of injury to the domestic industry as a whole and not any individual constituent of the domestic industry. However, keeping in view the peculiar nature of this case in which one of the constituents was closed for a certain period during the POI, to the extent possible certain parameters of the other constituent was also examined separately and the same has been reflected in the findings to the extent found relevant.

xiv. As far as the issue raised by Eximcorp regarding the share of South Africa in the total imports vis-a-vis import from other countries and non attribution analysis is concerned, the Authority notes that the disclosure clearly indicated that the imports from other countries having significant share in imports are also subject to antidumping investigation with prima facie evidence of alleged dumping. Therefore, the current injury to the domestic industry has been found to be caused due to cumulative effects of dumped imports from all such sources.

xv. In the face of existence of dumping from the subject country and injury to the domestic industry, the question requiring examination in the current investigation is whether the dumping is likely to continue and whether the domestic industry is likely to continue to suffer injury if the duties are revoked. In the factual matrix of the case where dumped imports are entering the country from several sources, it is most likely that the subject country would also continue to dump in India to retain its market if the duties are revoked and the domestic industry would continue to suffer material injury in such a situation.

xvi. As far as the argument that the currency for determination of Normal value and NIP is concerned the Rules clearly provide conversion of the domestic and export transactions to one currency for comparison purpose and such conversion should be made using the rate of exchange on the date of sale and since the duty is to imposed as a lower of dumping and injury margin, the injury margin is also required to be converted to the same currency for the purpose of comparison. Therefore, there is no inconsistency in the determination either with respect to the Indian Anti Dumping Law or an Anti Dumping Agreement. Hence, the arguments of the interested parties are not tenable.

Issues raised by the domestic industry

25. Domestic industry, in its post disclosure submissions has reiterated its position with respect to the present investigation. Specific issues raised by the domestic industry in their post disclosures submissions have been addressed as follows:
 i. With regard to the contention that the non-injurious price determined is grossly low and insufficient to protect the domestic industry, the Authority notes that the NIP has been determined as per the consistent practice of the Authority and as per the principles laid down in the Rules.
 ii. With regard to the contention of the domestic industry that M/s Eximcorp India cannot be given the status of interested party in this investigation, the Authority notes that the submissions made by Eximcorp has been taken on record and their legal arguments have been addressed keeping in view Natural Justice and fair play without treating them as the interested party within the meaning of the term in Rule 2(c).
 iii. The Authority also notes that Century Plyboard has not filed any questionnaire response though the import data shows that they have imported the goods during the investigation period.
26. The Authority also notes that M/s Century Plyboard India Pvt. Ltd., has filed a letter dated 23rd April, 2015 stating that they have filed a Writ Petition in this case in Delhi High Court challenging the extension of the period of review. They have further argued that in the earlier Mid-term Review, they were treated as an interested party but in this investigation they have not been considered as an interested party for the public hearing. In this connection the Authority notes that the initiation of sunset review was notified through the Gazette of India and was available to the public domain for the parties having substantive interest in the matter to file Questionnaire response and identify themselves as interested parties which this company has failed to do. Therefore, without prejudice to the Writ Petition filed by them they cannot be treated as interested party in this investigation at this stage.

F. Assessment of Current Dumping; Methodology for determination of Normal Value, Export Price and Dumping Margin

F.1 <u>Submissions by producers/importers/exporters and other interested parties :</u>

27. Following are the submissions made by the producers/exporters/importers/and other interested parties with regard to the evidence submitted by the petitioners for determination of dumping margin of the subject goods in the subject country and likelihood of continuation or recurrence of dumping:

 i. The petitioners have failed to give any evidence of dumping. A single invoice given by the petitioners is inconclusive to represent selling price in South Africa. The increase in imports is not an increase from South Africa but from other countries like USA and Taiwan.
 ii. The data presented in the petition with regard to every adjustment was nothing but simple assertions unsubstantiated by relevant evidence, which could not have been relied upon even on a prima facie basis.
 iii. Petition also does not provide any substantiation with respect to the recurrence of dumping since there is no information on post Period of Investigation.

F.2 <u>Submissions by the Domestic Industry</u>

28. The petitioners in their petition and subsequent submissions have submitted:

i. That they have not been able to get any information/evidence of price of subject goods in the domestic market of the subject country. Therefore, they had estimated the Normal value of the subject goods in the subject country on the basis of best estimates of cost of production, duly adjusted. Cost of major raw material i.e., Benzene has been considered as per Platts report and other raw material costs are taken as petitioner's cost, considering the same as the best estimates of conversion costs available.

ii. That the export price has been determined as weighted average import price of the product under consideration calculated at the CIF level. Export price has been adjusted for (a) Ocean Freight, (b) Marine Insurance, (c) Commission, (d) Port Expenses, (e) Inland Freight and (f) Bank Commission.

iii. In response to the argument that the domestic industry has given no evidence of dumping and is relying on a single invoice which is inconclusive to represent selling price in South Africa the petitioner has submitted that being a domestic industry it can only have access to at the maximum one or two invoices. <u>It was for the exporter from South Africa to provide relevant information in the form and manner prescribed by the Authority. If the exporter has preferred non-cooperation, Rule 6(8) clearly requires Authority to proceed with best available information.</u>

iv. With regard to the argument of adjustments claimed with regard to export price are arbitrary and without supporting evidence, the petitioners have submitted that the adjustments have been claimed on the experience of petitioners. The Authority may apply best available information in view of non-cooperation from the exporter. The exporter clearly had mala fide intentions in not responding to the present investigation, as exporter was aware that the data would have shown significant dumping, possibly higher than what has been claimed in the petition.

v. With respect to the argument that the dumping margin, normal value and export price is unreliable it is submitted that petitioners have estimated the normal value, export price and dumping margin on a basis accepted by the Authority in several cases. Sufficient disclosures in this regard have been made in the non-confidential version of the petition.

vi. In response to the argument that there is lack of evidence with respect to export price of South Africa to third countries and thus the dumping margin and normal value estimated, and further the comparison with export price to third countries is incorrect it is submitted that there is clear evidence of dumping margin in respect of exports of the product under consideration from South Africa to third countries. For the purpose, the petitioners have been able to procure evidence of the prices at which the goods are being exported from South Africa to third countries. Based on this export price and considering the estimates of normal value, the petitioners have determined dumping margin in these exports to third countries. It would be seen that the dumping margin is very significant during POI as well as post POI.

F.3 Examination by Authority

29. The interested parties have argued that the petitioners have failed to give any evidence of normal value of the subject goods in the subject country for estimation of dumping margin at the time of filing of application for initiation of the sunset review investigation. The Authority notes that the petitioners have submitted certain invoices in the domestic market in South Africa as an evidence of the Normal Value. In the absence of any other credible evidence this information was accepted as best information available for initiation of the investigation.

30. The Authority further notes that the only known producer/exporter in South Africa has withdrawn itself from the investigation after initial questionnaire response. Therefore, the Authority proceeds to determine the normal value in South Africa as follows:

F.4 Determination of Normal Value

31. Since the only producer/exporter from the subject country who has filed the questionnaire response has withdrawn from the investigation, the Authority is constrained to determine the normal values in the subject country based on best facts available, including the information contained in the petition of the domestic industry. The Authority constructed the normal value by considering the international price of major raw material i.e., Benzene and the cost of production of the efficient domestic producer, duly adjusted to include selling, general and administrative costs and a reasonable margin of profit. The weighted average normal value so determined is as follows:

Raw Material Cost USD/MT	Conversion Costs USD/MT	Total Cost USD/MT	Profit Margin @ 5% USD/MT	Normal Value USD/MT
****	****	****	****	****

F.5 Determination of Export Price for producers and exporters

32. Since the only producer/exporter who had filed the exporter's questionnaire response, has subsequently withdrawn from the investigation, the Authority has determined the Export Price in respect of imports from South Africa on the basis of best information available in accordance with Rule 6(8) of the AD Rules. The Designated Authority considered the data received from DGCI&S for determination of the export price considering all imports of the product under consideration in India. Price adjustments have been made on the basis of claims made by the applicant domestic industry in view of non-cooperation from the producers/exporters from South Africa. Export price so determined at ex-factory level is as follows:

Import Qty as per DGCI&S (MT)	Value Rs. In lakhs	CIF Price Rs/MT	Adjustments Rs/MT	Net Ex-Works Price Rs./MT	Net Ex-works Export Price US$/MT
14033	9922	70,704	6,654	64,050	1173

F.6 Dumping Margin

33. Comparing the Constructed Normal Value and the Export price at ex-factory level determined as above, the Dumping Margin for the producers/exporters in the subject country is determined as follows:

S. No	Producer	Exporter	Normal value US$/MT	Net Export price US$/MT	Dumping Margin US$/MT	Dumping Margin %	Dumping Margin % Range
1	All Producers	All Exporters	****	1173	****	****	40-50

34. The dumping margin so determined is above de minimis and significant**.**

G. Determination of Injury and Causal Link

G.1 Submissions of interested parties other than the domestic industry

35. The other interested parties have made the following submissions with regard to the injury and causal link claims of the domestic industry and on the issue of likelihood of continuation or recurrence of injury.

i. While HOCL has had continued protection and is stagnating, the other domestic producer i.e. SI Group has been able to perform well during the same period, though condition of competition in the market remained the same for both. Thus, there exists some other factor apart from market conditions, which has resulted in drop of production of HOCL and same should not be attributed to the imports from South Africa.

ii. Imports from Taiwan and USA are more injurious than the South African imports. Further, the imports from USA and Taiwan have increased substantially since the revocation of anti dumping duty in 2012. During the same period only, the performance of applicant also came down.

iii. The price sensitivity of the product is not a determinative factor and therefore analysis of price under cutting may not be reflective of the correct position. The market dynamics of Phenol in India is not affected by prices. Imports from Taiwan and USA have had higher price as compared to imports from South Africa throughout the period. There is no link between price undercutting range and profits provided by Petitioner.

iv. In the light of decline in imports from South Africa from 2009-10 to POI, there is no causal link between the drop in profits of the domestic industry and the imports from South Africa.

v. There are other factors apart from imports from subject country which may be causing injury to the petitioner domestic industry:
 a. There is no link between the profits of domestic industry and the imports from the subject country.
 b. HOCL is incurring abnormally and extraordinary high cost on account of use of LSFO as fuel in its burner at Kochi plant.
 c. The wages and employment of the domestic industry has increased over the injury period.
 d. The intrinsic problems faced by HOCL.

vi. Imports of subject goods are not affecting the prices in India. This is in view of the fact that in 2010-11, the Domestic industry was selling goods with ROCE more than 86% and Anti Dumping Duty continued on various countries including South Africa.

vii. The continuation of anti dumping duties on the subject goods from South Africa restrict competition and affect the consumers adversely.

viii. Petitioners must provide the methodology followed in bifurcation of their data between like article and other products manufactured by them.

ix. A 3% increase in imports from South Africa cannot displace 9% of Petitioner's lost sales in the same period.

x. The imports as a percentage of production will reduce production which may be due to intrinsic factors of petitioner. The imports have not increased in relation to demand, imports as a percentage of consumption remained constant since 2010-11.

xi. Due to old plant fixed costs are high. Thus the landed value is low due to the inability of the petitioner to reduce its cost of production. The sharp increase in cost of the petitioner has had a domino effect on the profits of the petitioner.

xii. The petitioners must provide the reason for steep increase in cost of production. Anti Dumping duties cannot improve the position of the petitioner.

xiii. It is not possible that imports can spare one domestic producer to produce at full capacity utilization and allow other producer to suffer. DGAD is requested to examine the two producers' positions separately.

xiv. The post POI data is unreliable due to excessive hidden information. Logically 1% increase in market share of subject imports cannot result in petitioner losing 8% market share. Petitioners have not disclosed the increase in imports from other countries and their share in total market share.

xv. It is not clear if fall in sales, profit and production is for both HOCL and SI Group or only HOCL.

xvi. HOCL in its annual and financial reports has itself reported various reasons why they haven't been able to achieve their targets. These range from depreciated plants, erosion of net worth, etc.

xvii. As per admission of petitioner even after highest possible levy of anti dumping duty, its perennial problem of old plants, eroded net worth will remain. In that case imposing duties would only mean forcing the consumers to pay unduly higher price for petitioner's efficiency.

G.2 <u>Submissions by the domestic industry</u>

36. The domestic industry has made the following submissions with regard to the injury and causal link:

i. There is continued dumping of the product under consideration from the subject country.

ii. There is steady increase in the demand throughout the injury period.

iii. Imports of the product under consideration have increased significantly in absolute terms over the period despite imposition of anti dumping duty.

iv. Imports have increased from these sources which are not attracting anti dumping duty. Further, the increase from sources having lower duty is also significant, whereas, imports have declined from countries having anti dumping duty. This clearly establishes that the consumers are looking for sources not attracting anti dumping duty and global producers are faced with significant unutilized capacities and are therefore willing to start dumping the moment there is an opportunity.

v. The imports from the subject country are undercutting the prices of the Domestic Industry in the Indian market. There existed a significant price undercutting in the whole injury period.

vi. Although, the domestic industry was able to earn profits up to 2011-12, the imports have had a significant suppressing effect on the prices of the domestic industry that the domestic industry has started suffering significant financial losses.

vii. Performance of the domestic industry has deteriorated in terms of production, sales, capacity utilization, market share, profits, and return on investments and cash profits to a very significant extent.

viii. Domestic industry has been prevented from utilizing its capacities to the fullest extent.

ix. The imports from the subject country have increased in absolute terms, preventing sales of the domestic industry.

x. Market share of the subject country has remained significant throughout the injury period. However, the market share of the domestic industry has declined.

xi. Imports from subject country would be undercutting the prices of the Domestic Industry in the event of cessation of anti dumping duties.

xii. Profitability and consequently return on investment and cash profit situation of the domestic industry deteriorated.

xiii. The imports are still continuing at dumping prices. Thus, existence of such a situation after imposition of anti dumping duty gives a clear implication of likelihood of injury.

xiv. Domestic industry is facing continued injury from the dumping of subject goods. However, there is no reason or justification to believe that cessation of the duty would not lead to increased or continued dumping at a higher level with consequent injury to the Domestic Industry.

xv. As regards the argument that SI Group is improving while HOCL is stagnating, it is submitted that both

HOCL and SI Group are suffering. The Designated Authority may examine the injury statements of the two companies. In any case the Designated Authority is required to examine injury to the domestic industry by considering the two companies directly.

xvi. With respect to the contention that there is increase in volume of imports from other countries and not from South Africa, it is submitted that the imports of South Africa have grown from 8000 MT to 19000MT. This is an increase of more than 100%. Further, it is also relevant to point out that the present investigation is a sunset review investigation and the current volume of imports is despite the existing anti dumping duties.

xvii. With respect to the contention of price being not a determining factor for Phenol in the market, it is submitted that in this respect, it is highly surprising that the interested party is arguing that 8% of imports are 'low' imports. When the law recognizes 3% of imports from a country sufficient to cause injury to the domestic industry, the interested party is arguing increase in imports which constitutes 8% of imports as 'low' that too in a sunset review investigation when the duties are already attracted on goods imported from the subject country. It is submitted that the dumped imports from the subject country have further increased in post POI despite anti dumping duty. Subject imports are undercutting and suppressing the domestic industry prices, thereby causing injury to the domestic industry. Petitioners agree that the there are imports from other countries as well, which are separately being investigated by the Designated authority. The petitioners have sought and the Designated Authority has considered imposition of anti dumping duty on non-discriminatory basis.

xviii. There is a decline in profits of the domestic industry showing a clear causal link with the dumped imports.

xix. The change in fuel is not an extraordinary cost. It has been charged as a revenue expense which is consistent with GAAP. GAAP specifically states that write-offs, write-downs, gains, or losses on the following items are not to be treated as extraordinary items. These include (a) Abandonment of property, (b) Accruals on long term contracts, (c) Disposal of a component of an entity, (d) Effects of a strike, (e) Equipment leased to others, (f) Foreign currency exchange, (g) Foreign currency translation, (h) Intangible assets, (i) Inventories, (j) Receivables and (k) Sale of property.

xx. Examples of items that could be classified as extraordinary are destruction of facilities by an earthquake or destruction of a vineyard by a hailstorm in a region where hailstorm damage is rare. Conversely, an example of an item that does not qualify as extraordinary is weather related crop damage in a region where such crop damage is relatively frequent. The intent behind reporting extraordinary items within separate line items in the income statement is to clarify to the readers which items are totally unrelated to the operational and financial results of the business.

xxi. LNG was anticipated to be cheaper fuel. LNG was not available before 2013-14 in Cochin. It was anticipated that LNG would become cheaper fuel as compared to LSFO and it would become available in Cochin in 2013-14. Therefore, the company set up facilities for using LNG as a fuel. The company hoped that this would save cost of the company.

xxii. The company started using LNG as a fuel as and when it was introduced in 2013-14. It implies that the relevant price of LNG and LSFO have been changing from time to time and do not prove the case that LNG is invariably a cheaper source of fuel as compared to LSFO.

xxiii. The increase in power consumption is not because of inefficiency of the domestic industry.

xxiv. The decline in profits is significantly beyond the increase in wages. Wages per MT are showing increasing trend not because of higher wages paid, but because of arrears of wages paid in next year and declines in production over the year.

xxv. HOCL is not facing injury due to intrinsic factors. Being an old plant, its depreciation and interests costs are low and, therefore, the maintenance cost is low as compared to a new plant. This is a general business/economic situation and there is nothing unusual about it.

xxvi. As regards the argument of more than 86% ROCE, it is submitted that the return on investment for the domestic industry has very significantly changed over the period from a high of 22.29% to the low of -22.31%. One of the reasons for such a swing in return on investment is the fact that capital employed in the product is very low. While assets of both the companies are largely depreciated, both the companies are forced to work with low working capital. This, abnormally low level of capital employed is leading to abnormally low or high return on capital employed with low changes in profits per unit. Further, the Authority may kindly consider the past return on investment earned by the domestic industry for the purpose of fixation of non injurious price. This is additionally justified because of very low level of capital employed.

xxvii. The continuous dumping of the product makes the competition unfair. This is affecting the interests of the consumers of the product concerned.

xxviii. The petitioners have followed the methodology which has been applied in the past several cases. The Designated Authority may verify the information in this regard.

xxix. It is not petitioner's argument that the entire market share has been taken away by South Africa. Petitioner's argument is that their market share has been taken away by dumped imports from several sources dumping the product which is having a significant adverse price effect on the domestic industry.

xxx. There is no legal requirement at the stage of sunset review that imports from subject countries should be increasing in relation to consumption in India. As stated elsewhere, import volume from South Africa has remained quite significant despite existing anti dumping duties. Further, the volume has increased significantly in the post investigation period. This clearly establishes likelihood.

xxxi. There is no basis for the argument that due to old plant fixed costs are high. Being an old plant, its depreciation and interests cost is quite low. It is natural under these circumstances that the maintenance cost will be higher than a new plant. A new plant will have higher interests and depreciation cost; but low maintenance cost; while an old plant will have low depreciation and interest cost, but higher maintenance cost. This is general economic/business situation and there is nothing unusual about it. The petitioner agrees that both cost of production and selling price have increased in the proposed POI, however the increase in selling price is far below the increase in the cost of sales. Further, the effect on the profits of the domestic industry is because of the significantly suppressing effect of the imports on the prices of the domestic industry. The domestic industry was able to earn profits up to 2011-12. It may be noted herein that as per research during 2012 and 2013, South Africa has been responsible for 8-9% of total supply of phenol to India which is significant by all standards.

xxxii. The increase in cost of production is because of increase in raw material cost. This may be verified by the Authority.

xxxiii. With regard to argument that only one producer is suffering it is further submitted that this argument is highly presumptive. The profits of the SI Group shows steep decline over the period.

xxxiv. With regard to the argument of the Post POI data being unreliable due to excessive hidden information, it is submitted that the volume of imports in the post period of investigation is about 19000 MT, constituting 7% of demand in the country and is thus significant enough in itself to establish likelihood of dumping and injury in the event of cessation of anti dumping duties. Even if volume of imports remains in the region of what it is the same is per se sufficient to establish likelihood.

xxxv. With respect to fall in sales, profit, production etc, it is submitted that both HOCL and SI Group show injury individually also. However, since the figures have been given for both producers of domestic industry, they have been giving collectively.

xxxvi. As far as reference to the annual reports by the respondents is concerned it is submitted that the annual report clearly identifies withdrawal of Anti Dumping Duty on the Phenol and Acetone manufactured at Kochi Unit as the main reason for loss suffered by the unit. As regards the other factors identified in the annual report, these are factors which have existed for a considerably long period. While these factors may be responsible for the difference in absolute profitability of the domestic industry vis-à-vis foreign producers, these are not responsible for the deterioration in performance.

xxxvii. As regard the argument of the respondents that even the highest possible anti dumping duty the perennial problems will not be solved, it is submitted that there is no basis for this argument. Old plant in fact implies low interest, depreciation cost and capital cost. The petitioner has repeatedly achieved capacity utilization above 90% and on several occasions achieved the capacity utilization beyond 100%. The consumption factors of the petitioner are clearly indicative of efficient running of the plant.

G.3 <u>Examination by the Authority</u>

37. The Authority has taken note of various submissions of the interested parties on the injury to the domestic industry on account of dumping and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable law. Accordingly, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.

38. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "…. taking into account all relevant

facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

39. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.

40. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has examined injury to the domestic industry by considering information relating to M/s Hindustan Organic Chemicals Limited and M/s SI Group India Ltd, constituting domestic industry under the Rules. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined as follows:

G.4 VOLUME EFFECT:

(i) Volume effect of dumped imports and impact on domestic industry

a) Import Volume & share in Imports

41. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The import data obtained from DGCI&S has been examined to analyse the trend in import volumes and prices and their impact on the domestic industry as follows:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Imports from					
Subject Country-South Africa	MT	8,243	11,223	13,582	14,033
Trend		100	136	165	170
Countries against which investigation is under process	MT	47,777	61,381	93,078	134,365
Trend		100	128	195	281
Other Countries Attracting Antidumping duties	MT	32,597	12,047	22,666	5,594
Trend		100	37	70	17
Other Countries	MT	11,947	37,319	16,775	17,726
Total Imports	MT	100,564	121,970	146,101	171,718
Trend		100	121	145	171
Share in Imports					
Subject Country-South Africa	%	8	9	9	8
Countries against which investigation is under process	%	48	50	64	78
Other Countries attracting ADD	%	32	10	16	3
Other Countries	%	12	31	11	10
Total Imports	%	100	100	100	100

42. The data above shows that total imports during the injury investigation period grew almost by 70% compared to the base year. The Authority notes that the subject goods are attracting antidumping duty on imports from several countries and antidumping investigations are in progress against several other countries. Most significant is the growth in imports from countries against which antidumping investigations are in progress whereas there is a

significant decline from the countries against which antidumping duty is force except the subject country. In case of South Africa, though share of the subject country in total import has remained at the same level as in the base year, there is an increase in import volume by about 70% during this period. Major share of the import comes from the countries under investigation.

b) Assessment of Demand and Market Shares

43. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in the Country as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed can be seen in the table given below. The Authority notes that the demand of the subject goods has shown a positive trend throughout the injury period.

Particulars	**Unit**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**POI**
Demand in India					
Sales of Domestic Industry (including captive consumption)	MT	73,430	80,020	67,361	61,185
Trend	Index	100	109	92	83
Commercial sales	MT	69,629	77,521	64,427	54,316
Captive Consumption	MT	3,801	2,499	2,934	6,869
Total Imports	MT	100,564	121,970	146,101	171,718
Trend	Index	100	121	145	171
Imports from Subject Country-South Africa	MT	8,243	11,223	13,582	14,033
Imports from countries against which investigation is under progress	MT	47,777	61,381	93,078	1,34,365
Imports from other countries attracting ADD	MT	32,597	12,047	22,666	5,594
Imports from other countries	MT	11,947	37,319	16,775	17,726
Total Demand	MT	1,73,994	2,01,990	2,13,462	2,32,903
Trend	Index	100	116	123	134
Market Share in Demand	%	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**POI**
Domestic Industry	%	42	40	32	26
HOCL	%	22	21	14	11
SI Group	%	20	19	18	15
Subject Country-South Africa	%	5	6	6	6
Imports from countries against which investigation is under process	%	27	30	43	58
Imports from countries attracting ADD	%	19	6	11	2
Imports from Other countries	%	7	18	8	8
Total	%	100	100	100	100

44. The data indicates that there is a healthy increase in demand for the subject goods in India. The demand grew by about 33% compared to the base year. But major share of the market seems to have been cornered by the countries

under investigation while the market shares of the domestic industry as well as the countries attracting duty have declined.

(ii) PRICE EFFECT

a) Price effects of dumped imports and impact on domestic industry

45. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price under cutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression, if any.

b) Trend of Import Prices

46. The import prices of the subject goods imported from various countries during the POI as per DGCI&S data is as follows:

CIF Price of Imports from	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Subject Country-South Africa	Rs/MT	45,580	66,936	68,589	70,704
Trend	Index	100	147	150	155
Countries against which investigation is under process	Rs/MT	48,228	75,646	73,894	81,147
Trend	Index	100	157	153	168
Other Countries Attracting Antidumping duties	Rs/MT	49,470	81,961	76,953	83,341
Trend	Index	100	166	156	168
Other Countries	Rs/MT	60,559	75,688	87,044	85,305
Trend	Index	100	125	144	141
All Imports	Rs/MT	49,878	75,481	75,385	80,766
Trend	Index	100	151	151	162

47. The Authority notes from the data indicated in the above Table that the CIF prices of imports from South Africa are lowest as compared to the CIF prices of imports of the subject goods from other countries.

c) Price Undercutting and Underselling

48. In order to determine whether the dumped imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared the landed price of dumped imports with net sales realization of the domestic industry. The following table shows the Net Selling Price of the domestic industry, landed price of the dumped imports and the price undercutting. The Authority has made analysis of both price undercutting and underselling with and without antidumping duty as below:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Net Sales Realization of DI	Rs/MT	****	****	****	****
Trend	Index	100	150	140	145
Landed Value without ADD	Rs/MT	49,592	72,828	74,626	76,927
Trend	Index	100	147	150	155
Landed Value with ADD	Rs/MT	55,340	78,323	80,355	83,436
Trend	Index	100	142	145	151
Price Undercutting without ADD	Rs/MT	****	****	****	****
Price Undercutting without ADD	Index	100	160	102	110

Price Undercutting without ADD	%	****	****	****	****
Price Undercutting without ADD	Range %	15-25	20-30	10-20	10-20
Price Undercutting with ADD	Rs/MT	****	****	****	****
Price Undercutting with ADD	Index	100	206	104	108
Price Undercutting with ADD	%	****	****	****	****
Price Undercutting with ADD	Range %	10-20	10-20	5-15	5-15
Landed Price on imports from Countries under investigation	Rs/MT	52,473	82,304	80,398	88,289
Landed Price on imports from Countries under investigation	Index	100	157	153	168
Price undercutting by imports from countries under investigation	Rs./MT	****	****	****	****
Price undercutting by imports from countries under investigation	%	****	****	****	****
Price undercutting by imports from countries under investigation	Range %	10-20	10-20	5-15	0-10

49. The Authority notes that price undercutting effect of the dumped imports from the subject country is significant both with and without anti-dumping duty. Though the landed value of the subject goods from the subject country but has increased marginally it remains the lowest compared to other countries undercutting the domestic prices to the maximum extent.

d) <u>Price Underselling</u>

50. The following table shows the Non Injurious Price of the domestic industry worked out on annual weighted average basis, Landed price of the dumped imports and the price underselling.

Particulars	**UOM**	**POI**
Non-Injurious Price of Domestic Industry	Rs/MT	****
Landed value without ADD	Rs/MT	76,927
Price Underselling without ADD	Rs/MT	****
Price Underselling without ADD	%	****
Price Underselling without ADD	Range %	20-30
Landed price with ADD	Rs./MT	83,436
Price Underselling with ADD	Rs/MT	****
Price Underselling with ADD	%	****
Price Underselling with ADD	Range %	10 - 20
Landed value of imports from countries under investigation	Rs./MT	88,289
Price underselling of these imports	Rs./MT	****
Price underselling	%	****
Price underselling	Range %	5-15

51. The Authority notes that price underselling effect of the dumped imports from the subject country is significant both with and without anti-dumping duty. The Authority further notes that the landed value of imports from countries under investigation is higher than the landed value of dumped imports from subject country indicating higher price effects of the imports from the subject country.

e) Price Suppression and Depression

52. To examine the price suppression and depression effects of the dumped imports on the domestic prices, the trend of net sales realization of the domestic industry has been compared with the cost of production. The data given below shows that the domestic industry was realising decent selling price above its cost of production till 2011-12. However, there is a significant increase in cost of production and sales due to significant increase in cost of basic raw material i.e., Benzene during the period of investigation. But the domestic industry's selling price has remained below its cost of production due the presence of dumped imports at much lower prices during this period leading to financial losses in the POI.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Cost of Sales	Rs/MT	****	****	****	****
Trend	Index	100	121	133	164
HOCL	Rs/MT	****	****	****	****
Trend	Index	100	118	138	166
SI Group	Rs/MT	****	****	****	****
Trend	Index	100	124	131	164
Net Selling Price	Rs/MT	****	****	****	****
Trend	Index	100	150	140	145
HOCL	Rs/MT	****	****	****	****
Trend	Index	100	148	138	144
SI Group	Rs/MT	****	****	****	****
Trend	Index	100	152	141	146
Profit/Loss	Rs/MT	****	****	****	(****)
Trend	Index	100	571	233	(125)
HOCL	Rs/MT	****	****	****	(****)
Trend	Index	100	796	154	(324)
SI Group	Rs/MT	****	****	****	(****)
Trend	Index	100	449	253	(40)
Landed Price without ADD	Rs/MT	49,592	72,828	74,626	76,927
Trend	Index	100	147	150	155

(iii) Economic Parameters affecting Domestic Industry

53. Annexure II to the Anti- dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

(iv) Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

54. The performance of the domestic industry in respect of sales, capacity, production and capacity utilization has been examined as under. The Authority notes from the table below that the production and sales of domestic

industry has increased up to 2010-11 and thereafter declined significantly. It is further noted that despite sufficient demand, the domestic industry was not able to utilize its capacity to the full extent.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Installed Capacity	MT	74,200	74,200	74,200	74,200
Trend	Index	100	100	100	100
HOCL	MT	40,000	40,000	40,000	40,000
SI Group	MT	34,200	34,200	34,200	34,200
Production	MT	72,850	80,796	67,500	59,921
Trend	Index	100	111	93	82
HOCL	MT	****	****	****	****
Trend	Index	100	117	82	66
SI Group	MT	****	****	****	****
Trend	Index	100	105	104	99
Capacity utilization	%	98.18	108.89	90.97	80.76
Trend	Index	100	111	93	82
HOCL	%	****	****	****	****
Trend	Index				
SI Group	%	****	****	****	****
Trend	Index	100	105	104	99
Domestic Sales	MT	69,629	77,521	64,427	54,316
Trend	Index	100	111	93	78

55. The Authority notes that SI Group was operating at its full capacity during the entire injury investigation period. Even HOCL was also operating at full capacity in 2010-11. Thereafter HOCL's production and sales declined substantially. HOCL has claimed that it could not operate the plant to its peak capacity due to lack of working capital, which was the result of presence of dumped imports affecting realisation of fair selling price in the domestic market.

(v) Market Share in Demand

56. The effects of the dumped imports on the domestic sales and the market share of the domestic industry are indicated in the Table given below:

Market Share in Demand	%	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Domestic Industry	%	42	40	32	26
HOCL	%	****	****	****	****
SI Group	%	****	****	****	****
Subject Country-South Africa	%	5	6	6	6
Imports from countries against which investigation is under process	%	27	30	43	58
Imports from countries attracting ADD	%	19	6	11	2
Imports from Other countries	%	7	18	8	8
Total	%	100	100	100	100

57. The data indicates that though the domestic industry has suffered significant loss of market share, the share of the subject country has remained at about 6% level throughout the injury investigation period. It appears that the domestic industry has lost significant market share to other countries under investigation.

(vi) Profit/loss, return on investment and cash flow

55. The return on investment, profit/loss before and after interest and cash profit are as shown in the table below:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Cost of Production of DI	Rs/MT	****	****	****	****
Trend	Index	100	121	133	164
Net Selling Price of DI	Rs/MT	****	****	****	****
Trend	Index	100	150	140	145
Profit/Loss of DI	Rs/MT	****	****	****	(****)
Trend	Index	100	571	233	(125)
Profit/Loss	Rs. Lacs	****	****	****	(****)
Trend	Index	100	622	214	(104)
Profit before interest	Rs/MT	****	****	****	(****)
Trend	Index	100	546	199	(68)
Cash Profit	Rs/MT	****	****	****	(****)
Trend	Index	100	574	203	(87)
Return on Capital Capital employed	%	****	****	****	(****)
Trend	Index	100	472	205	(100)

56. The Authority notes that the cost of production of the subject goods had gone up steeply due to steep increase in the price of major raw materials and utilities during POI as compared to the base year as well as the immediate preceding year. However, it appears that the domestic industry could not increase its selling price commensurate with the increase in cost of production during POI due to the presence of dumped imports of the subject goods from various sources, including the subject country.

57. It is seen from the above Table that the domestic industry was making significant profit till the previous year i.e., 2011-12 and in fact there was a significant increase in profit as well as ROI in 2010-11 and 2011-12 as compared to the base year. However, during the POI profitability of the domestic industry has been affected leading to cash loss.

(vii) Inventories

58. The data given in the table below shows that the inventory levels with the domestic industry have come down as compared to the base year.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Average Stock	MT	2,086	2,142	2,520	2,006
Average Stock	Index	100	103	121	96

(viii) Employment and wages

59. From the table given below, the Authority notes that both the employment and wages of the domestic industry have shown improvement in the proposed injury period. However, it is also noted that given the fact that the domestic industry is a multi product company and performance on account of these factors are governed more by the law of the land, these parameters may not be reflective of the continued injury suffered by the domestic industry.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Employment	No.	289	325	288	296
Trend	index	100	112	100	102
Wages	Rs. Lacs	****	****	****	****
Trend	index	100	300	252	256

(ix) Productivity

60. The Authority notes from the table below that productivity of the domestic industry during POI has declined due to drop in production.

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Productivity	MT/Employee	****	****	****	****
Trend	Index	100	99	93	80
Productivity	MT/Day	200	221	185	164
Trend	index	100	111	93	82

(x) Magnitude of Dumping Margin

61. The Authority notes that the dumping margin of the imports of the subject goods from the subject country is positive and substantial despite imposition of anti-dumping duty.

(xi) Growth

62. The Authority notes that the domestic industry has shown positive growth till 2010-11 after which the growth has become negative and during the POI, the growth is significantly negative.

Growth year by year	Unit	2010-11	2011-12	POI
Production	%	10.91	(16.46)	(11.23)
Sales	%	11.34	(16.89)	(15.69)
Profit/MT	%	470.97	(59.14)	(153.64)
Market Share	%	(2)	(8)	(7)
ROCE	%	82.98	(59.47)	(68.11)

(xi) Factors Affecting Domestic Prices

63. The Authority notes that domestic demand for the subject goods is robust. The subject goods are being imported from several countries, and antidumping duties are in force against several countries, including the subject country. Antidumping duty investigations are also in progress against several other countries for alleged dumping from those countries. The domestic prices are therefore, affected due to cumulative effects of the volume and price of these imports from various sources.

(xii) Ability to raise Capital Investment

64. With regard to ability to raise investments, it is noted that the domestic industry has not made fresh investments in the product under consideration. Further, even though the demand is far in excess of the capacity with the domestic industry, the domestic industry is not able to utilize its capacity and is suffering losses.

H. Causal Link

65. The Rules mandate the Authority to examine the causal links between the dumped imports and the injury caused to the domestic industry on account of the dumped imports. The Authority has examined in the succeeding paragraphs whether any of the known factors could have caused injury to the domestic industry:

i. **Imports from Third Countries**:-The Authority notes that the subject goods are being imported from several countries, and antidumping duties are in force against some of these countries, including the subject country. Antidumping investigations are also in progress against several other countries for alleged dumping from those countries. The dumped imports from various sources are about 12% of the total imports and alleged dumped imports under investigation constitute about 78% of the total imports. Therefore, the injury caused to the dumped imports is due to cumulative effects of the imports from all these sources.

ii. **Contraction in Demand**:- The Authority notes that the demand of the product under consideration has shown a positive growth throughout the injury period. Hence, contraction in demand is not a possible reason, which could have contributed to injury to the domestic industry.

iii. **Change in the pattern of consumption**:- The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Change in the pattern of consumption is therefore could not have contributed to the injury to the domestic industry.

iv. **Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**:- The goods are being produced and sold in the domestic market by two domestic producers and there is a healthy competition between them. Goods are also being imported from several countries. Therefore, Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the domestic industry.

v. **Developments in technology**:- The Authority notes that the investigation has not shown that there was any significant change in the technology which could have caused injury to the domestic industry.

vi. **Export performance of the domestic industry**:- The export performance of the domestic industry during the injury investigation period is as follows:

Particulars	Unit	2009-10	2010-11	2011-12	POI
Exports of Domestic Industry	MT	63	20	19	2
Trend	Index	100	32	30	3
HOCL	MT	-	8	-	-
SI	MT	63	12	19	2

vii. However, the export performance of the domestic industry is not relevant since the Authority has considered only the domestic performance of the Domestic Industry for the injury analysis.

viii. **Productivity**: The Authority notes that the productivity of the domestic industry in terms of production per employee and per day has declined over the period as a result of decline in production. The decline in production is due to increase in the imports of the subject goods in the Country.

I. Conclusion on material injury and causal link

66. The interested parties have argued that SI Group, one of the constituents of the domestic industry, has been able to perform better, while HOCL is suffering losses because of use of obsolete technology and old plant, costly fuel usage, overstaffing and low productivity and not due to the dumped imports from South Africa. In this connection the Authority notes that the performance of both the producers have been examined separately also and it has been found that both HOCL and SI Group have suffered injury individually as well as collectively. As regards the arguments of the interested parties regarding the performance of HOCL due to its internal issues the Authority notes

that this company was making significant profits for last several years. The Authority also notes that the return on capital employed for determination of the Non-injurious price of the domestic industry is as per consistent practice of the Authority

67. The above analysis indicates that the dumped imports from several sources, including the subject country, are preventing the domestic industry from raising its prices to remunerative prices resulting in significant financial losses and the domestic industry is suffering material injury..

J. Likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury

J.1 Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

68. The following are the submissions made by the producers/exporters/importers/ other interested parties with regard to likelihood of dumping and injury:

i. Petitioners have not substantiated that there is a likelihood of dumping and has made only rhetorical statements. In fact if the past period's information is considered, it may be seen that dumping margin from South Africa in each of the previous investigations had declined considerably.

ii. Imports are showing a declining trend. Import prices from South Africa have been increasing significantly and consistently throughout the injury period, both in absolute terms and relative terms in relation to cost of sales and selling price of the Petitioner.

iii. There is no significant increase in imports in terms of consumption.

iv. There is no substantiation of the existence of excess capacities with global producers. Even if there are excess capacities they are by themselves insufficient to result in dumping of goods.

v. The total capacity of South Africa cannot take care of the demand in Indian. There are exports to other countries also. The criteria to determine must be the surplus capacity in South Africa. It is a prevailing standard of DGAD that surplus capacity should be established that can possibly come to India.

vi. The likelihood of dumping is not substantiated. The past period's information shows that the dumping margin from South Africa in each or previous reviews declined considerably. Import prices from South Africa have also been increasing significantly in relation to cost of sales and selling price of the petitioner.

vii. Even if there are excess capacities, the existence of excess capacities cannot mean likelihood of dumping as established by DGAD and CESTAT.

J.2 Submissions by the domestic industry

69. Following are the submissions made by the domestic industry with regard to likelihood of dumping and injury:

i. The dumping of the product under consideration continued from the subject country even after the imposition of anti dumping duty.

ii. The high dumping margin in the current period clearly established that the dumping is likely to continue and intensify in the event of cessation of present anti dumping duty.

iii. The volume of imports from subject country first declined and has then started increasing despite existing anti dumping duty.

iv. The producers in the subject country maintain huge capacities. In case of cessation of anti dumping duty, the volume of imports of subject goods is bound to increase further, which is evident from the fact of continued imports in spite of imposition of duty.

v. Cessation of anti dumping duty would have significant adverse effect on the prices in the market.

vi. In the event of cessation of current anti dumping duty if domestic industry chooses to maintain the selling price at the same level, the imports volume will increase, thereby leading to further drop in the domestic industry sales volumes.

vii. The current levels of import volumes and dumping margin from the subject country creates great possibility that the expiry of duty will result in intensified dumping of subject goods from the subject country in the Indian market. This is with regard to the fact of excessive high capacities held by the subject country.

viii. Imports from the subject country are undercutting and would continue to undercut the prices of the Domestic Industry, should the present anti dumping duties be revoked.

ix. The producers across the globe have capacities more than their domestic demand which forces them to sell their goods in other strong markets like India. The imports in the post period of investigation clearly establish significant increase in imports from South Africa despite existing anti dumping duties. Such being the case, imports are likely to increase further in the event of cessation of anti dumping duties. Further, even if the

imports do not increase beyond the levels already registered, it would be seen that the volume of imports shall be at least in the region of 19000 MT which shall imply 7% of the Indian demand.

x. Producers are setting up new plants for manufacturing Phenol and thereby enhancing their capacities. Further, as per the 2011 World Market outlook and Forecast up to 2016 which has already been submitted by the petitioners as a part of the petition, the capacity of Phenol with the producers in the subject country is about 40,000 MT. Moreover, the continued imports and non-participation of producers in spite of imposition of anti dumping clearly suggests that in the case of cessation of anti dumping duty, the volume of imports of subject goods is bound to increase further.

xi. With respect to the contention that the total capacity of South Africa cannot take care of demand of India, it is submitted that there is no fixed criteria to determine likelihood of dumping and injury in a sunset review investigation. While spare capacity may be relevant in a situation of no or low dumping, given the volume of imports during the present period, the same itself shows that even if there are no further spare capacities in South Africa, the domestic industry would suffer aggravated injury in the event of cessation of anti dumping duty.

xii. In a situation where the dumping has continued to such a significant extent and where the domestic industry is already suffering continued injury, petitioners submit that the same itself is the biggest evidence of likelihood. Performance of the domestic industry would deteriorate further in the event of cessation of anti dumping duty.

xiii. It is frivolous to argue that it needs to be established that subject country has capacity to take care of the entire demand in the country. Phenol has a history of dumping from various sources, given the demand supply gap situation in the global market. The imports into India from the subject country have increased at dumped prices and the exports of Phenol from subject country to third country are also at dumped prices. This is sufficient to show the tendency of the producers in subject country to dump goods.

xiv. All the previous investigations have established existence of significant dumping. Likelihood is further substantiated on the ground of price attractiveness of the Indian market. The export oriented producers and exporters have started looking for new and existing markets. The growing demand of Phenol in India and good market opportunity attracted the producers cum exporters to export in India which led to tremendous increase in imports. The domestic industry is in a very vulnerable position and with cessation of duties; the situation of the domestic industry will further deteriorate.

xv. The midterm review conducted recently also indicated that exports from South Africa if diverted to India would lead to positive dumping margin, price undercutting and injury margin thus establishing that injury to the domestic industry is likely in the event of withdrawal of anti dumping duty from South Africa.

xvi. As regards the contention that existence of excess capacities cannot mean likelihood of dumping as per DGAD and CESTAT, it is submitted that there are a number of final findings issued by the Designated Authority in sunset reviews, wherein the Designated Authority has extended anti dumping duty on the grounds of significant surplus capacities.

J.3 Examination by the Authority

70. The Rules require the Authority to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of revocation of the duties.

71. The examination in the previous section indicates that the goods were being imported from South Africa at dumped prices during the POI and the domestic industry was suffering material injury due to import of substantial quantities of the subject goods at dumped or alleged dumped prices from several countries, including the subject country. Considering the fact that the dumping margin of the subject goods from South Africa in the original as well as the present investigation have been found to be significant and that there are favourable market conditions in the Indian market as far as demand and price for the subject goods are concerned, there is a reasonable indication to believe that dumping is likely to continue, if the duty is revoked. At the current import price levels and cost of production of the domestic industry, the industry suffers significant financial losses as it is unable to recover full cost. Therefore, if the imports continue from the subject country at the current dumped price level, there is a reasonable indication that the injury to the domestic industry will also continue. However, to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury following factors have been considered:

(i) Level of current and past dumping margin

72. The level of dumping margin both in the original as well as present investigation is significant. Despite the domestic industry holding the capacity to meet demand, the import of the subject goods from the subject country still

continues to be at dumped prices. The level of price undercutting, underselling without the anti-dumping duty of the import prices from South Africa during the review period has been significant indicating thereby that if the duties are removed the import prices would still continue to undercut the domestic prices to a significant extent.

(ii) Price attractiveness of Indian market

73. The prices at which the subject goods are being imported from various countries indicate that the Indian market is price sensitive and global producers with surplus capacities at their end, find the market attractive to sell. In spite of duties against several countries these price levels have held. Therefore, there is a strong likelihood that the imports from the subject country would be at similar price ranges which will hurt domestic industry.

(iii) Excess Capacities and Export orientation of foreign producers

74. From the available information on the capacity and sale of the South African producers/exporters it appears that the subject country has capacities in excess of its domestic demand and substantial quantities are available for exports and in fact there has been substantial exports to other countries as well. Considering the high demand and favourable market conditions for the subject goods in India and the production capacity and export orientation of the South African producers, there is every likelihood that if the existing anti dumping duty is withdrawn, substantial demand for the subject goods in India will be catered to by the South African producers/exporters.

75. The above examination gives a positive indication that the goods are likely to continue to be exported from South Africa at dumped prices and such dumped imports are likely to continue to injure the domestic industry through their price and volume effects cumulatively with other dumped imports.

(iv) Magnitude of Injury and injury margin

76. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during the POI and the proposed injury margin based on monthly analysis so worked out is as under:

Particulars	UOM	POI
Non-Injurious Price	Rs/MT	****
Landed value without ADD	Rs/MT	****
Injury Margin	Rs/MT	****
Injury Margin	USD/MT	****
Injury Margin	%	****
Injury Margin (Range)	%	20 - 30

77. The Authority notes from the above data that the injury margin determined is not only positive but also significant in the POI.

K. Conclusion on Likelihood of continuation of dumping and injury

78. The above examination reveals that the subject goods are entering the Indian market from the subject country at dumped prices and the domestic industry is suffering material injury due to the cumulative effects of dumped imports from several sources, including the subject country. The examination also reveals that the dumping from the subject country is likely to continue if the duties are removed because of the market dynamics and capacity available in the subject country. Consequently, the domestic industry is likely to continue to suffer material injury.

L. Indian Industry's interest and other issues

79. The purpose of imposing anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, by creating a level playing field which is in the general interest of the country. The Authority notes that the imposition of the anti dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. On the other hand, if distortion caused by the dumped imports are not corrected it may lead to closure of the domestic production base and subsequent price

increase by the foreign producers, which will adversely affect the user industry.

M. Recommendations

80. The Authority initiated and conducted the investigation into current dumping, injury and causal links between dumping and injury to the domestic industry and likelihood of continuation or recurrence of dumping from the subject countries and consequent injury to the domestic industry in the event of withdrawal of duty in terms of the Rules laid down. It has been clearly established in the foregoing paragraphs that dumping of the subject goods is continuing from the subject country and the domestic industry has suffered material injury during the period of investigation after a better performance in the previous years, due to cumulative effects of dumped imports from several sources, including the subject country during this period. The examination also establishes that there is a clear likelihood of continuation of dumping from the subject country if the duties are removed which will lead to continuation or recurrence of injury to the domestic industry.

81. Therefore, the Authority is of the view that there is a need for continued imposition of the duties to protect the domestic industry against continuation or recurrence of dumping from the subject country and consequent injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends continuation of definitive anti dumping duty on the subject goods originating in or exported from the subject country as per the dumping and injury margins calculated for the current investigation period, for a further period of 5 years from the date of its imposition. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends continuation of definitive anti-dumping duties equal to the lesser of margins of dumping and margins of injury so established, so as to remove the injury to the domestic industry, in the form and manner described in the table below.

Duty Table

S. No	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit of Measure	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2907.11 and 2707.60	Phenol	Bulk and/or Packed	South Africa	Any	Any	Any	342.76	MT	USD
2	-Do-	-Do-	-Do-	Any country other than countries attracting antidumping duty	South Africa	Any	Any	342.76	MT	USD

N. Further Procedures

82. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal (CESTAT) in accordance with the relevant provisions of the Act.

J. K. DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.